कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

वन्दे मातरम्

काशीराज्य-कांग्रेस
का
इतिहास

लेखक

बलराम पाण्डेय शास्त्री साहित्यरत्न

वन्दे-मातरम्

काशी-राज्य-कांग्रेस

का

इतिहास

लेखक

श्रीबलरामपाण्डेय शास्त्री साहित्यरत्न

भूमिका-लेखक

श्रीकमलापति त्रिपाठी शास्त्री

(एम० एल० ए० सदस्य भारतीय विधान-परिषद,

प्रधान सम्पादक 'संसार')

प्रकाशक

बलराम पाण्डेय शास्त्री

मसोई-चकिया, काशीराज्य।

मूल्य तीन रुपये

मुद्रक

पं० जानकीशरण त्रिपाठी

सूर्य प्रेस, बनारस।

इतिहास लेखक

सादर भेंट

श्रीयुत पुस्तकालय
मुमुक्षु भवन
काशी
दे. बलराम
12-12-82

समर्पण

स्वर्गीय पूज्य पितृदेव के पुण्य स्मृति में

पितृवर !

आपकी कृपादृष्टि से मुझे विद्यार्थी-जीवन में भी 'देश-सेवा' हेतु किञ्चित मात्र अवसर प्राप्त हुआ था। अतएव प्रस्तुत पुस्तक 'काशी-राज्य-कांग्रेस का इतिहास' आपकी पुण्य स्मृति में सादर समर्पित है।

आपका स्नेहभाजन

बलराम

भूमिका

श्री बलराम पाण्डेय शास्त्री काशीराज्य के चकिया जिले के पुराने तपेतपाये और उत्साही कार्यकर्ता हैं। आपने "काशी-राज्य-कांग्रेस का इतिहास" नामक ग्रन्थ लिखा है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। यह ग्रन्थ काशीराज्य के उस आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास है जो गत बारह वर्ष पूर्व राज्य की जनता द्वारा अपने अधिकारों और अपनी स्वतन्त्रता के प्राप्ति के लिये प्रारम्भ किया गया था। सन् १९३९ ई० में जब देशभर में व्यवस्थापक सभाओं का निर्वाचन हुआ, और जब भारतीय जनसमाज में एक नयी चेतना उत्पन्न हुई तो उसका प्रभाव देश के रियासती जनता पर भी पड़ा। काशीराज्य के प्रजाजन भी उससे प्रभावित हुये, और वहां भी नयी जागृति का सूत्रपात हुआ। जनता जब उठती है, और उसे परिस्थियों की अनुकूलता तथा वाञ्छनीय नेतृत्व प्राप्त होता है तो वह दृढ़तापूर्वक पदे पदे आगे ही बढ़ती चलती है।

काशीराज्य यद्यपि भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं है तथापि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देश की रियासतों में उसका उड़ा महत्व रहा है। यही कारण था कि काशीराज्य की जनता का यह आन्दोलन उस बड़े आन्दोलन का प्रमुख अंश था जो सारे देश के रियासती जनता के जीवन में आलोड़न प्रायः एक दशक पूर्व से करने लगा था।

आज भारत की परिस्थिति बदल गयी है, उसके इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो चुका है और दूसरे युग का प्रारम्भ हो गया है। भारत स्वातंत्र्य सूर्य से आलोकित है और विदेशी

सत्ता का उन्मूलन हो गया है, सारा देश नयी दिशा की ओर उन्मुख है और राष्ट्रीय जीवन के नव व्यूह का निर्माण हो रहा है। काशी राज्य के प्रजा जन भी अपनी स्वतंत्रता के यज्ञ में सफल हो चुके हैं। और अधिकार सत्ता उन्हें बहुत बड़े अंश में समर्पित हो चुकी है। जिस नये युग का सूत्रपात हुआ है, वह भारतीय रियासतों के स्वरूप को आमूल परिवर्तित कर रहा है। हमारा सारा देश और हमारा इतिहास इतने वेग से गतिमान है कि उसकी चाल पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखना कठिन हो रहा है। भारतीय रियासतें नयी स्थिति से उत्पन्न नयी समस्याओं के सम्मुख खड़ी हैं। आधुनिक युग में उनका वह स्वरूप टिक नहीं सकता जो आज के पूर्व पराधीन भारत में था। भारत स्वतन्त्र हुआ है तो उसके समस्त अङ्ग प्रत्यङ्ग स्वतन्त्र हुये विना बाकी नहीं रहेंगे। हम देख रहे हैं कि भारत की सार्वभौम स्वतंत्र-सत्ता के उदर में 'नरेश' कहे जाने वालों की निरंकुशता विलीन होती जा रही है। छोटे छोटे छत्रधारियों का लोप हो रहा है। और जो अपने को बड़ा समझते हैं उनके बड़प्पन की रक्षा जनता जनार्दन के संमुख मस्तक झुकाने में ही दिखायी दे रही है। इस देश की भूमि में जिस लोकतन्त्र का उदय होने जा रहा है, उसमें ऐसी किसी व्यवस्था को जीवित रहने का अधिकार न रहेगा, जो लोक निर्दलन पर आश्रित हों और लोकाधिकार की भक्षिका हों।

यही कारण है कि उन रियासतों ने जहाँ एकतंत्रात्मक निरंकुशता अब भी जीवित है वहाँ प्रचंड जनोत्थान हुआ है और उस व्यवस्था के मूल पर वह कठोर आघात कर रहा है। भारत की भूमि ऐसे उथल पुथल से विकम्पित है, नयी व्यवस्था

और नये युग के प्रसव पीड़ा से परिस्थिति विक्षुब्ध तथा विकल दिखाई दे रही है। ऐसे समय में काशी राज्य के प्रजाजनों के विजय का इतिहास संघर्ष में रत नव युग के संदेश वाहकों के लिये स्फूर्ति और प्रेरणा का कारण होगा। यह मेरी आशा है। इस ग्रन्थ की भूमिका के रूप में उपर्युक्त पंक्तियों को लिखते हुये हम काशी राज्य के निवासियों और उनके राजा दोनों को हम बधाई देते हैं। वर्तमान महाराज की दूरदर्शिता और उदारता तथा वहां के प्रजाजनों का अपने अधिकारों के लिये सतर्क और सक्रिय रहते हुये भी महाराज के प्रति निष्ठा, उस सद्भाव के उत्पत्ति का कारण हुई हैं, जो आज काशी राज्य में छायी हुयी है। कोई नहीं कह सकता कि भारत के अर्द्धतिहासिक उदधि में जो महान तरङ्गे उठ रही हैं वह बनारस राज्य को अपनी चपेटों से कौनसा स्वरूप प्रदान करेंगी, पर जो भी स्वरूप प्राप्त हो मुझे यह विश्वास है कि बनारस राज्य की जनता और उसके उदार राजा दोनों ही संकीर्णता से ऊँचे उठकर उस महान भारतीय राष्ट्र की रचना में सहायक होंगे जिसके नये निर्माण का पुनीत कार्य अति वेग से परिचालित है।

मकर संक्रान्ति }
१४–१–४८ }

कमलापति त्रिपाठी

दो शब्द

"काशी-राज्य कांग्रेस का इतिहास" पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। पुस्तक प्रकाशक के पद से यह अनुरोध करना उचित जान पड़ा कि काशी-राज्य कांग्रेस के आन्दोलनों में काशी-राज्य के अधिकारियों द्वारा जो दमनात्मक कार्य हुये वे काशी राज्य के गौरव और मर्यादा में कलङ्क का कारण बने, यह भी ध्रुव सत्य है कि तथोक्त अवाञ्छनीय कार्यों में गौराङ्गों की माया निहित थी। अस्तु आज हम उन बन्धनों से मुक्त हैं, हमारे काशी नरेश भी, समय की गति को लखकर चलने में पूर्ण समर्थ हैं, अतएव पहले की घटनाओं के विस्मृति से हमारे परस्पर के कार्यों में सरलता और सफलता प्राप्त होगी। इतिहास में कुछेक व्यक्तियों के ऊपर लाञ्छन लग गया है, यद्यपि व्यक्ति विशेष द्वारा कोई अनुचित और अव्यवहारिक कार्य उतना हानिकर नहीं होता जितना कि किसी पद पर पदस्थ होकर वह कर सकता है। राज्य में कुछ अनुपयुक्त घटनाओं में व्यक्ति विशेष का नाम तो अवश्य आया है परन्तु उससे पाठकों के हृदय में प्रतिकूल भाव न जागृत हो यही प्रार्थना है। पुस्तक में कुछेक स्थलों पर प्रकाशन दोष भी आ गया है, किन्तु अग्रिम संस्करण में इस दोष की पुनरावृत्ति नहीं होगी यह विश्वास है।

जय हिन्द

—प्रकाशक

कुछ सम्मतियाँ

युक्तप्रान्तीय सरकार के अर्थ व सूचना विभाग के मन्त्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी लिखते हैं—

"प्रिय शास्त्री जी,

सप्रेम वन्दे

मुझे आशा और विश्वास है कि यह इतिहास न केवल बनारस राज्य के निवासियों के लिये स्फूर्तिदायक होगा बल्कि सबके लिये पठनीय होगा जो भी इससे दिलचस्पी रखते हैं।"

लखनऊ
१–१२–४७

आपका
श्री कृष्णदत्त पालीवाल

———

काशी-राज्य के शिक्षा व खाद्यसचिव श्री वंशनारायणसिंह जी लिखते हैं—

काशी-राज्य कांग्रेस का इतिहास देखा, यद्यपि इस दिशा में शास्त्री जी का यह प्रथम प्रयास है तथापि राज्य में कांग्रेस संगठन विशेषतः कांग्रेस की ओर से किये गये विभिन्न आन्दोलनों तथा राज्य-सरकार द्वारा किये गये दमन आदि का यथावत चित्रण करने में शास्त्रीजी पूर्णतया सफल हुये हैं,……… ……

राज्य के नवनिहालों के लिये यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। वास्तव में इस पुस्तक द्वारा शास्त्री जी ने एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है।

रामनगर
१२–१–४८

वंशनारायण सिंह
शिक्षासचिव काशी-राज्य

———

काशी-राज्य के अर्थसचिव श्री गंगाप्रसाद खरे लिखते हैं—

"श्री बलराम पाण्डेय शास्त्री जी का काशीराज्य कांग्रेस का इतिहास पढ़ा। काशीराज्य की जनता के लिये यह पुस्तक एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति है, विभिन्न आन्दोलनों का चित्रण तथा मर्मस्पर्शी वर्णन करने में शास्त्री जी को पर्याप्त सफलता मिली है। चित्रों के कारण पुस्तक अत्यधिक आकर्षक हो गई है। शास्त्री जी का यह प्रयास सराहनीय है।"

रामनगर
१० जनवरी ४८

गंगाप्रसाद खरे
अर्थचचिव (काशीराज्य)

———

अनुक्रमणिका

---

* २६ सितम्बर सन् ४७ को प्रजातन्त्र की स्थापना हुयी थी, भ्रम से २७ अक्टूबर छपा है।

---

* चकिया में २३ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को चकिया कांग्रेस की स्थापना हुयी थी, भ्रमवश २३ अप्रैल छप गया है।

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या

जय हिन्द

प्राक्कथन

पूर्णमदः पूर्णं मिदम्, पूर्णात्पूर्णं मुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णं मादाय, पूर्ण मेवाव शिष्यते ।।

अतीत की घटनाओं तथा कार्यों का उल्लेख मानव जाति की राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक और धार्मिक उन्नति का साधन बनता है। अन्धों के लिये संसार में पग पग पर संकट का सामना करना पड़ता है, परन्तु लाठी के सहारे वह अगम संसार में भी अपने गन्तव्य मार्ग को टटोलता हुआ प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास से हमको अपने भविष्य निर्माण में हरेक प्रकार को सहायता प्राप्त होती है। इतिहास से हमको 'रामराज्य, तथा 'राजाराम' के कार्यों की महत्ता का पता लगता है। इतिहास हमें भारत के महान कर्ण-धारों की विजय कहानी सुनाता है। इतिहास एक ऐसा शास्त्रीय विषय है जो भूतकाल का सत्य स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित करता है, तभी हम इसके द्वारा वर्तमान कार्य-क्रम निश्चित करके अग्रसर होते हैं। यों सर्व विधि से हमारा भविष्य इतिहास ही पर निर्भर रहता है। इतिहास की जड़ इतनी मजबूत होती है कि मानव जाति जब तक भूमण्डल पर स्थित रहेगी वह तक अटल बनी रहेगी। इतिहास में पूर्वजों की उज्ज्वल कृतियाँ स्वर्णाक्षरों में अंकित रहती हैं। इतिहास किसी एक वंश की, जाति की, समाज की, प्रान्त की, तथा राष्ट्र की एकता का सत्य सत्य स्वरूप है जिसे हम प्रकट रूप में प्रतिदिन, प्रतिघड़ी, प्रति क्षण देखते रहते हैं। इतिहास ही हमें

यह बतलाता है कि हम कल क्या रहे ? और आज क्या हैं ? इतिहास से हमें, महाराज अशोक, विक्रमादित्य, सम्राट्-अकबर, महाराणा प्रताप का पता चलता है। एक बारगी हम अपने जाति पर और अपने देश पर गर्व करने लगते हैं। वह इतिहास का ही प्रभाव है।

इतिहास की सत्यता के आधार पर देश की उन्नति तथा अवनति अवलम्बित रहती है, जिस देश का इतिहास लुप्त हो जाता है स्वभावतः वह देश अवनति की ओर झुक जाता है, अतएव इतिहास की रक्षा, देश की रक्षा है और देश की रक्षा से राजा प्रजा की रक्षा, व्यक्ति तथा समाज की रक्षा, गरीब धनी की रक्षा कृषक तथा मजदूरों की रक्षा होती है। यों कहिये कि इतिहास की रक्षा से सब की रक्षा है, और इतिहास के बिगड़ने से ही राज्य, देश, समाज का विनाश सम्भव होता है अतः इतिहास की इतनी महत्ता पर ध्यान दे करके ही काशी-राज्य काँग्रेस के इतिहास को लिखने की प्रेरणा हुई है।

यह ध्रुव सत्य है कि काशी राज्य-कांग्रेस ने अपने जीवन के अल्प काल ही में राज्य सत्ता से अनेकों बार संघर्ष किया, उस संघर्ष में, राज्य कांग्रेस को विजय भी प्राप्त हुई अतएव उस पर प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी को गर्व होगा। क्योंकि थोड़े समय में राज्य कांग्रस ने पवित्र तथा ठोस संगठन करके राज्य-सत्ता को एक ऐसा ठोकर दिया कि उसे साम्राज्यवादी नीति को छोड़ना पड़ा, 'राजा' 'प्रजा' एक दूसरे को पहचान गये, शासक तथा शासित भाव का अन्त हो गया। काशी-राज्य कांग्रेस के बाल्यकाल में जो कुछ हुआ वह बहुत ही संतोषजनक हुआ क्योंकि उसके संगठन का प्रथम प्रहार था।

· काशी-राज्य-कांग्रेस के प्रारम्भिक-जीवन से काशी-राज्य में

श्री महाराजा विभूति नारायण सिंह द्वारा स्वीकृत उत्तरदायी शासन, एवं उसकी प्राप्ति, राज्य में मध्यकालीन सरकार की स्थापना आदि कार्यों तक का संक्षिप्त इतिहास लिखना, मेरी समझ से आवश्यक जान पड़ा। काशी राज्य कांग्रेस के साथियों ने हमारे उत्साह को बढ़ाने में सहयोग दिया। जिला कांग्रेस कमेटी चकिया ने अपनी ४ फरवरी सन् १९४६ ई० की बैठक में सर्व सम्मति से इतिहास-प्रकाशन के लिये मुझे उत्साहित किया। और इसी भांति काशी राज्य-कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक कार्य कर्त्ताओं की सदिच्छा का सहारा लेकर के ही मैं इतिहास लिखने में अग्रसर हुआ।

इतिहास की रचना के लिये मेरा यह प्रथम प्रयास है, अतएव सम्भव है, कुछ त्रुटि रह जाये, किन्तु इतिहास की पवित्रता और महानता तभी मानी जाती है, जब उसकी रचना सत्यता की भित्ति पर हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि काशी राज्य-कांग्रेस का इतिहास सत्य के आधार पर ही लिखा गया है। इसमें काल्पनिक बातों का तनिक भी उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि राज्य-कांग्रेस के सम्मानित नेता श्री रामनन्दनसिंह जो किसान सभा के समय से आज तक सक्रिय कार्य करते आये हैं, मुझे इतिहास लिखने में पूर्ण सहयोग दिये, अतएव हमें इतिहास की पूर्त्ति में उपर्युक्त सहयोग से सर्व विधि सत्यता का पुट प्राप्त हुआ।

काशी-राज्य कांग्रेस के इतिहास में 'काशी-राज्य, के इतिहास का भी संक्षिप्त वर्णन कर देना आवश्यक था, क्योंकि 'काशी-राज' तथा 'काशीराज्य' से काशीराज्य कांग्रेस का परम्परागत सम्बन्ध रहा है, और है। 'काशीराज्य के इतिहास का यहां पर विस्तार नहीं किया गया है, क्योंकि उसके विस्तार से इतिहास का

स्वरूप बड़ा हो जाता। अतः राज्य का संक्षिप्त वर्णन करना ही उपयुक्त समझा गया। राज्य के इस संक्षिप्त इतिहास को संचय करने में भी कई स्थानों पर भटकना पड़ा था। यों जैसे तैसे राज्य के संक्षिप्त इतिहास को यहां पर उद्धृत कर दिया गया है।

राजा, प्रजा का सम्बन्ध बड़ा ही पवित्र तथा मंगल मय होता है। भारतीय इतिहास ही नहीं किन्तु धार्मिक भारतीय ग्रन्थों ने भी 'राजा' और 'प्रजा' के पारस्परिक संबंध को बहुत ही अटूट तथा पावन बताया है। "प्रजा राजा के लिये नहीं, 'किन्तु "राजा प्रजा के लिये है"। राजा 'समाज' की तथा प्रजा की रक्षा के लिये है। 'समाज' समुदाय को कहते हैं। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये तथा उसे आदर्श पथ पर ले जाने के लिये ही समाज संगठित होता है, समाज के स्वतंत्रता की रक्षा के लिये तथा उसकी बुराइयों को मिटाने के लिये राज्य का संगठन होता है, राज्य एक महान व्यक्ति के आधीन इसलिए कर दिया जाता है कि उसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज की रक्षा होती रहे। सिद्धान्त भेद के अनुसार राज्य का भार व्यक्ति विशेष पर न रह कर एक प्रतिनिधि मण्डल के आधीन भी हो सकता है। प्राचीन भारत में इसकी परम्परा नहीं रही, पर जब किसी प्रकार का दोष राजा में आ जाता था तो प्रजा राजा को राज्य-च्युत भी कर देती थी। किन्तु आज के युग में एक व्यक्ति के हाथ में सम्पूर्ण शासन सौंप देने पर, राज्य में नाना प्रकार की त्रुटियाँ होने लगती हैं, इससे राज्य में 'क्रान्ति' की लहर उठने लगती है, धीरे धीरे महान 'क्रान्ति होकर व्यक्ति पर समुदाय का, (जिसका संगठित रूप समाज ही कहा जायेगा) अधिकार हो जाता है, और तब पुरानी परम्परा लुप्त हो जाती है। इसीलिए वर्तमान युग के लिए "प्रजातंत्रा-

त्मक" शासन ही उपयुक्त सिद्ध हुआ है और उसी शासन के लिये काशी राज्य-कांग्रेस ने अपना संगठन करके राज्य में 'येनकेन भाँति, प्रजातंत्रात्मक सत्ता पाकर उसे स्थापित किया, इससे राजा-प्रजा दोनों का कल्याण सिद्ध हुआ काशी-राज्य के इतिहास में, इस महान कार्य से 'सत्यं, शिवं सुन्दरम् दृष्टि गोचर होने लगा।

काशीराज्य का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। 'काशीराज' तथा 'काशी राज्य' की प्राचीनता शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। साथ ही काशीराज्य के राजा पराक्रमी तथा प्रजापालक होते आये हैं। पर क्रमशः हिन्दू राजाओं का ह्रास होता गया उससे काशीराज्य के भी राजा वंचित न रह सके। महाराजा श्री चेतनारायण सिंह ने जिनकी प्रजा वत्सलता, और उनका स्वाभिमान, व राष्ट्रप्रेम भारत के इतिहास में स्वर्णांकित है। अपना वह भाव प्रगट कर दिया था, कि एक बार अंग्रेजों को महान आश्चर्य में पड़ जाना पड़ा। यद्यपि अग्रेजों के पास महान शक्ति थी किन्तु महाराजा में राजपूती बल था जिससे महान शक्ति की तनिक भी परवाह नहीं किया। और महाराजा ने अग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था, इससे उनके अभिमान और शौर्य का पता लगता है। उन्होंने अन्याय और शोषण को मिटाने के लिये ही यह कार्य किया था यदि उन्हें और भारतीय राजा सहाय्य प्रदान किये होते, और वह अपने उस पवित्र कार्य में सफल हुये होते तो आज का इतिहास कुछ और होता किन्तु असफल होकर भी महाराजा * चेतसिंह ने भारत के महान गौरव को बढ़ाया था। और उनकी क्रान्तिकारी प्रेरणा से भारत की 'क्रान्ति' सफल होने को

* श्री चेतनारायणसिंह का नाम इतिहासों में चेतसिंह ही प्रसिद्ध है।

अग्रसर हुई थी। वही महाराजा श्रीचेतसिंह जो—काशीराज्य के एक शासक रह चुके थे। आज हम भारतीय उन पर गर्व करते हैं। परन्तु अभाग्य वश उनके हाथ से राज्य का शासन सूत्र गौराङ्ग महा प्रभुओं की कूटनीति से दूसरों के हाथ में चला गया और तभी से काशीराज्य की महत्ता का लोप होने लगा। 'राजा' 'प्रजा' का परस्पर प्रेम लुप्त हो गया और वह प्रेम शासक तथा शासित की कठोरता में परिणित हो गया सन् १९११ ई० की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रजा पर शोषण तथा उत्पीड़न का नग्न ताण्डव प्रारम्भ हो गया। अनेकों भांति के करों के असह्य बोझ के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी थी। सहन की भी सीमा होती है, राज्य की ओर से अत्याचार बढ़ता गया, प्रजा के कुछ प्रमुख जनों ने राजा तथा राज्य के अधिकारियों से प्रार्थना किया पर कर्मचारियों की कुटिल नीति के कारण वे अपने कार्य में असफल रहे। सन् १९२१ ई० में काशी राज्य में किसान सभा संगठित हुई जिसमें चकिया और भदोही दोनों जिलों के उत्साही सज्जनों ने भाग लिया, किसान सभा अपने प्रयत्नों द्वारा राजा का ध्यान प्रजा के दुखों की ओर आकृष्ट किया। किसानसभा के लोग संगठित रूप से कार्य किये, परन्तु राज्य के 'दमन' नीति के आगे 'सभा' पूर्ण सफल न हो सकी थी। सभा के कार्य कर्त्ताओं में कुछ जेल गये, कुछ की मृत्यु हो गयी, कुछ राज्य द्वारा फेंके गये लोभ की जाल में फंसे, यों राज्य के अधिकारी जन अपनी नीति में सफल रहे। किसान सभा का विशेष कार्य चकिया में ही होता रहा तथा नहर रेट का मामला लेकर चकिया में आन्दोलन भी हुआ था। भदोही की प्रजा का प्रतिनिधित्व करने के लिये 'प्रजा परिषद' स्थापित हुई थी।

परिषद् में विभिन्न मत के लोग थे, फिर भी कुछ दिनों तक परिषद् का संगठन चला, पर अन्त में वह भी तितर वितर हो गया।

चकिया की किसान सभा तो समाप्त प्रायः हो गयी परन्तु किसान सभा के कार्य कर्त्ता श्री रामनन्दनसिंह जी जेल से बाहर आकर कुछ ही दिनों तक किंकर्तव्य रहे। समय बदलता रहता है। प्रान्तों में कांग्रेस का मंत्रि मण्डल स्थापित हो गया था। श्री रामनन्दनसिंह बाहरी दुनियां की जागृति और काशी-राज्य की सुसुप्ति से चिन्तित हो गये। "देश सेवा" की लगन उन्हें हाथ पर हाथ रख कर न बैठने के लिये बाध्य कियां परन्तु उन्हें साथियों के सहयोग की आवश्यकता थी, श्री बेचनराम हरिजन उनके पुराने परिचित थे और उत्साही युवक थे साथ ही श्री गुप्तेश्वर पाठक गांव के शिक्षित तथा उत्साही युवक थे जिनसे श्री रामननन्दनसिंह को सहयोग प्राप्त हुआ, वे तीनों व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके सर्व प्रथम चकिया में कांग्रेस की स्थापना कर ही डाले।

चकिया कांग्रेस की स्थापना में संयुक्त प्रान्त के माननीय नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी तथा श्री जगतनारायण दूबे, श्री देवमूर्ति शर्मा जी जो बनारस जिला कांग्रेस के पदाधिकारी थे, चकिया में कांग्रेस की स्थापना कराने में पूर्ण सहयोग किये। चकिया में कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ ऐसे नवयुवकों का संगठित दल बना जो कि थोड़े ही दिनों में अन्याय से संघर्ष करने के योग्य हो गया चकिया में कांग्रेस का संगठन थोड़े ही दिनों में इतना अधिक बढ़ा कि उसका रूप भदोही में तथा रामनगर में भी स्थापित हो गया। भदोही में सर्व प्रथम कांग्रेस की स्थापना में भदोही के स्थानापन्न वकील श्री गंगा प्रसाद

खरे, श्री हृदयनारायणसिंह 'बघेल' श्री जंगबहादुर सिंह बघेल श्री दयाशंकर दूबे, श्री राजेश्वरी प्रसाद आदि लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। रामनगर में वहां के वकील श्री शत्रुघ्न प्रसाद, श्री भगवती प्रसाद अष्ठाना तथा श्री कृष्णदेव उपाध्याय 'वकील' आदि सज्जनों ने उत्साह तथा निर्भीकता से कांग्रेस स्थापना में सहयोग किया था। तीनों कमेटियों ने काशी-राज्य-कांग्रेस का रूप धारण किया। काशी-राज्य-कांग्रेस के इतिहास के लिये यह अवसर आज प्राप्त हुआ कि उसके कार्यों का दिग्दर्शन किया गया। इतिहास प्रकाशन तक के हा कार्यों का वर्णन करके ईश्वर से प्रार्थना है कि काशी-राज्य कांग्रेस में और उसके भावी जीवन में दिनों दिन सफलता प्राप्त हो ताकि इतिहास का परिवर्धित संस्करण महान विजय को अध्यायों से पूर्ण हो।

इतिहास लिखने में मुझे जिन सहयोगियों ने सहयोग दिया है तथा प्रकाशन में सहायता पहुँचायी, उनका मैं ही नहीं काशी राज्य कांग्रेस भी कृतज्ञ है। काशी-राज्य कांग्रेस का यह प्रथम इतिहास पाठकों को सेवा में प्रस्तुत है सम्भव है कि इसमें कुछ दोप आ गया हो, किन्तु पाठकों की सूचनानुसार द्वितीय संस्करण में उस दोष को हटाने का प्रयत्न किया जायेगा जिसे पाठक गण उचित समझेंगे।

काशी राज्य-कांग्रेस से अखिल भारतीय कांग्रेस का परम्परया आमूल सम्वन्ध है, किन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस का इतिहास वहुत बड़े विद्वान की लेखनी से लिखा जा चुका है, और उसका यहां पर लिखना उपयुक्त भी न होता अतः उसका यहाँ नाममात्र भी वर्णन नहीं किया गया है।

हम यह कहे विना रह भी नहीं सकते कि भारत के हृदय सम्राट पं० जवाहरलाल नेहरू ने काशी-राज्य-कांग्रेस को

हृदय से अपनाया और काशी राज्य के शासन की त्रुटि को देख उसमें हस्तक्षेप भी किया, फल स्वरूप पंडित जी को चकिया में होने वाले जंगल सत्याग्रह को बन्द करवा कर, १० फरवरी सन् १९३८ ई० को चकिया पधार कर, राज्य की जनता को पूर्ण सहयोग देना पड़ा। दूसरे दिन भदोही जिले में भी आपको जाना पड़ा था। और इस प्रकार कई वार काशी राज्य में जाकर राज्य कांग्रेस के वल को आप वढ़ाते गये, अपने मुंह से पंडित नेहरू जीने कई वार कहा कि काशी राज्य कांग्रेस के संगठन से मैं संतुष्ट रहता हूँ।

काशी-राज्य-कांग्रेस के आन्दोलनों में महात्मा गान्धी जीका आशीर्वाद और देश गौरव श्री सुवासचन्द्र वोस की प्रेरणा भी समय-समय पर प्राप्त हुई है, अतः अखिल भारतीय कांग्रेस से काशी राज्य कांग्रेस का सम्वन्ध जनक-जन्य का है।

जय हिन्द

हरि प्रवोधिनी
सम्वत् २००५

वलराम पाण्डेय शास्त्री,
मसोई—चकिया, काशी राज्य।

काशी राज्य

का

इतिहास

जय हिन्द

प्रथम-अध्याय

काशीराज्य का प्राथमिक इतिहास

शास्त्रीय दृष्टि से काशीपुरी के अधिपति भगवान शंकर जी ही माने जाते हैं, किन्तु काशी राज्य का ऐतिहासिक सम्बन्ध भी शास्त्रीय परम्परा से पूर्ण आवद्ध है। "काशीपुरी", "काशी-राज", 'काशी राज्य' का जहां तक ऐतिहासिक सम्बन्ध है, उस परम्परा को अध्ययन करने से यह अवगत होता है, कि 'काशी' नगरी की स्थापना के पश्चात 'काशी राज्य' का नाम करण हुआ और मानवराज स्थापित होने पर 'काशीराज' काशीपुरी के शासक के लिये कहा गया होगा। हमें हिन्दू शास्त्रों से काशीराज्य, काशिराज का विवरण भी प्राप्त होता है, क्योंकि 'महाभारत' के महान युद्ध में 'काशीराज' भी सम्मिलित हुये थे, अतः हम बिना ननु नच किये यह स्वीकार कर लेते हैं कि महाभारत काल से पूर्व काशीराज्य स्थापित हो गया था। शास्त्रों के पर्यालोचन से काशी के, राजाओं की पूर्व वंश परम्परा भी यहां दी जा सकती थी किन्तु उसकी कोई आवश्यकता समझ कर उल्लेख यहाँ नहीं किया गया।

काशी राज्य के राज्य-सिंहासन पर वंश परम्परानुसार कई वंशों के राजा आरूढ़ होते आये हैं। काशीराज्य की गद्दी पर किसी वंश विशेष का अधिकार रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है। समय समय से योग्यतानुसार इस राज्य सिंहासन पर बहुत से राजा आसीन होकर शासन कर चुके हैं। किन्तु

इस स्थल पर महाराज श्री मनसारामसिंह जो अट्ठारहवीं शदी में काशीराज्य की गद्दी पर बैठे, उस समय के वाद से आज के समय तक अर्थात् महाराजा श्री विभूति नारायणसिंह जी के सिंहासनारूढ़ काल तक का वर्णन किया गया है। महाराजा विभूतिनारायण सिंह जी के वंश से और महाराज मनसाराम सिंह के वंश से वंश-परम्परा येन केन भांति मिलती है।

अट्ठारहवीं शदी में काशीराज्य की सीमा न्यून अंशों में ही सीमित थी, मुगल काल का युग था, मुगलों की छत्र-छाया काशीराज्य पर भी व्याप्त थी। उस समय मुगलों द्वारा काशी का राज्य भार एक जागीर रूप में वुरहानुल्मुल्क नामक एक मुगल को प्रदान किया गया था। वुरहानुल्मुल्क उस समय काशी में न रह कर सुदूर-दक्षिण प्रान्त में रहता था। काशी का प्रवन्ध उससे हो न सका अतः उसने काशी का प्रवन्ध भार अपने अभिन्न कृपापात्र अवध के नवाव, नवाव वजीर को सौंप दिया था। नवाव वजीर ने अपने निजी मीर रुस्तम को काशी का चकलेदार बना दिया, साथ ही, वनारस, गाजीपुर, जौनपुर चुनार, की जागीरों को भी ८ लाख रुपया सालाना आय के ऊपर वन्दोवस्त कर के सौंप दिया था।

नवाव लोगों में विलासिता का जो रंग सवार हुआ वह उनके सहवर्गियों में भी व्याप्त होने लगा और उस रोग से मीर रुस्तम भी वच न पाये नित्य शराव खोरी व्यभिचार के कारणों से रुस्तम अली का भी पतन होने लगा था। इतना ही नहीं, इन वुराइयों में मीर रुस्तम के सभी कर्मचारी भी लिप्त हो चले थे किन्तु यदि कर्मचारी वर्ग में कोई वचा था तो केवल श्री मनसारामजीही ऐसे व्यक्ति थे जो कमल, पत्रवत् उस समाज में रह गये थे। श्री मनसारामजी गंगापुर के रहने वाले गौतम गोत्रीय

भूमिहार ठाकुर थे। अन्त में पापों का भण्डा फोड़ होकर के ही रहा सन् १७३४ ई० में रुस्तम अली के कारनामों की शिकायत दिल्ली तक पहुँच गयी। बादशाह ने बुरहानुल्मुल्क से जवाब मांगा। और बुरहानुलमुल्क ने इसकी सूचना नवाब वजीर को दी, इस कारण से नवाब साहब रुस्तम अली पर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये। रुस्तम साहब के हिसाब किताब में भयानक गड़बड़ी देखकर नवाब ने अपने भाई को सेना सहित काशीपुरी की ओर रवाना किया।

नवाब के आगमन का समाचार जानकर मीर साहब का होश ठिकाने न रहा। उसने यह समझ लिया कि हमारे कर्मचारी वर्गों में सब पतित हैं। केवल श्री मनसारामजी ही ऐसे सचरित्र और उद्भट्ट व्यक्ति थे जिनके ऊपर मीर रुस्तम को विश्वास हुआ। उसने श्री मनसाराम जीको नवाब से बात चीत करने को भेजा। उन्होंने नवाब से बात चीत करके अपना कार्य सम्पन्न कर लिया। परन्तु पतित मीर के अन्य कर्मचारी गण मीर के पास श्री मनसारामजी के विरुद्ध वातावरण पैदा करने के लिये झूठी-झूठी बातें बना करके उपस्थित करने लगे। उनकी चाल से कृतघ्न मीर ने, पद-च्युति की आज्ञा श्री मनसाराम जीके निकट भिजवा दिया। श्री मनसारामजी का बीर हृदय इस कृतघ्नता से ज़ल उठा। नवाब भी मीर के विरुद्ध था ही और अन्तो गत्वा यह फल हुआ, कि बीर मनसाराम जी सन् १७३९ ई० में मई के महीने में सूबेदार की हैसियत से काशी नगरी में पदार्पण किया। तभी से वर्तमान काशी राज्य की भूमिका का निर्माण हुआ, और श्री मनसाराम जीने की वंश परम्परा राज्य के शासक रूपमें अवतरित हुई। श्री मनसारामसिंहजी अमर रहेंगे और उनकी वंशावलि भी अमर रहेगी। श्री मनसाराम सिंहजी

काशीपुरी के 'राजा' वन गये। परन्तु अधिक दिनों तक वह इस लोक में न रह सके। एक वर्ष शासन करने के बाद, उसका काशी लाभ हो गया।

महाराजा बलवन्त सिंह

राजा मनसाराम जी के बाद उनके सुयोग्य वीर पुत्र श्री बलवन्त सिंह जी काशी राज्य के सिंहासन पर आसीन हुये। राजा बलवन्त सिंह अपने वंश में महान प्रतापी राजा हुये। राज्यारूढ़ के समय उनकी राज्य स्थिति वड़ी वेढंगी थी। मुसलमान शासकों के पतन का समय था। उनकी राजनीति नीचता पूर्ण चल रही थी। मीर रुस्तम लखनऊ पहुँच कर नवाव वजीर को श्री बलवन्त सिंह के विरुद्ध बहुत ही झूठे आरोप लगाये थे। और इधर गौराङ्ग महाप्रभुओं का शासन प्रारम्भ हो गया था। लार्ड क्लाइव का रंग भारत की राजनीति में चढ़ने लगा था। इस्टइण्डिया कम्पनी और नवाव वजीर के साथ परस्पर संघर्ष में महाराजा ने कम्पनी का साथ दिया। फलस्वरुप एक सन्धि पत्र तैयार किया गया, जिसमें कम्पनी ने यह शर्त रखी कि राजा बलवन्त सिंह जी के शासन में मीररुस्तम अली या नवाव वजीर, किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेंगे। नवाव की सेना ने युद्ध में गङ्गा पुर का किला ध्वस्त कर दिया था। और इसके फलस्वरूप में महाराजा बलवन्त सिंह जी ने काशी पुरी के पास गङ्गा के पूरब तट पर रामनगर में एक किला का निर्माण कराया जो अबतक काशी नरेशों के निवास के लिये बना हुआ है। महाराजा बलवन्त सिंह जी ने अपने वाहुबल तथा नैतिक बल के आधार पर ही प्रख्यात ९६ परगनों का विशाल राज्य आधीनस्थ किया। जिसमें भदोही, चकिया, लतीफपुर, सरिंगा, पतीता,

आदि प्रमुख स्थान भी थे वर्तमान समय में केवल, भदोही, चकिया, नौगढ़ और रामनगर के समीपस्थ प्रदेश ही राज्य के आधीन हैं। हमें उन ९३ परगनों की स्मृति बनी हुई है। हम सर्वदा इस प्रयत्न में रहेंगे, कि हमारा काशीराज्य पूर्व की भांति विशाल प्रदेश बन जाय। यों हम ९३ परगनों वाला प्रदेश जो आज दिन काशी राज्य की सीमा से बाहर है, उसे भी काशी राज्य में मिलाने के लिये प्रयत्न करेंगे क्यों कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी नीति के बल पर काशी राज्य की सीमा से ९६ परगनों में ९३ परगनों को हड़प लिया था। किन्तु अब भारत स्वाधीन हो गया है यहां साम्राज्य वादी नीति का अन्त हो गया है, अतः काशी राज्य के प्राचीन ९३ परगना काशी राज्य की सीमा और शाशन में अवश्य सम्मिलित होना चाहिये।

डोभी की दुर्घटना

महाराजा बलवन्तसिंह जी के शासन काल में एक भयानक घटना हुई थी। यह सुना जाता है कि डोभी रघुवंशी क्षत्रियों का सुदृढ़ गढ़ था, उसपर अधिकार करने या उसे अपने आधीनस्थ करने के निमित्त राजा बलवन्त सिंह जी ने अपने चाचा को वहां भेजा था, एक दिन जब महाराजा प्रातः काल दातून कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके चाचा का मस्तक उनके सम्मुख उपस्थित किया गया। बस ! वीर महाराजा ने तत् क्षण यह प्रतिज्ञा की कि विना प्रतिकार किये अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। सेना तुरन्त शत्रु प्रदेश की ओर चली। गङ्गातट पर पहुंचने के बाद महाराजा से एक ब्राह्मण देवता ने यह कहा कि महाराज, सेना ने भी आप के प्रतिज्ञानुसार अन्न जल न ग्रहण

करने की प्रतिज्ञा कर ली है, और प्यासी, भूखी सेना, समर में नहीं डट सकती। अतः कृपा करके आप गङ्गाजल और गो दुग्ध का पान करें। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और प्रतिज्ञा भंग भी न होगी। महाराजा ने ब्राह्मण देवता को आज्ञा माना, और तदनुसार सेना ने भी दुग्ध पान, तथा गङ्गाजल पान किया। और सवल बन कर, राजपूतों के ऊपर आक्रमण कर दिया। महाराजा के सैन्य दल के आगे राजपूती सेना नगण्य थी किन्तु सरदार भीमसिंह बड़े वलवान थे। उनके पास भी भीमगदा नामक एक तलवार थी, जिससे उन्होंने महाराजा पर आक्रमण किया। किन्तु सरदार वैजनाथसिंह की बुद्धिमानी से वह वार खाली गया। भीमसिंह धराशायी वन गये और उसी समय महाराजा के आक्रमण से इस लोक से विदा हो गये। सरदार के मर जाने पर शत्रु का सैन्य दल तितर-वितर हो गया। उस युद्ध में प्रायः सभी राजपूत मारे गये। अन्त में सन्धि प्रस्ताव क्षत्राणियों को ओर से हुआ। (यह कहावत सुनने में आती है)। महाराजा ने सरदार की कन्या पन्ना कुंवर को अपनी रानी भी वना लिया। और रानी पन्ना कुंवर के गर्भ से इतिहास प्रसिद्ध महाराजा चेतनारायणसिंह का जन्म हुआ था। महाराजा की सजातीया रानी गुलाब कुंवर के गर्भ से पद्‌म कुंवर नामक वालिका उत्पन्न हुई और उसका विवाह नरहन के राजा श्री दिग्‌विजय सिंह जी से हुआ। यह भी सुना जाता है कि महाराजा ने अपने भतीजे श्री मनियार सिंह को दत्तक पुत्र स्वीकार किया था। सन्‌ १७७० ई० में महाराजा की मृत्यु हो गयी। और जब मणिकर्णिका घाट पर आपका दाह संस्कार हो रहा था, उसी समय श्री औसान सिंह जी की सहायता से श्री चेतनारायण सिंह सिंहासनारूढ़ हो गये।

महाराज चेतनारायण सिंह

श्री मनियारसिंह के मुकाबिले में राजा हो जाने पर श्रीचेतनारायणसिंहजी अपने राज्यपद को स्वीकृत कराने के लिये, नवाब वजीर और इस्ट इण्डिया कम्पनी के पास आवेदन-पत्र भेजवा दिया था। राजा बलवन्त सिंह अंग्रेजों के मित्र थे ही, कम्पनी को इस आवेदन-पत्र की स्वीकृति में तनिक भी सन्देह न हुआ। नवाब वजीर ने भी स्वीकृति दे दी। महाराज को स्वीकृति तो प्राप्त हो गयी लेकिन, राजनीति के सामने उनकी त्रुटी ही सिद्ध हुई। कारण यह था कि महाराज बलवन्त सिंह कम्पनी से मित्रवत् आचरण करते थे, किन्तु महाराज चेतनारायण सिंह कम्पनी के आधीनस्थ हो गये। अन्त में अंग्रेजों को महाराज चेतनारायण सिंह को परेशान करने और बार, बार रुपया ऐंठने का अवसर प्राप्त हो गया।

अंग्रेजों की कुटिलता

अंग्रेज जाति अपनी कुटिलता, और भेदनीति में प्रख्यात थी ही, भारतीय नरेशों के ऊपर धीरे २ अपनी माया जाल फेंकना प्रारम्भ कर दिया। इस्टइण्डिया कम्पनी ने अपने चालों से भारतीय नरेशों के शासन में उलट फेर करना प्रारम्भ कर दिया। पद लोलुप देशी नरेश अंग्रेजों के चक्कर में परेशान होने लगे। रुपया ऐंठने के बहाने से किसी राजा में कोई दोष, किसी में कोई भेद, लगा कर सभी आधीनस्थ देशी रजवाड़ों को कम्पनी ने महान कष्ट दिया। किन्तु महाराज चेतसिंह उन पामरों में न थे जो अँग्रेजों की ठकुर सोहाती करते। महाराज चेतसिंहजी वीरात्मा थे। उनकी धमनियों में राजपूती रक्त था। अपमान को चेतसिंह नहीं सह सकते थे।

उस समय भारत का कुख्यात गवर्नर लार्ड हेस्टिंग्ज था। जिसने अपने काले कारनामों से अंग्रेजों द्वारा शासित भारत के इतिहास में और भी कालिख पोता था। अंग्रेजों की कुटिल नीति से भारतीय प्रजा में विद्रोह की भावना जागृत होने लगी थी। श्री महाराज चेतसिंह भी अंग्रेजो को हटाने के लिये उपाय शोचने लगे थे, किन्तु परिस्थिति उपयुक्त न मिल सकी थी। लार्डहेस्टिंग्ज ने महाराज चेतसिंह को बहुत परेशान किया, कई बार रुपये ऐंठे और अन्त में ५० लाख रुपया माँगा। इतना ही नहीं रुपया वसूली के लिये स्वयं काशी आया था। दिवान औसानसिंह लार्ड हेस्टिंग्ज से मिल गये। महाराज के सामने बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गयी। रुपया देना सम्भव नहीं था और रुपया न देने पर युद्ध ही उपस्थित हो गया। गंगाजी उस समय बढ़ी हुई थीं, महाराज शिवालाघाट काशी के महल में रहते रहे, उन्हें गिरफ्तार करने के निमित्त अंग्रेजों की फौज आयी। महाराज के सिपाहियों से और अंग्रेजों से झगड़ा होजाने पर कुछ अंग्रेजी फौज के आदमी मारे भी गये। महाराज दूसरी उपाय न देख खिड़की से कूद ग्वालियर महाराज के पास चले गये। अंग्रेजों के लिये उत्तम औसर प्राप्त हो गया, महाराज बलवन्तसिंह के पौत्र श्री महीप नारायणसिंह जो, काशीराज्य की गद्दीपर बिठलाये गये। यों महाराजा चेतसिंह जी का अधिकार छिना गया और उनके राज्य अधिकार को श्री महीपनारायण सिंह को दे दिया गया। अंग्रेजों की "विभाजन करो" की नीति सफल सी होगयी। महाराज चेतसिंह जी के साथ अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अन्याय किया। प्रसिद्ध ९६ परगनों में से केवल दो परगने का शासन श्री महीप नारायणसिंह को दिया गया।

श्रीमहाराज चेतसिंह का शासन सन् १७७० से ८१ ई०, तक काशीराज्य पर रहा।

लार्डहेस्टिंग्ज की काली करतूत

लार्ड हेस्टिंग्ज ने अपने समय में बहुत ही बड़े बड़े अनर्थ किये थे। महाराज चेतसिंह के साथ घोर अन्याय, सर्व प्रथम था। दुष्ट हेस्टिंग्ज ने बेचारे नन्दकुमार को फांसी दिला कर तथा अवध की बेगमों की बेइज्जती करके इतिहास में अपने कुकृत्य के कलंक से एक अमीट धब्बा लगा दिया। बृटिश पार्लियामेंट में हेस्टिंग्ज की काली करतूतों का भण्डाफोड़ किया गया। दिखलाने के लिये पार्लियामेंट में हेस्टिंग्ज दोषी ठहराया गया किन्तु अन्ततोगत्वा न्यायार्थं सुनवाई, पार्लियामेंट में नहीं हुयी। हेस्टिंग्ज के हथकण्डों में फंसकर महाराज श्री महीप नारायणसिंह ने पूर्व, पर का ध्यान नहीं किया। और इससे ९४ परगनों का शासन अंग्रेजों के हाथ में पूर्ण रूप से चला गया। लन्दन की पार्लियामेंट ने महाराज चेतसिंह को निर्दोष तो प्रमाणित किया किन्तु महाराज महीपनारायणसिंह के साथ हुई सन्धा के अनुसार, महाराज चेतसिंह राज्य के अधिकारी न हो सके। बाद में भी काशीराज्य के गद्दी का अधिकारी महीप नारायणसिंह के ही वंशज माने गये, क्योंकि संधी-पत्र में इसका भी उल्लेख किया, गया था। यों ९६ परगनों का शासन हटकर केवल भदोही, चकिया और नौगढ़ काशीराज्य के शासन में अवशिष्ट रह गये। महाराज चेतसिंह जी काशीराज्य के शासकों में वह स्थान प्राप्त कर गये जिन्हें, भारतवासी कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आपने उस क्रांति को जागृत किया, जिसने सन् १८५७ ई०

में अपनी एक भयानक चिग्घाड़ में हजारों अंग्रेजों को यमपुर भेज दिया और पुनः वह रूप सन् १९४२ ई० के अगस्त में ही प्रगट हुआ था, जिसका प्रतिबिम्ब भारत के क्रान्तिकारी नेता श्री सुवासचन्द्र बोस पर भी पड़ा जो सुदूर-पूर्वी प्रान्त में थे। सन् ४२ की क्रान्ति से ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अतः महाराज चेतसिंह भारत के क्रान्तिकारी नेता भी कहे गये, हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। महाराज चेतसिंह का शासन भी उत्तम रहा, उन्होंने अपने शासन काल में बहुत से भवन और देवमन्दिरों का भी निर्माण कराया था; जो आज भी वर्तमान हैं। महाराज महीपनारायणसिंह जीको तीन पुत्र थे १ उदितनारायणसिंह, २ दीपनारायणसिंह, ३ प्रसिद्धनारायणसिंह।

महाराजउदितनारायण-सिंह

सन् १७९५ ई० में महाराज महीपनारायण सिंहका स्वर्गवास होगया। महाराज महिपनारायणसिंह के बड़े लड़के श्री उदितनारायणसिंह, सिंहासनारूढ़ हुये। महाराज उदितरायण सिंह धार्मिक राजा थे, उन्होंने ही रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला प्रारम्भ कराया, जो अब तक होती है। महाराज उदितनरायनसिंहजी साहित्य प्रेमी थे आपने दो लाख रुपया खर्च किया था, जिससे सचित्र मानस की प्रतिलिपि तैयार हुई जो आज भी दर्शनीय है। आपकी मृत्यु सन् १८३५ ई० में होगयी।

महाराज ईश्वरीनारायणसिंह

महाराज उदितनारायण सिंह के बाद महाराज, ईश्वरी नारायण सिंह काशी के राजा हुये, आप महाराज उदित-

नारायणसिंह के दत्तक-पुत्र थे और श्री प्रसिद्ध नरायणसिंह के पुत्र थे। महाराज ईश्वरीनारायण सिंह संस्कृति-सम्पन्न पुरुष थे। आपके राज्य-दरबार में विद्वानों, कवियों, एवं कुशल कला-कारों और चतुर नीतिज्ञों का विशेष आदर होता था। आप भी विद्वान थे, किन्तु आप निःस्तान होने के कारण दुखी भी रहते रहे। सन् १८५७ ई० में जो क्रान्ति हुई थी, आप उस समय जीवित थे। आपने अपने भाई श्रीनरनारायणसिंह के लड़के श्री प्रभु नारायणसिंह को दत्तक पुत्र बनाया। सन् १८८९ ई० में महाराजा ईश्वरी नारायणसिंह का भी देहावसान होगया।

महाराज श्री प्रभुनारायण सिंह

महाराज प्रभुनारायणसिंह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। आपने नाटक आदि कई ग्रन्थों की रचना भी किया। शारीरिक बल और निशाने बाजी के लिये आप प्रसिद्ध थे। आपका विद्या प्रेम प्रशंसनीय था। महामना श्री पं० मदन मोहन मालवीयजी के प्रेरणा से आपने हिन्दूविश्व-विद्यालय के लिये धन संग्रह में महान सहयोग किया। और हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिये, हि० वि० विद्यालय की भूमि आपने दान दिया, जो कई गांवों की आबादी हटाकर के विश्वविद्यालय निर्माण के लिये बनायी गयी। यह दान आपका अमर दान कहा जायेगा। आपने इस भूमि के दान मे महामना मालवीयजी का उत्साह बढ़ा दिया, जिससे महामना ने विश्वविद्यालय की विशाल नगरी का निर्माण किया। महामना

म० मालवीयजी

जी आपकी बड़ाई अपने जीवन भर (प्रसंग आने पर) करते रहे। काशीराज्य के लिये यह महान गर्व की बात है। महाराज ने हिन्दूस्कूल के पास का चोर महल भी विश्वविद्यालय को दान कर दिया। महाराज प्रभुनारायणसिंह के सिंहासनारूढ़ के बाद से राज्य का इतिहास ही परिवर्तित हो गया। महाराजके समय से राज्य का शासन सूत्र बदल गया

अंग्रेजों की दुरभि-सन्धि

सन् १९११ ई० में महाराज प्रभुनारायण सिंह जी अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्र घोषित किये गये। और इन्हें चकिया, भदोही तथा उन समीपस्थ गावों का शासन, जो राजधानी के पास है सौंप दिया गया। यह स्वतंत्रता केवल दिखावटी थी क्योंकि एक अंग्रेज रेजिडेन्ट के अधिकार में काशीराज्य का शासन, सूत्र सुरक्षित रखा गया, रेजिडेन्ट की देखरेख में राजा को राज्य का शासन-अधिकार दिया गया था। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से गौराङ्गों का शासन और दिखावटी रूपमें माहाराज का शासन चलने लगा। महाराज के शासन के समय में सबसे महत्व पूर्ण कार्य सन् १९११ ई० की घोषणा कही जाती है, जो कि बहुत ही त्रुटि पूर्ण थी। उस घोषणा में महाराज को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। फिर भी महाराज ने समय की गति को देख उसे स्वीकार ही किया था। पाठकों को उस घोषणा की प्रत्येक धाराओं से परिचय के लिये उसे संक्षिप्त रूप में प्रकाशित कर देना उचित समझा गया।

सन् १९११ ई० में प्राप्त 'अधिकार पत्र'

(१) १ अप्रैल सन् १९११ ई० से महाराज प्रभुनारायण सिंह जी, सी, आई, ई, काशीराज्य के शासक होंगे।

(२) महाराज का सम्मान उनके पूर्वजों की भांति होगा। और आपको युक्त प्रान्त के गवर्नर द्वारा एक लाख रुपया प्रति वर्ष मिलेगा।

(३) महाराज और उनके उत्तराधिकारियों को काशीराज्य के शासन का तब तक अधिकार होगा, जब तक वे घोषणा पत्र की शर्तों को पूरा करेंगे।

(४) शासकों का उत्तराधिकार, वंश परम्परा से होगा चाहे वह रक्त के सम्बन्ध से हो या वे गोद लिये गये हों, उत्तराधिकार के लिये सपरिषद् गवर्नर जेनरल की स्वीकृति आवश्यक है।

(५) महाराज और उनके उत्तराधिकारियों को बृटिश सरकार के प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा।

(६) काशी राज्य के शासकों को प्रति वर्ष बृटिश सरकार के लिये एक लाख, नव्वे हजार रुपया देना होगा।

(७) काशी राज्य के शासक युक्त प्रान्त के गवर्नर के स्वीकृति के बिना शस्त्रास्त्र का आयात, और निर्माण न कर सकेंगे।

(८) काशी राज्य के शासक युक्त प्रान्त के गवर्नर के स्वीकृति बिना, सैनिक सामग्री का आयात, निर्यात, निर्माण भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिये भी स्वीकृति लेनी होगी।

(९) आन्तरिक व्यवस्था तथा महाराज के सेना की बृद्धि के लिये नियुक्त सेना का कार्य प्रान्त के गवर्नर के निर्देश से चलेगा।

(१०) काशी राज्य के शासक किसी दूसरे राज्य के मामले को न देखेंगे, और दूसरे राज्यों के साथ पत्र व्यवहार

करने के लिये, पहले से अनुमति लेनी होगी तथा वह अनुमति युक्त प्रान्त के गवर्नर द्वारा प्राप्त होगी।

(११) किसी विदेशी (भारत से अन्य देशीय व्यक्ति) को राज्य में नौकरी देने के लिये, और अपने राज्य के किसी व्यक्ति को विदेश में नौकरी करने के लिये, भेजने को, प्रान्तीय गवर्नर की अनुमति लेनी होगी।

(१२) काशीराज्य में भारत सरकार की मुद्रा चलेगी दूसरी मुद्रा नहीं।

(१३) तार, रेल तथा अन्य सार्व जनिक कार्यों के लिये आवश्यंक भूमि सरकार को देनी होगी, जिसके बदले में मूल्य मिलेगा।

(१४) जबतक यह राज्य बृटिश प्रदेश बना रहेगा, यहाँ डाक तार की प्रणाली बृटिश सरकार के आधीन ही चलेगी।

(१५) राज्य में बृटिश प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फौजदारी तथा दिवानी न्यायालयों के वारण्ट, सम्मन आदि के लागू होने के लिये स्वीकृति देनी होगी।

(१६) बृटिश भारत में अपराध कर आये हुये लोगों को, गिरफ्तार करने में सहयोग करना होगा।

(१७) सरकारी नौकरी तथा यूरोपियनों के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार प्रान्त के गवर्नर को होगा।

(१८) आबकारी, अफीम, नशीले पदार्थ, नमक तथा पोस्ते की खेती के लिये गवर्नर की इच्छानुसार चलना होगा।

(१९) संयुक्त प्रान्त में चालू कानून के अनुसार ही शासन करना होगा।

(२०) गवर्नर के अनुमति बिना उस शासन प्रणाली में कोई परिवर्तन न किया जा सकेगा।

(२१) मालगुजारी, बन्दोवस्त की निश्चित, अवधि तक अथवा नये बन्दोवस्त तक जारी रहेगी।

(२२) कोई बृटिश प्रजा, जो इस घोषणा पत्र के पहले कोई भूमि या सम्पत्ति की मालिक थी, एक वर्ष के अन्दर इन अचल सम्पत्तियों के अधिकार की मांग कर सकती है।

(२३) राजाओं को अर्थ व्यवस्था, मालगुजारी एकत्र करना, कर लगाना, न्यायव्यवस्था, प्रमुख अफसरों की नियुक्ति तथा निष्कासन और प्रजा के साथ सम्बन्धों को स्थापित करना गवर्नर के सलाह मे करनी होगी।

(२४) काशी राज्य के कमिश्नर गवर्नर के पोलटिकल एजेन्ट होंगे।

(२५) मृत्यु-दण्ड की सूचना शीघ्र पोलटिकल एजेन्ट को देनी होगी तथा उसकी पुष्टि गवर्नर से करानी होगी, पोलटिकल एजेन्ट को सभी फौजदारी मुकदमों के पुनः विचार का अधिकार होगा।

(२६) राज्य के बाहरी सम्पत्तियों पर साधारण कानून के अनुसार जमीदार की तरह अधिकार होगा।

(२७) उक्त शर्तों को राज्य के शासकों द्वारा भंग किये जाने पर गवर्नर जेनरल के निर्देशानुसार प्रान्त के गवर्नर राज्य को सरकार के आधीन कर लेंगे।

(२८) इस राज्य के सम्बन्ध के मामले पर अन्तिम निर्णय सपरिषद गवर्नर जेनरल करेंगे।

महाराजा श्री प्रभुनारायण सिंह को गौराङ्ग महाप्रभुओं द्वारा प्रदत्त २८ धारावाले घोषणापत्र में जो अधिकार दिये गये हैं पाठकगण! समझ सकते हैं कि महाराज को बृटिश सरकार ने केवल काठ का पुतला बनाकर राज्य का अधिकारी बनाया

था। जिस प्रकार डोरी पुतला-नचानेवाले के हाथ में रहती है और उसकी प्रेरणा से पुतला डोल फिर सकता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का शासन सूत्र प्रान्तीय गवर्नर एवं गवर्नर जेनरल के हाथ में रखा गया था। घोषणा पत्र की प्रत्येक धाराओं में काशीराज्य के शासक को राजनीतिक बन्धनों से जकड़ दिया गया था। स्वतन्त्रता केवल नाम मात्र की थी। इसके बाद सन् १९१९ ई० में पुनः महाराज को पूरक अधिकार पत्र दिया गया जिसमें सन् १६११ ई० के घोषणा में अवशिष्ट अंशों की पूर्ति की गई थी।

सन् १६१६ ई० का पूरक अधिकार-पत्र

महाराज प्रभुनारायण सिंह जी को बृटिश सरकार द्वारा जो पूरक अधिकार-पत्र दिया गया उसमें सन् १९११ ई० के घोषणा में दिये गये प्रदेशों के शासन में कुछ और प्रदेश जैसे वाजिदपुर, कोदोपुर, कुसलूपुर, रालूपुर खास, टेंगरा, भीटी और सुलतानपुर ये ग्राम जोड़ दिये गये, जो रामनगर जिला में पड़ते हैं। इस प्रकार रामनगर जिला का निर्माण हो गया। सन् १९११ ई० के अधिकार-पत्र में कुछ संशोधन भी किये गये। अधिकार-पत्र में वर्णित धारा छठींके अनुसार बृटिश सरकार को जो रकम दी जाती रही, उसे बढ़ाकर एक लाख, नब्बे हजार से २ लाख १९ हजार कर दी गयी, धारा १५, १६ में वर्णित अपराधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन किया गया।

(१) बनारस जिले के पुलिस दारोगा या उनके बड़े अधिकारी के कहने पर, इस क्षेत्र में ऐसे अपराधी को जिसे बृटिश भारत में बिना वारन्ट के पकड़ा जा सकता है, पकड़कर आदेश के लिये रामनगर के मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाय।

(२) इस क्षेत्र में अपराधियों के आत्म समर्पण या गिरफ्तारी के लिये बनारस जिला के मजिष्ट्रेट द्वारा जारी किये गये वारन्ट पर पकड़कर रामनगर के मजिष्ट्रेट को सुपुर्द कर दिया जाय।

इस घोषणा-पत्र के तथोक्त धाराओं से भी पाठकगण! महाराज काशीनरेश की शासन-सत्ता और सीमित अधिकारों को समझ गये होंगे कि, महाराज को वृटिश सरकार ने नाम मात्र का राजा बनाया। राज्यसिंहासन पर आरूढ़ कराकर मनमाना अधिकार गवर्नर जेनरल और प्रान्तीय गवर्नर के हाथ रख छोड़ा गया। इससे महाराज की मानिहानि तो थी ही, प्रजा के ऊपर दोहरा चक्र चलाया गया, धनहीन प्रजा को राज्य द्वारा लगाये गये, नये २ करों का तथा अत्यधिक मात्रा में लगान का बोझ उठाना पड़ा, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप में वृटिश सरकार को २ लाख, १९ हजार रुपया प्रत्येक वर्ष देना पड़ा। इस प्रकार राज्य का अधिकार महाराज के हाथ में आ जाने पर प्रजा, आर्थिक कठिनाइयों से घबरा उठी।

शासन प्रबन्ध

महाराज प्रभुनारायण सिंह जी समझौते के आधार पर शेष परगनों को मिल जाने की कल्पना कर रहे थे, सम्भवतः इसीलिये घोषणा पत्र में वृटिश सरकार की मनमानी नीति का विरोध न कर चुपचाप तदनुकूल ही राज्य करने लगे। घोषणा पत्र के २१ धारा के अनुसार वृटिश सरकार द्वारा किया गया पुराना बन्दोबस्त ही राज्य में कार्यान्वित रहा, क्यों कि चकिया और भदोही में भी, सन् १७२५ ई० १८३८ ई०, १८८३ ई०, और १८८७ ई०, में बन्दोवस्त हो चुका था। परन्तु महाराज ने पुनः

दोनों जिलों में बन्दोवस्त कराना उचित समझा अतः श्री लालता प्रसाद सिंह द्वारा चकिया में और श्री लेखराजसिंह द्वारा, भदोही में बन्दोवस्त कराया गया।

बन्दोबस्त कोई हानिकर प्रथा नहीं है, यदि उसमें इमानदारी से कार्य हो, परन्तु जो बन्दोवस्त चकिया व भदोही में हुआ, उसमें प्रजा के हित का तनिक भी विचार नहीं किया गया, प्रत्युत प्रजा के ऊपर लगान बृद्धि करने की मनसा से बन्दोवस्त हुआ। और साथ ही साथ पशुओं के चारागाह, चौड़ेलाठ, ताल आदि का भी बन्दोवस्त कराया गया, जिससे प्रजा की महती हानि हुई। भोली भाली प्रजा इसका सक्रिय विरोध न कर सकी पर प्रजा के कुछ लोग राज्य की इस कुटिल नीति को भली प्रकार समझ गये। राजा-प्रजा के प्रेम में बट्टा लग गया। बन्दोवस्त में प्रजा का तनिक भी लाभ न हुआ; प्रत्युत व्यापार की दृष्टि से बन्दोवस्त किया गया। फलस्वरूप प्रजा ने राज्य के कर्मचारियों की भावना को, और बन्दोबस्त की त्रुटियों को भली भांति समझ लिया। लगान की वृद्धि कर के प्रजा को यह आश्वासन दिया गया कि, सिचाई के लिये नहर का प्रबन्ध होगा और उसका कर प्रजा को नहीं देना पड़ेगा। परन्तु यह केवल, भुलावा मात्र था, प्रजा ने उस कोरे, आश्वासन को सत्य समझा, और राज्य की ओर से मनमानी लगानवृद्धिकी गयी, कहीं कहीं तो ११) व १५) बीघा तक लगान की वृद्धि हुयी।

अधिक दिन नहीं बीता कि राज्य की नेकनीयती का पता लग गया, सरकार द्वारा १५ अप्रैल सन् १९१६ ई० को नहर रेट के बारे में घोषणा की गयी उससे, प्रजा की आँखें खुल गयी, उसे राज्य द्वारा दिया गया धोखा का पता लग गया, सत्य

कब तक छिपाया जा सकता था, राज्य द्वारा प्रजा के दोहन और उत्पीड़न की भावना व्यक्त होकर के ही रही। सन् १९११ ई० के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि जो सुधार संयुक्त प्रान्त में होंगे वे काशीराज्य में भी किये जायेंगे, सन् १९१९ ई० में बृटिश भारत में जो सुधार हुआ, काशी राज्य में उस सुधार का तनिक भी अंश नहीं दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह रही कि, बृटिश सरकार भी इस विषय में चुप्पी साध ली थी जिससे काशी राज्य की प्रजा को उन सुधारों से वञ्चित रहना पड़ा।

शासन-प्रबन्ध में महान दोष

बनारस राज्य जबतक स्वतन्त्र नहीं रहा, तबतक प्रजा को सुख और शान्ती दोनों प्राप्त थी, परन्तु राजा को स्वतंत्रता मिलने पर प्रजा के ऊपर आपत्ति के बादल घिर आये, शासन भार सम्भालते ही राज्य की ओर से प्रजा के ऊपर लगान वृद्धि तो हुई ही, इसके अतिरिक्त बहुत से कर प्रजा के ऊपर लगाये गये। १ नदहाई, २ टंगहाई, ३ चरसा, ४ सरसुम, ५ अबुआब, ६ बेटलुहार, ७ बेंट कुम्भार, ८ खरचरी आदि नाना प्रकार के करों से प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। उधर राज्य का कार्य अत्यधिक अपव्ययी हो गया, जिस विभाग में एक कार्य के निमित्त एक ही अधिकारी उपयुक्त थे वहां अनेकों कर्मचारियों को रखकर, अत्यधिक रुपया वेतन खर्च में बढ़ाया गया। यहाँ तक कि बड़े २ अधिकारी अपने सगे सम्बन्धियों को नौकरी देने के लिये नये नये स्थान बनाये, जिनके लिये नयी नयी नियुक्तियां हुईं। फल स्वरूप राज्य का व्यय बढ़ता गया। परन्तु राज्य के दोष में इन करों से कुछ भी

वृद्धि नहीं हुई, नये नये करों से तथा लगान वृद्धि से प्रजा घोर संकट में पड़ी, परन्तु राजा का कुछ भी लाभ न हुआ उस आमदनी से कर्म-चारियों के सगे सम्बन्धी ही लाभ उठाये, राज्य स्वतन्त्र होने के पहले, राज्य कोष में ६० लाख रुपया जमा था।

राज्य के ऊपर देन

राज्य द्वारा करों की वृद्धि से प्राप्त आमदनी-कर्मचारियों के वेतन में व्यय होती गयी, और यह वेतन व्यय इतनी मात्रा में बढ़ता गया कि खजाने का भी रुपया वेतन में ही व्यय होता गया, धीरे धीरे, राज्य-कोष का भी इन कर्मचारियों ने दिवाला निकाल दिया। व्यय की इस अन्धा धुन्धी के कारण राज्य के ऊपर ३६ लाख रुपया कर्ज होगया। यह राज्य के लिये महान अपमान की बात हुयी। इस कर्ज के मूल कारण को महाराजा ने भली भांति समझा, परन्तु अधिकारियों की मोहिनी ने उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया। यहाँ पाठकों को अत्युक्ति नहीं समझनी चाहिये कि, यह दशा राज्य की केवल अधिकारियों के वेतन वृद्धि से हुयी, पर राज्य को आर्थिक घाटा उठाने और प्रजा को आर्थिक संकट में लाने का प्रधान कारण वेतन वृद्धि था। उदाहरण के लिये, यह पर्याप्त प्रमाण है कि जब राज्य स्वतंत्र नहीं रहा, उस समय मिर्जापुर जिला के एक मजिस्ट्रेट चकिया, और भदोही दोनों का कार्य भार सम्भालते रहे, पर अब उसी कार्य के लिये प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के १२ माजिस्ट्रेट दोनों जिलों के लिये नियुक्त हुये, उनके ऊपर जिला जज, शेसन जज, प्रधान जज नियुक्त हुये हैं। पहले जहां केवल दो तहसीलदारों से लगान वसूली

का कार्य होता रहा, उसी कार्य के लिये ४ तहसीलदार और ६ नायब तहसीलदार नियुक्त किये गये। अतिरिक्त इसके इन्जनीयरिंग तथा जंगल विभाग भी बनाया गया। और अनेकों कर्मचारी इन विभागों में नियुक्त किये गये। इनके लिये बढ़े हुये वेतन का भार अप्रत्यक्ष रूप से प्रजा को उठाना पड़ा, परन्तु प्रजा इस असह्य बोझ को न सह सकी, फलतः इस दुख से त्राण पाने की भावना, प्रजा में बढ़ने लगी।

प्रजा में विद्रोह की भावना

राज्य की प्रजा यह भली भांति समझने गयी थी, कि कर्मचारियों कि इस नीति से छुटकारा पाना कठिन है, पर उसने यह भी समझ लिया कि यदि पिता तुल्य राजा को हमारे इस संकट उठाने से कुछ भी सुख हो तो ठीक है, प्रजा ने यह भी समझ लिया कि प्रजा की गाढ़ी कमाई का धन कर्मचारी गण फूंक रहे हैं, रक्त सुखा कर कमायी हुई, सम्पत्ति से वे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, अतः प्रजा में विद्रोह की भावना अंकुरित हो गयी।

राज्य के बाहर महात्मागान्धी की सेवाओं से कांग्रेस का जोर बढ़ गया था, नमक कानून टूट चुका था। राज्य के कुछ शिक्षित नवजवानों ने राज्य के बाहर होनेवाले कार्यों को भली भांति समझ लिया। राष्ट्रीय भावना का संचार उनके हृदय में पूर्ण रूप से संचारित हो गया था। साम्राज्य वादी नीति जो, राज्य के प्रमुख कर्मचारियों द्वारा बरती जाने लगी थी वह राजा, प्रजा दोनों के लिये घातक हो

म० गान्धी

रही थी। महाराज श्री प्रभुनारायणसिंह से प्रजा की करुण-गाथा छिपायी जाती रही, फल स्वरूप राज्य के कर्मचारियों द्वारा होने वाले अत्याचार से रक्षा पाने के निमित्त वे सज्जन (जिनके हृदय में राष्ट्रीयता जागृत हुयी थी) कुछ उपाय सोचने लगे। काशी राज्य में प्रजा का प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई संस्था नहीं थी, अतएव राजा के पास प्रजा की करुण-गाथा को पहुँचाना भी दुर्लभ था।

जो कुछ भी हो, महाराज श्री प्रभुनारायणसिंह ने स्वतंत्र काशीराज्य स्थापित कर लिया था, और काशीराज्य के इतिहास की अद्भुत अध्याय का भी निर्माण हो गया था। यों अपना राज-कार्य सम्पन्न करते कराते, महाराज श्री प्रभुनारायण सिंह जी सन् १९३१ ई० के अगस्त मास में स्वर्गवासी होगये। आपका अग्निदाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर जब हो रहा था, उस समय लेखक को भी महाराज के अन्तिम दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ था।

महाराज आदित्य नारायण सिंह

महाराज आदित्य नारायण सिंह जी महाराज प्रभुनारायण सिंह के एकमात्र सुयोग्य पुत्र थे, महाराज श्री आदित्य नारायण सिंह जी ने राज्यभार को ग्रहण करके बहुत सुचारु रूप से राज्य शासन को चलाया, महाराज श्री आदित्य नारायण सिंह जी की शिक्षा उत्तमकोटि की हुई थी। महाराज को संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी का सुन्दर ज्ञान था। वह राजनीति में बहुत ही कुशल थे, समय की गति को देखकर चलने में आप प्रजा के सर्वप्रिय राजा बन गये। महाराज श्री आदित्यनारायण सिंह जी को राज्य करने का बहुत न्यून अवसर प्राप्त हुआ था, राज्य ग्रहण के प्रथम काल में आपको कु-कर्मचारियों के कुयोग

से प्रजा-प्रिय शासन् को वात ध्यान में न आ सकी थी, किन्तु वाद में महाराज ने प्रजा-प्रियता का जो उदाहरण उपस्थित किया वह अब तक किसी से नहीं हो सका था। यह ध्रुव सत्य है कि आपके शासन के समय देशका वातावरण कुछ दूसरा हो गया था। पड़ोसी प्रान्तों में कांग्रेस का जोर बढ़ गया था। बृटिश सरकार कांग्रेस का लोहा मानने लगी थी। फल स्वरूप कांग्रेस का प्रभाव आप पर भी पड़ गया। आपही के राज-काल में कांग्रेस की स्थापना, चकिया, भदोही और रामनगर में हुई और वही स्वरूप काशी राज्य कांग्रेस का हो गया।

प्रजा-प्रियता का अद्भुत उदाहरण

महाराज आदित्यनारायसिंह जी

महाराज आदित्य-नारायण सिंह जी से प्रजा की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था काशी राज्य कांग्रेस ने जब उत्तरदायी शासन की मांग किया, तो महाराज ने कांग्रेस के मांग की औचित्यता पर विशेष ध्यान देकर प्रजा को उत्तरदायी शासन देने के लिये २६ दिसम्बर सन् १९३९ ई० को घोषणा करा दिया। उस समय का दृश्य भी अपूर्व था, लगभग ३० हजार चकिया

के किसान, चकिया के 'आजाद बाग' में इकत्रित थे। उस समय महाराज भी चकिया गये हुये थे, प्रजा की मांगों पर उनका ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक था। महाराज को पहले अधिकारी वर्ग ने धोखा दिया था, अतएव प्रथम बार महाराज ने कांग्रेस के बात की उपेक्षा कर दिया था। काशी राज्य कांग्रेस को जंगल सत्याग्रह करना पड़ा था। उसमें राज्य की अधिक सम्पत्ति नष्ट भ्रष्ट की गयी थी, उस समय कर्मचारी गण दमन करने के लिये महाराज को उकसाये, किन्तु महाराज ने प्रजा को पुत्रवत् समझ कर जंगल सत्याग्रह को बच्चों का हठ समझा था। उस समय की एक घटना बहुत ही मार्मिक थी, जब महाराज अस्वस्थ हो गये थे, तो एक दिन हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति महामना मालवीय जी आपको देखने रामनगर गये थे। कुशलो-परान्त राज्य की शासन व्यवस्था की चर्चा के समय, महाराजा ने महामना से चकिया के जंगल सत्याग्रह की चर्चा करते हुये, प्रजा का दमन करने के लिये सलाहकारों की सलाह को कह सुनाया और उसी समय आँखों में आँसू भरकर उन्होंने महामना जी से यह भी कहा "भला पुत्र के हठपर पिता, पुत्र को मिटाने के लिये उसका दमन कर सकता है?" कितना मार्मिक प्रश्न महाराज ने महामना के सम्मुख उपस्थित किया था। उत्तर में महामना के दोनों आँखों से अश्रुधारा बह चली थी। क्यों न ऐसा दृश्य उपस्थित होता जब दोनों में से एक प्रजा-प्रिय राजा और दूसरे कुलपति थे।

महाराज आदित्यनारायणसिंह जी अपने क्षणिक जीवन के अन्तिम समय के पूर्व प्रजा की आर्थिक बाधा को ठीक प्रकार से मिटाने का प्रयत्न कर गये थे। उत्तरदायी शासन की स्वीकृति करके महाराज ने एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित

कर दिया था। भारतीय रियासतों में औंधराज्य को छोड़ कर और किसी देशी राजा, महाराजा ने प्रजा-प्रियता का उच्चादर्श नहीं उपस्थित किया था, जो महाराज आदित्यनारायण सिंह जी ने उपस्थित किया।

महाराज आदित्यनारायण सिंह को कोई सन्तान नहीं थी, फिर भी ६ लाख प्रजा उनकी प्रिय सन्तान कही जाती रही। भावी जीवन के ऊपर विचार कर महाराज ने श्री झारखण्डेय नारायण सिंह के सुयोग्य सपुत्र श्री विभूतिनारायण सिंह जी को गोद लेकर दत्तक-पुत्र बना लिया। यों महाराजा अपने जीवन-काल में 'काशी राज्य' में 'रामराज्य' की स्थापना करके इस लोक को त्याग साकेत चले गये।

श्रीविभूतिनारायण सिंह जी

सन् १९३९ ई० के ४ अप्रैल की उस भयानक रात्रि के स्मरण से हमारा हृदय कम्पायमान हो जाता है, जिसने महाराज को सदा के लिये हमसे बिछुड़ा दिया। ९ बजकर ५० मिनट पर एकाएक महाराज की हृदय-गति बन्द हो गयी।

मृत्यु के समय महाराज की अवस्था ६८ वर्ष की थी। महाराजा की मृत्यु से काशीराज्य की प्रजा में ही नहीं, किन्तु भारत में शोक मनाया गया, काशीपुरी में शोक का समुद्र ही उमड़ गया था।

५ अप्रैल को ११ बजे रामनगर के राज्य-दरबार में राज्य के प्रमुख अधिकारियों के सम्मुख राज्य के सहायक पोलिटिकल एजेन्ट श्री किफायतुल्ला खाँ ने श्री विभूतिनारायण सिंह जी को 'काशी-नरेश' होने की घोषणा किया। महाराजा श्री विभूति-नारायणसिंह को बाल्यकाल में ही काशी-राज्य के शासन का भार सम्हालना पड़ा। महाराज आदित्यनारायणसिंह जी के मृत्यु से प्रजा को जो दुःख हुआ उसका मार्जन महाराज श्री विभूति-नारायण सिंह जी के शासन प्राप्ति से हो गया, महाराज श्री विभूतिनारायण सिंह जी के बचपन के भावुक स्वभाव से प्रजा ने भावी सु-राज्य की कल्पना कर लिया था।

श्री विभूतिनारायण सिंह जी

वर्तमान काशीनरेश श्रीविभूतिनारायणसिंह जीके राज-कार्य सम्भालने के पहले बाल्यावस्था में उनके शिक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ। महाराज श्री आदित्यनारायणसिंह जी के मृत्यु के पश्चात् महाराज विभूतिनारायण सिंह का जीवन बाल्यकाल में था, अतः शासनभार इन्हें नहीं दिया गया। गौराङ्गों की नीति के अनुसार काशी-राज्य का भार एक नवनिर्मित शासन परिषद को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष पुलिस विभाग के पुराने कर्मचारी एक अंग्रेज बनाये गये, जिनका नाम था श्री सी० आर० पीटर। पीटर महोदय की कार्य-हीनता का वर्णन आगे विस्तार से किया गया है, अतः केवल यहाँ इतना ही लिखना

पर्याप्त है कि, श्री पीटर महोदय ने काशी-राज्य के नैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्टभ्रष्ट कर दिया। महाराज श्री विभूतिनारायण सिंह की शिक्षा के लिये, राज्य के पुराने कर्मचारी तथा प्रजाजनों ने यह उचित मांग किया था कि महाराज को शिक्षा काशीपुरी में दी जाय जो भारत की विद्या का केन्द्र है, किन्तु पीटर महोदय ने उन्हें 'राजकुमार विद्यालय' अजमेर में अध्ययन के लिए भेज दिया। इसके लिये राज्य की जनता ने तथा काशी की जनता ने घोर विरोध किया था, किन्तु पीटर ने जन-विरोध का विचार न करके महाराज के वंश की पुरानी प्रथा को मिटा ही दिया। अस्तु, वहाँ की शिक्षा का विरोध केवल इसलिये किया गया था कि वहाँ का वातावरण दूषित था।

महान् हर्ष की बात यह हुई कि वहां की दूषित प्रणाली का प्रभाव महाराज पर तनिक भी नहीं पड़ा। महाराज वहाँ के दूषित प्रभाव में न आकर अपना विद्यार्थी जीवन कमलपत्रवत् विता लिये। 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' महाराज विभूतिनारायण के विषय में इनके बचपन काल से ही लोगों की धारणा होने लगी थी कि महाराज का शासन-काल प्रजा-प्रिय होगा, क्योंकि महाराज के बचपन की बातों को सुन-सुन कर तथा उत्तम व्यवहारों को देख-देखकर जनसाधारण में महाराज के गुणों की चर्चा होने लगी थी।

राज्य-भार-ग्रहण

समय बीतते देरी नहीं लगती है, महाराज विभूतिनारायण जी अपने विद्यार्थी जीवन को बहुत उत्तमता से बिताकर अपने राज्य-भार-ग्रहण की अवस्था में पदार्पण किये, किन्तु इस

वर्तमान काशी नरेश महाराज श्री विभूतिनारायणसिंह जी

सुसमय के आने के पूर्व ही आपके राज्य को पीटर महोदय पूर्ण रूप से नष्ट-भ्रष्ट करके पश्चिमाभिमुख हो गये थे। राज्य की अवस्था को देखकर आपको जो अनुभव होता रहा वह राज्य के दूसरे कर्मचारी के बुद्धिगम्य से बाहर की बात थी। महाराज श्री आदित्यनारायण सिंह के द्वारा प्रतिपादित प्रजा प्रियता की नीति को श्री पीटर महोदय ने जिस क्रूरता के साथ नष्ट किया था उसका आपको महान् क्लेश होता रहा।

महाराज को शासन-ग्रहण-के पूर्व इमलाक का कार्य-भार सौंप दिया गया था। वह शुभ दिन आ ही गया जिस शुभ अवसर में महाराज ने काशी राज्य का शासन-ग्रहण किया था। ११ जुलाई सन् १९४७ को महाराज ने प्रमुख कर्मचारियों एवं प्रमुख प्रजाजनों के बीच राज्यभार ग्रहण किया। राज्यभार ग्रहण करते समय आपने जो वचन प्रजा-जनों के लिये प्रदान किया, उससे आपके कार्य-दक्षता का कुशल परिचय प्राप्त हो गया। महाराज श्री आदित्यनारायण सिंह द्वारा प्रदत्त 'उत्तरदायी शासन' को आपने पूर्ण रूप से राज्य की मर्यादानुकूल स्थापित करने की घोषणा किया। आपको काशी राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ देख काशीराज्य की प्रजा आनन्दित हो गयी।

प्रजातन्त्र की स्थापना

महाराज विभूतिनारायण सिंह ने जिस समय राज्यभार ग्रहण किया उस समय भारत का भविष्य उज्वल हो गया था, १५ अगस्त को भारतीयों के हाथ में भारत की सत्ता सौंप दी गयी, उस दिन सम्पूर्ण देशों में आनन्दोत्सव मनाया गया, स्वयं महाराज ने अपने राज्य में पूर्णरूप से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का उत्सव मनाया, और राष्ट्रीय झण्डा का सम्मान किया।

महाराज ने प्रजा की भावना का विशेष ध्यान रखकर अपने राज्य में भी प्रजातन्त्रात्मक शासन की स्थापना की घोषणा २७ अक्टूबर सन् १९४७ ई० को कर दिया। महाराज ने राज्य की मर्यादा रक्षणार्थ रक्षा, प्रधान न्यायालय, परराष्ट्र विभाग एवं इनके लिये आर्थिक व्ययभार भी अपने अधिकार में संरक्षित कर लिया, और शेष अन्य विभागों को सहर्ष प्रजामण्डल के आधीन कर दिया। विधान-परिषद् निर्माण के लिये उचित व्यवस्था करके महाराज ने विधान-निर्माण के पहले शासन कार्य सम्हालने के लिये प्रजाजनों द्वारा चुने गये श्री गंगाप्रसाद खरे और श्री वंशनारायण सिंह को कांग्रेस के प्रस्तावानुसार राज्य का मन्त्रित्व-पद प्रदान किया। इन सब विषयों को यहाँ संक्षिप्त में लिखकर हम इतना अवश्य कहेंगे कि महाराज श्री विभूतिनारायण सिंह जी ने अपने शासन-ग्रहण के समय में जो बचन प्रदान किया, उसकी पूर्ति शीघ्र करके भारत के देशी राजाओं के सम्मुख एक उच्च आदर्श स्थापित कर दिया। राज्य की शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलाकर महाराज ने भारतीय नेताओं के हृदय में अपना मुख्य स्थान ग्रहण कर लिया।

द्वितीय-अध्याय

किसान सभा की स्थापना

प्रथम-अध्याय में यह लिखा जा चुका है कि बृटिश सरकार द्वारा काशी राज्य जब सन् १९११ ई० में स्वतन्त्र घोषित हो गया तभी से राज्य में प्रजा के लिये आर्थिक और नैतिक दोनों प्रकार के संकट उपस्थित हो गये थे। सन १९२१ ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन बृटिश भारत में व्यापक, एवं दृढ़ हो गया था। महात्मा गान्धी की प्रेरणा से नमक कानून भंग हो चुका था। नमक कानून का भंग होना बृटिश सरकार के लिये साधारण घटना नहीं थी। कांग्रेस के संगठन और विजय का प्रभाव विदेशों तक व्याप्त हो गया था। उस समय देशी राज्यों में भी भयानक साम्राज्यवादी नीति का कुचक्र चल रहा था, और अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रभाव भी देशी राज्यों की जनता पर पूर्णरूप से पड़ने लगा था, भारत के प्रमुख देशी राज्यों की जनता का प्रतिनिधित्व करने ने लिये सभी राज्यों में किसी न किसी नाम की संस्था स्थापित होने लगी थी, क्योंकि सभी राज्यों में राजाओं की ओर से प्रजा के शोषण की नीति चल चुकी थी, काशी राज्य में भी 'किसान सभा' नाम की संस्था स्थापित करने का विचार स्थिर हुआ, कारण यह रहा कि प्रजा में किसानों की संख्या ही अधिक थी, किसानों में कुछ प्रमुख लोग राज्य द्वारा अत्याचारों से त्राण पाने की बात सोच रहे थे, वे समय की प्रतीक्षा में थे, वह समय उपस्थित हो गया। चकिया के किसानों

में श्री जगन्नाथ सिंह, श्री बेचन पाण्डेय, श्री कुबेरदत्त मिश्र, के सहयोग से सिकन्दरपुर में सन् १९२१ ई० में किसान सभा स्थापित होगयी, किसान सभा के सभापति श्री कुबेरदत्त मिश्र, तथा उपसभापति श्री जगन्नाथसिंह, और मन्त्री श्री बेचन-पाण्डेय चुने गये। सभा की स्थापना होते ही उसका प्रचार कार्य बड़े उत्साह के साथ हुआ। धीरे धीरे प्रजा ने सभा का स्वागत, और उसकी हरेक भाँति से सहायता करना अपना कर्त्तव्य समझा।

भदोही में जागृति

किसान सभा का संगठन चकिया ही तक सीमित न रहा, उसके संगठन की लहर भदोही में बड़े जोर से बढ़ी, उस समय भदोही के उत्साही और शिक्षित श्री भवमित्र अग्रवाल श्री व्रज भूषणमिश्र आदि सज्जनोंने बड़ी तत्परता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया, ऐसे सहायक नेताओं द्वारा भदोही में किसान सभा का संगठन हुआ और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा, उसके लिये साधन भी प्राप्त हुआ। श्री व्रजभूषण मिश्र जी तथा श्री भवमित्र अग्रवालजी ने प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया और उसके लिये राज्य में एक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने का विचार सोचने लगे। भगवान की दया से उन्हें उस दिशा में सफलता भी प्राप्त हुयी।

ग्रामवासी का प्रकाशन

श्री व्रजभूषण मिश्र और श्री भवमित्र अग्रवाल जीके श्लाघनीय प्रयत्न से गोपी गंज में एक प्रेस की व्यवस्था की गयी और इन्हीं लोगों की देख रेख में 'ग्रामवासी' पत्र का जन्म सन् १९२३ ई० में हुआ। सम्पादन और प्रकाशन का कार्य विशेष

रूप से श्री ब्रजभूषण मिश्र ही करते रहे अग्रवाल जी ऐसे सह-योगी को पाकर ग्रामवासी का प्रचार और प्रसार दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हुआ। 'ग्रामवासी' की नीति बहुत निर्भीकता से युक्त राष्ट्रीयता से सम्पन्न थी। अतएव प्रजा ने उसको सहर्ष हृदय से लगा लिया।

ग्रामवासी के प्रकाशन से 'किसान सभा' के कार्य में बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ। फलस्वरूप किसान सभा ने अपना एक संयुक्त मांग महाराज के सामने रखीं, जो निम्नलिखित हैं।

किसान सभा की मांगें

१—राज्य का शासन कार्य प्रजा द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा कराया जाय, या उनकी देख रेख में होवे।

२—प्रजा के आर्थिक कष्ट तथा राज्य पर लदा हुआ कर्ज को सुधारने का प्रबन्ध किया जाय।

३—घूसखोरी रोकने के लिये समुचित कार्यवाहीं तुरन्त कार्यान्वित की जाय।

४—न्यायालयों को सूचित किया जाय कि वे मुकदमों का निर्णय शीघ्र ही कर दिया करें।

५—नहर रेट २॥) बीघा से कम करके १) प्रति बीघा लिया जाय।

६—बेगार और नजर की प्रथा शीघ्र ही बन्द कर दी जाय।

७—दखिलकारी भूमि पर इजाफा न लगाया जाय।

८—शासन का प्रत्येक कार्य हिन्दी भाषा में तथा नागरी लिपि में किया जाय।

९—राज्य की नौकरियां राज्य के ही नागरिकों को दी जायं।

१०—चकिया में जिला पंचायत तथा नगर पंचायत स्थापित की जाय।

११—कर्मचारीगण गावों में दौड़ा करते समय किसानों, मजदूरों को भांति भांति का कष्ट देते हैं, उसे रोक दिया जाय।

१२—अनुचित कर या चन्दा राज्य के लोगों पर न लगाया जाय।

१३—जंगली प्रजा की जान व माल की रक्षा के लिये, उन्हें बन्दूक रखने की आज्ञा दी जाय।

१४—चकिया में संस्कृत पाठशाला स्थापित की जाय।

१५—घूमखोरी रोकने के लिये समुचित प्रबन्ध किया जाय।

किसान सभा की उपरोक्त १५ मागों में कुछ तो ऐसी थीं जो एक दूसरे से सम्बन्धित थीं किन्तु उनकी पूर्ति नितान्त आवश्यक थी।

सामान्य दृष्टि से किसान सभा की मागें पूर्ण उत्तरदायी शासन के समकक्ष थीं, किसान सभा के कार्य कर्ताओं ने तथोक्त मांगों को अपने राजा के सम्मुख रख दिया, परन्तु राज्य के कर्मचारीगण ने राजा का कान ऐसा भर दिया कि महाराज ने "सभा" की मागों के ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। राजा को यह उचित था कि प्रजा की ओर से की गयी मागों को ध्यान से देखते और समुचित आश्वासन देकर तथा कुछेक की तुरन्त पूर्ति करके प्रजा की आंसू को पोंछ देते। यह भी सत्य था कि राज्य पूर्णरूप से उस समय स्वतंत्र नहीं था, प्रजा की सभी मागों को राजा अपने आप पूरा नहीं कर सकते थे। गौराङ्ग महाप्रभुओं द्वारा निर्मित रेजिडेन्ट महोदय की कृपा कटाक्ष से कुछ विशेष कार्य करने में वे सर्वदा असमर्थ थे। पर महाराज ने प्रजा से अपनी वह असमर्थता छिपाया, और अफसरों के बहकावे में आकर प्रजा की

मागों को ठुकरा दिया, फलस्वरूप आगे की अध्यायों का निर्माण हुआ।

किसान-सभा पर प्रहार

किसान सभा द्वारा प्रस्तुत की गयी मांगों की उपेक्षा होने से किसान सभा के कार्य-कर्ताओं के मन में विद्रोह की भावना जागृत हो गयी किन्तु राज्य की ओर से 'सभा' के प्रचार में बाधा डालने के लिये धारा १४४ लगा दी गयी। श्रीकुबेर दत्त मिश्र श्रीजगन्नाथसिंह, श्रीबेचन पाण्डेय पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। श्री जगन्नाथसिंह जीकी अध्यापकी छीन ली गयी, श्री बेचन पाण्डेय की कुछ जमीन जब्त कर ली गयी। तथोक्त कार्य कर्ताओं पर चलाये गये मुकदमों की पैरवी के लिये भदोही के वकील श्रीसूर्यप्रसाद दूबेजी नियत किये गये। उन्होंने निःशुल्क पैरवी किया। राजद्रोह के मुकदमा से वे लोग मुक्त कर दिये गये, पर अपने अन्य अधिकारों से वे लोग वंचित ही रखे गये। महाराज श्री प्रभुनारायणजी ने किसान सभा की कुछ मागों को स्वीकार भी कर लिया था। किन्तु नहर रेट का मामला घपले में ही रखा गया।

नहर-रेट की समस्या

चकिया जिला में कर्मनासा को बांध कर जो नहर निकाली गयी वह प्रजा के लिये उपयुक्त तो सिद्ध हुयी, किन्तु नहर निर्माण के पूर्व प्रजा को यह आश्वासन दिया गया था कि एक रुपया प्रति बीघा जमीन की सिंचाई का कर लिया जायेगा उसे लगान के ऊपर रख दिया जायेगा। परन्तु इस प्रथा से

बहुत बड़ी अव्यवस्था की सम्भावना समझ प्रजा ने उसका विरोध किया। प्रजा का विरोध सार्थक था, क्योंकि उस प्रथा से बिना सिंचाई वाली जमीन पर भी नहर-कर लग जाता।

उन दिनों राज्य में ठीकेदारी की प्रथा थी, और उसी ठीकेदारी द्वारा कर सञ्चित किया जाता रहा, उस प्रथा से राजा और प्रजा दोनों को सुभीता थी। ठीकेदारी प्रथा को हटा कर राज्य के परम कृतज्ञ कर्नल विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह ने एक नयी प्रथा नियत किया। इससे अधिक से अधिक लोग राज्य द्वारा संचारित प्रलोभन में फंस गये। प्रति सैकड़ा तीन रुपये उन्हें कमीशन 'राज्य द्वारा' दिया जाने लगा जो लगान वसूल करते थे। इस प्रलोभन से अधिक से अधिक किसान चकिया सभा को सहयोग देना छोड़, राज्य के प्रलोभन में फंसते गये। साथ ही राज्य द्वारा नहर-रेट, एक रुपया प्रति बीघा के हिसाब से लिया गया। 'सजावली' प्रथा का जोर बढ़ता गया, फलस्वरूप किसान सभा में दो दल हो गये, फिर भी किसान सभा का कार्य बढ़ता ही गया। श्रीबेचन पाण्डेय व श्री जगन्नाथसिंह पर राज्य कर्मचारियों की वक्रदृष्टि रहने लगी, एकबार जिला मजिष्ट्रेट की न्यायालय में कुर्सी पर बैठने के कारण श्री बेचनपांडे पर, मजिस्ट्रेट ने पाँच रुपया जुर्माना कर दिया था। जब उस अनुचित न्याय का पता महाराज को चला, तो उन्होंने श्रीबेचन पाण्डेय को दस रुपया लौटाने की आज्ञा दिया; किन्तु श्रीबेचन पाण्डेय ने राज्य द्वारा लौटाया गया रुपया अस्वीकार कर दिया। सन् १९२७ ई० में श्रीबेचन पाण्डेय का स्वर्गबास हो गया। उनके मृत्यु से किसान सभा को बहुत बड़ा धक्का लगा। सन् १९२७ ई० की एक घोषणा में राज्य द्वारा ढाई रुपया प्रति बीघा नहर रेट घोषित किया गया। प्रजा ने घोषणा

का विरोध किया, फलस्वरूप नहर रेट का पुराना पट्टा द वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया।

सन् १६४७ ई० में श्री कर्नल विन्ध्येश्वरी प्रसादसिंह जी की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर राज्य के मन्त्री सैयद हसन अहमद बनाये गये, जो आते ही आते अपना कुपरिचय दिये। प्रजा की भावना पर कुठाराघात करके नहर रेट ढाई रुपया प्रति बीघा कर दिया गया। राज्य के इस अनुचित कार्यवाही से किसान सभा के कार्यकर्ता सजग हो गये। चकिया के नवयुवकों की एक "नवयुवक" सभा भी स्थापित हो गयी. जिसका ध्येय राज्य द्वारा किये गये अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना था। नवयुवक सभा के मन्त्री रामस्वरूप सिंह और सभापति श्रीरामजी त्रिपाठी चुने गये थे।

किसान सभा और नवयुवक सभा का कार्य संगठित रूप से चलने लगा। 'सजावल' वर्ग में कुछ ऐसे देशद्रोही थे जो किसान सभा के कार्यों में गड़बड़ी मचाने के लिये राज्य द्वारा उभाड़े गये थे। २६ फरवरी सन् १६३० ई० को योगेश्वरनाथ में किसान सभा की कार्यवाही में कुछ गुण्डों ने अधिक उधम मचाया किन्तु श्रीकुबेरदत्त मिश्र की बुद्धिमानी से झगड़ा आगे न बढ़ सका था।

किसान सभा के कार्यों को मिटाने के लिये राज्य की ओर से बहुत ही बड़े-बड़े कुचक्र रचे गये। प्रजा पर सोलह प्रकार के कर लगाये गये जिससे प्रजा आर्थिक कष्ट में पड़कर घबड़ाने लगी। राज्य की ओर से जो जो, कार्य होते गये उसमें प्रजा के हित का ध्यान नहीं किया गया। राजा-प्रजा का परस्पर प्रेम लुप्त होता गया। प्रजा केवल अधिकारियों के लिये आर्थिक साधन सिद्ध होने लगी थी। राज्य के प्रजा की नाग-

रिकता भी खतरे में पड़ गयी। प्रजा के लोगों ने कई बार राजा से उनके कर्मचारियों द्वारा किये गये अन्याय से त्राण पाने के लिये प्रार्थना किया पर राज्य की ओर से प्रजा की बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। २६ मार्च सन् १९३० ई० को प्रजा की संयुक्त प्रार्थना को महाराज ने ठुकरा दिया।

जन आन्दोलन का प्रादुर्भाव

राज्य की ओर से शोषण और उत्पीड़न की नीति प्रारम्भ हो गयी। नहर रेट की वृद्धि और अन्य करों के भार से प्रजा पूर्णरूपसे दब चुकी थी। विद्रोही भावनायें प्रजा के हृदय में पूर्ण रूप से अंकुरित हो गयी। अन्ततोगत्वा किसान सभा द्वारा यह घोषणा हो गयी कि बिना उचित निर्णय हुये नहर रेट बन्द रखा जाय। प्रजा ने किसान सभा की घोषणा का स्वागत किया इस सूचना को पाकर के राज्य की ओर से नहर का पानी बन्द कर दिया गया। एवं इस कुकार्य में पुलिस भी नियत कर दी गयी।

राज्य की ओर से दमन का श्रीगणेश प्रारम्भ हो गया। नहर रेट वसूली के लिये लोग गिरफ्तार किये जाने लगे। कुछ सजावलों ने प्रजा के दमन में राज्य का साथ दिया। उतरौत गाँव में एक झोपड़ी को जलवाकर कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया, साथ ही गांववालों को डराने के लिये फौज नियत कर दी गयी। फौज के सिपाहियों ने गांववालों को अधिक सताया। सबूत न मिलने पर राज्य द्वारा फूस की झोपड़ी को फूँकने और नष्ट करने वाला झूठा मामला चल न सका। महम्मद अमीन नामक एक तहसीलदार ने अधिक अत्याचार किया था। कुछ गांवों में तहसीलदार ने जाकर

गांववालों पर सिपाहियों द्वारा लाठी प्रहार करवाया। कुवां, चोरौली, आदि गाँवों में घुस कर स्त्रियों के गहने तक छिनवावे गये। तहसीलदार ने भोले-भाले किसानों से अधिक मात्रा में रिश्वत भी लिया। यहां तक पता चला कि चौदह सौ रुपया राज्यकोष का उक्त कर्मचारी द्वारा गबन किया गया था। इस प्रकार राज्य, प्रजा और दोनों की इन कर्मचारियों द्वारा हानि होने लगी।

नहर रेट के मामले में श्रीद्वारिका सिंह व श्री रामअवतार सिंह (रामनन्दनसिंह के पिता) गिरफ्तार कर लिये गये। इनके पर राज्यद्वारा मुकदमा चलाया गया। राज्य का प्रसिद्ध पत्र 'ग्रामवासी' ने प्रजा के ऊपर किये गये राज्य द्वारा अत्याचार का विरोध किया। एवं प्रजाजनों के उत्साह को बढ़ाने के लिये उन्हें बधाई भी दिया। फलस्वरूप राज्य का कोप भाजन 'ग्रामवासी' को भी बनना पड़ा।

'ग्रामवासी' पर प्रहार

चकिया के किसानों के दमन के विरोध में 'ग्रामवासी' में एक अग्रलेख प्रकाशित हुआ था, उसके लिये, ग्रामवासी के मुद्रक और सम्पादक श्री ब्रजभूषण मिश्र व भवमित्र अग्रवाल पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन राजद्रोहियों को सरकार ने एक-एक वर्ष कठिन कारावास का दण्ड दिया। चकिया में किसान सभा के प्रचार को रोकने के लिये धारा १४४ लगा दी गयी। किसान सभा का प्रचार कार्य बढ़ता गया। सभा करने के अपराध में किसान सभा के प्रमुख कार्यकर्ता सर्व श्री कुबेरदत्तमिश्र, श्री कृष्णकान्त मालवीय, श्री लोमशसिंह, श्री रामनन्दनसिंह, श्री रामबदनसिंह व मगरू

मिश्र गिरफ्तार कर लिये गये। इन लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।

किसानसभा के प्रधान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से राज्य में हलचल मच गयी। किसान सभा के कुछ और लोग गिरफ्तार करके बाद में छोड़ दिये गये।

किसान सभा के आन्दोलन में सहयोग करने के लिये जिला बनारस के कांटा गांव के सभी नवयुवक कांग्रेसी सत्यनारायण प्रसाद आर्य के साथ चकिया जिला में आकर सहयोग देते थे। भूसी में किसान सभा के एक सार्वजनिक सभा में श्री सत्यनारायण आर्य गिरफ्तार कर लिये गये, बाद में कई दिनों पर छोड़ दिये गये। भदोही जिला के पुराने कार्यकर्ता श्री वैकुंठनाथ मिश्र व मसोई के रामदन्दनसिंह भी किसान सभा में सहयोग देने के कारण राज्य के कोप का भाजन बने। इनके ऊपर भी राज्य द्वारा वारण्ट कर दिया गया था। राज्य के अधिकारियों की यह नीति थी कि प्रजाजनों को इस प्रकार कुचल दिया जाय कि वह अपने नागरिक अधिकार प्राप्ति के लिये कुछ भी प्रयत्न न कर सकें।

एक दिन चकिया में (भादों के महीने में) एक नाटक हो रहा था। उसमें पुलिस कोड़ा मार मारकर जनता को बिठलाती थी, किसी एक किसान को एक पुलिस वाले ने एक कोड़ा मार दिया, उस पर उसने कहा,—"इतना अत्याचार न करो नहीं तो मसोई में इसको प्रतिक्रिया भोगनी पड़ेगी"। पुलिस का सिपाही उस किसान की बात को भयानक रूप देकर के पुलिस के कप्तान के पास इसकी सूचना भेजवा दिया। बात यह थी कि मसोई में किसान सभा की सभा करने के लिये घोषणा हो चुकी थी। नवरात्र का दिन था। मसोई में सभा

की सफलता के लिये वहां के आसपास के नवजवानों का दल संगठित हो गया था। परन्तु पुलिस को जो धमकी (एक किसान द्वारा दी गयी) थी, केवल उस किसान की कोरी कल्पना थी। सभा का कार्य शान्ती, और अहिंसामय चल रहा था। मसोई में कोई हिंसात्मक कार्य करने का किसी का प्रयत्न भी नहीं था, किन्तु अधिकारी वर्ग में उस किसान की कोरी कल्पना से हलचल मच गई थी और मसोई में सभा के दिन पुलिस कप्तान को शसस्त्र पुलिस के साथ जाने को राज्य द्वारा आज्ञा कर दी गयी।

मसोई म सभा के दिन सभा स्थल को सजाने के लिये श्री मुन्नन जी पाण्डेय ने पूर्ण सहयोग किया था। सभा के समय चकिया जिला के पन्द्रह हजार किसान इकत्रित होगये थे। लेखक भी उस समय उपस्थित था। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व रामायण का गायन प्रारम्भ हुआ। सभापति का आसन मसोई के श्री मोहनसिंह ने ग्रहण किया था। सभा की कार्यवाही प्रारम्भ भी नहीं हुयी थी कि दो दर्जन सशस्त्र पुलिस के साथ कप्तान आ धमके। आते ही कप्तान ने श्री वासुदेवसिंह को धक्का देकर गिरा दिया और पुलिस को फायर करने के लिये सचेत होने की आज्ञा दिया। पुलिस कप्तान जिस भावना से प्रेरित होकर आये थे; वह बात सचमुच नहीं थी, किसान सभा की शान्तिमय और अहिंसा पूर्ण कार्यवाही उनकी समझ में आगयी, अन्ततोगत्वा सभापति से सभा न करने की सूचना देकर 'रामायण' गाने के लिये कप्तान ने आग्रह किया। किसान सभा की कार्यवाही राज्य द्वारा भयानक दमन के आगे टीक न सकी और मसोई की घटना से प्रजा का उत्साह दब गया। पुलिस कप्तान एक दर्जन सशस्त्र

पुलिस को मसोईं में एक सप्ताह के लिये नियत करके चकिया लौट गये। एक सप्ताह तक मसोईं में रहकर पुलिस दल ने गांव वालों को विशेषकर श्री रामनन्दनसिंह के घर वालों को अधिक परेशान किया। अन्त में श्री रामनन्दनसिंह भी राज्य की अदालत के सम्मुख उपस्थित हुये। और मुकदमा से मुक्त कर दिये गये। इस प्रकार किसान सभा का कार्य चकिया जिला में स्थगित होगया।

जेल-यातना

किसानसभा के कार्य कर्तागण ज्ञानपुर जेल में बन्द कर दिये गये। ज्ञानपुर जेल में जो जेल-यातना, किसान सभा के कार्यकर्ताओं को दी जाती थी, उसे भी लिखना यहां उचित ही होगा। ज्ञानपुर जेल महाराज का स्वतंत्र जेल है जो भदोही जिले में है। राज्य के जेल के जो विधान थे, वह संयुक्त प्रांतीय जेल विधान के अनुसार ही थे, किन्तु बन्दियों के साथ जो ज्ञानपुर जेल में व्यवहार किया जाता था, वह अमानुषिक था। कैदियों को सजा हो जाने पर भी एक पैर में लोहा का कड़ा पहनाया जाता था, जिसकी तौल एक सेर से अधिक रहती थी। पांच वर्ष से अधिक सजा पानेवाले बन्दियों को बेड़ी भी पहननी पड़ती थी। सभी वन्दियों को एक जांघिया एक लँगोट, एक कुर्ता, एक साफी से अतिरिक्ति कुछ भी पहनने के लिये नहीं मिलता था। कपड़ा की कमी से बन्दियों को अधिक कष्ट होता था। यह स्मरण रहे कि राजनीतिक बन्दियों के साथ भी साधारण कैदियों की भांति व्यवहार होता था। भोजन का पात्र जो, वन्दियों को दिया जाता रहा, वह बहुत ही लज्जाजनक था, दो लोहे के छोटे, बड़े तसले भोजनार्थ,

व पानी पीने के लिये दिये जाते रहे। लोहा के पात्र में ५ मिनट बाद पानी और भोजन बिलकुल बिगड़ जाता था। ओढ़ने और बिछाने के लिये एक-एक कम्बल दिया जाता जा जाड़े के दिन के लिए अपर्याप्त ही था।

राजनीतिक बन्दियों पर मार

जेल में राजनीतिक बन्दियों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार का दुर्व्यवहार होता रहा। एक दिन जब राजनीतिक बन्दी अन्य साधारण बन्दियों के साथ 'बैरेक' में बन्द होगये, उसी समय जेलर द्वारा प्रोत्साहित दो कैदी गुण्डा श्री रामनन्दनसिंह व मगरूमिश्र व लोमशसिंह पर टूट पड़े और घूसों तथा थप्पड़ों से मारने लगे, आश्चर्य इस बात का था कि ये अहिंसक कुछ भी न बोले। अपितु अन्य साधारण बन्दी क्रोधित होगये, समय से जेल रक्षकों के आ जाने पर, गुण्डे कैदी अपने अपने बिस्तर पर चले गये। वे गुण्डे कैदी, चकिया और भदोही जिला के प्रतिष्ठित गुण्डा थे, उनके नाम को लिखना उनके वंशवालों के लिये कलंक होजाता, अतः उनका नाम लिखना उचित न जान पड़ा।

रात्रि की घटना जब जेलर के सम्मुख उपस्थित की गयी तो जेलर ने भुलावा ही दिया, और इनको मांफी मांग कर बाहर चले जाने के लिये उलटी सीधी समझाने लगा। राजनीतिक बन्दियों के सामने माफीनामे का कागज रख दिया गया परन्तु उन वीरों ने कागज को फाड़ जेलर के अत्याचार को सहना ही अपने लिये श्रेयस्कर समझा।

देश सेवा सचमुच कठोर व्रत है। इस व्रत को जिसने ग्रहण किया और सकुशल समाप्त कर दिया, उस वीर के लिये

महान विपत्ति सरल बन जाती है। कठोर मार्ग सुगम हो जाते हैं, भयानक वाधायें स्वयंमेव शान्त हो जाती हैं। वह देशभक्त देश सेवा की महान् परीक्षा में सफल बनकर विश्वविजयी बन जाता है। और वह पहाड़ सा अचल धीर गम्भीर बन जाता है। ज्ञानपुर जेल के जेलर महोदय बहुत ही कलुषित विचार के प्राणी थे और वैसे ही व्यक्ति ऐसे उत्तम स्थान पर रखे जाते थे। बन्दियों ने जेलर से पानी मांगा तो उन्होंने बन्दियों को पत्थर दिया। गुण्डों के अन्याय पर जेलर ने तनिक भी विचार नहीं किया किन्तु जेलर का अन्याय उन्हें अपने पथ से डिगा न सका। उन लोगों ने जेलर को बहुत ही मार्मिक शब्दों में फटकार कर कह दिया था कि हम जीते जी माफी नहीं माग सकते।

समय बीतते देरी नहीं लगती, किसी प्रकार अपने जेल जीवन को समाप्त करके किसान सभा के महारथी बाहर आये। उनके बाहर आने पर किसान सभा का कार्य बिलकुल समाप्त हो गया था। प्रजा के उपर आन्दोलन का बहुत ही भयानक परिणाम हुआ। नहर का पानी न लेने से धान की फसल नष्ट हो गयी थी। पानी न लेने पर भी ढाई रुपया प्रति बीघा नहर रेट किसानों को देना पड़ा था। फल स्वरूप किसान सभा के कार्य से प्रजा को आर्थिक लाभ तो नहीं हुआ किन्तु नैतिक लाभ तो अवश्य ही हुआ था। श्री मगरू मिश्र व लोमश सिंह जेल से छूटने पर देश की स्थिति को देख कर देश से बाहर हो गये, जो अब तक नहीं लौटे। लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि वे विरक्त हो गये। श्री कुबेर दत्त मिश्र भी अपना कोई वश न चलते देख शान्त हो गये, किन्तु श्री रामनन्दनसिंह समय की प्रतीक्षा में बैठकर अपना समय बिताने लगे। भदोही

के श्री बैकुण्ठनाथ मिश्र व श्री व्रजभूषण मिश्र और भवमित्रजी 'ग्रामवासी' के प्रकाशन द्वारा जन सेवा कार्य में लग गये। बाकी सैनिकों में कुछ मर गये। कुछ राज्य द्वारा प्राप्त प्रलोभनों में फंसे, और कुछ माफी मांगने के कारण लज्जित होकर घर बैठ गये। इस प्रकार किसान सभा का कार्य अस्ताचल की ओर पहुँच गया। राज्य में पुनः शोषण, दोहन, उत्पीड़न की बाजार गर्म हो गयी। प्रजा की कोई भी सुनवायी नहीं होती थी। जिससे प्रजा को आर्थिक नैतिक दोनों प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा था।

———

तृतीय-अध्याय

चकिया में कांग्रेस की स्थापना

सन् १९३७ ई० में भारत की राजनीतिक स्थिति दो प्रचार की थी। भारतीय ९ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों का शासन चल रहा था, और देशी राज्यों में ठीक उसके विपरीत दशा थी। एक ओर प्रकाश था तो दूसरी ओर अन्धकार था। एक ओर शान्ति थी तो दूसरी ओर महा अशान्ति थी। एक ओर शोषण उत्पीड़न चल रहा था, दूसरी ओर प्रजा स्वराज्य का अनुभव करने लगी थी। कांग्रेसी प्रान्तों में प्रजा को सुख का मधुर अनुभव होने लगा था, किन्तु देशी राज्यों की प्रजा कुशासन के महान् दुःख का कटु अनुभव कर रही थी। देशी राज्यों में अन्याय, अत्याचार द्वारा निरीह प्रजा सतायी जारही थी। कर्मचारी गणों का बोलवाला काशीराज्य में विशेष रूप से था। किसान सभा को समाप्त करके राज्य के कर्मचारी गण पशुबल के भरोसे महान् अनर्थ कर रहे थे। किसान सभा तो समाप्त हो चुकी थी, किन्तु भट्टी में छिपी आग जिस प्रकार समय पाकर प्रज्ज्वलित हो उठती

है उसी प्रकार किसान सभा द्वारा प्रसारित विद्रोह की भावना दबी न थी, नवयुवकों के हृदय में स्थान पाकर जीती जागती रही।

चकिया के नवयुवक गण पड़ोस के जिलों में कांग्रेस द्वारा जो शासन कार्य चल रहा था उसका निरीक्षण कर और राज्य की नीति को देख कर घबराने लगे। किसी पथ प्रदर्शक की प्रतीक्षा में चकिया के नवयुवक तैयार बैठे थे। श्री रामनन्दनसिंह जी किसान सभा की समाप्ति से बहुत खिन्न थे, 'सभा' के साथी गण तितर-वितर हो चुके थे। इन्हें सहयोगियों की आवश्यकता हुई। पुराने बचे साथी उनके लिये उपयुक्त न जान पड़े, किन्तु बेचनराम हरिजन और श्री गुप्तेश्वर पाठक जो गांव के ही रहने वाले शिक्षित नवयुवक थे सहयोग देने को तैयार होगये। श्री बेचनराम जी से श्रीरामनन्दनसिंह का किसान सभा के समय से ही राजनीतिक कार्यों में साथ था, अतः इन साथियों के सहयोग को पाकर श्रीरामनन्दनसिंह का उत्साह बढ़ गया।

श्री रामनन्दनसिंह

श्री रामनन्दनसिंह ने समाचार पत्रों के द्वारा बाहरी दुनियां का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया था। अतएव अपने दोनों साथियों के साथ श्री रामनन्दनसिंह काशी आये, काशी आनेपर प्रान्त के सम्मानित नेता तथा 'आज' पत्र के सम्पादक श्रीकमलापति त्रिपाठी,

और बनारस जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति श्रीजगत-नारायण दूबे व मंत्री श्री देवमूर्ति शर्मा से भेंट किये, इन लोगों से श्री रामनन्दनसिंह ने राज्य के अधिकारियों द्वारा किये गये अत्याचार और शोषण, उत्पीड़न की गाथा कह सुनाया एवं चकिया के नवयुवकों के उत्साह को बतलाया। काशी के नेतृ वर्ग ने चकिया में कांग्रेस की स्थापना के लिये सलाह दिया और बतलाया कि कांग्रेस की स्थापना चकिया में हो जाने पर प्रांतीय कांग्रेस की सहायता भी चकिया के किसानों को प्राप्त होने लगेगी। श्रीरामनन्दन सिंह ने साथियों के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना के लिये निश्चित करके कांग्रेस की चवन्नियां सदस्यां की पुस्तिका लेकर चकिया लौट आये। चकिया लौट आने पर श्री राम-नन्दन सिंह, श्रीगुप्तेश्वर पाठक, श्री बेचनराम ने चवन्नियां सदस्य बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। तिरासी चवन्नियां सदस्य बनाने पर जिला चकिया में कांग्रेस की स्थापना हो सकती थी।

कांग्रेस की पुस्तिका लेकर ये लोग जिस समय गांवों में घूम घूम कर कांग्रेस का सदस्य बना रहे थे, उस समय अधिकारियों द्वारा कांग्रेस की सदस्य बनाने वाली पुस्तिका को (जो इन लोगों के पास थी उसे) जब्त करने का बहुत उद्योग हुआ परन्तु सफलता न प्राप्त हुयी। प्रत्येक गांव के सजावल और पटवारी को यह आदेश था कि कांग्रेस का कोई सदस्य न बन सके, परन्तु ठीक इसके विपरीत फल हुआ। कारण भी यह था कि अधिकरियों की नीति से प्रजा जल-भुन चुकी थी। त्राण पाने लिये तथा विद्रोह करने के लिये प्रजाजनों में पूर्ण उत्साह था, कमी केवल नेता तथा संचालक की थी।

पहले लोग कांग्रेस की सदस्यता के नाम से भांति भांति के तर्क भी करने लगे किन्तु श्री रामजियावनसिंह, श्री द्वारिका सिंह (बड़ौरा) श्री हरिवंशपांडेय (मसोई) श्री सरयूप्रसाद शहाबगंज, श्री बनवारीसिंह (बरौझी) श्रीकन्तूसिंह (कुरूथिया) आदि सज्जन बिना किसी डर भय के कांग्रेस का सदस्य बने और अनेकों व्यक्तियों को सदस्य बनाने में प्रोत्साहन दिये। इस प्रकार चकिया जिला में सौ से अधिक सदस्य बनाये गये। जब सौ सदस्य कांग्रेस के बन चुके तो श्री रामनन्दनसिंह काशी जाकर वहां रुपया जमा करके कांग्रेस की स्थापना के लिये जनता में वितरित करने के लिये एक सूचना पत्र भी प्रकाशित करा लाये थे। उस सूचना पत्र में २३ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को चकिया में कांग्रेस की स्थापना के लिये जनता को सूचित किया गया था। सूचना पत्र में उपरोक्त तीनों व्यक्तियों का नाम था।

२३ अप्रैल सन् १९३७ ई० को १२ बजे दिन में लगभग दश हजार किसानों और मजदूरों का समूह चकिया में देवी के मन्दिर के सम्मुख इकत्रित हुआ। काशी से श्री जगतनारायण दूबे, श्री देवनन्दनसिंह दीक्षित श्री रमाकान्तमिश्र पधारे थे। श्री सहदेवसिंह वकील के सभापतित्व में सभा हुयी और कांग्रेस की नीव पड़ने की घोषणा हुयी। कांग्रेस की स्थापना से चकिया के किसान, मजदूरों को विशेष हर्ष हुआ। नवयुवकदल तो महान उत्साह के साथ आगे बढ़ा। उस समय *तेरह व्यक्तियों की चकिया कांग्रेस कमेटी बनी। श्री मुन्ननजी

---

*(१) श्री मुन्नन जी पाण्डेय, (२) श्री रामनन्दन सिंह, (३) श्री सरयूप्रसाद साहु, (४) श्री गुप्तेश्वर पाठक, (५) श्री बेचनराम, (६) श्रीबनवारीसिंह, (७) श्रीरामजियावनसिंह, (८) श्रीहरिगेनसिंह,

पांडेय सभापति, श्री रामनन्दनसिंह मन्त्री बनाये गये और उप सभापति श्री गुप्तेश्वर पाठक, कोषाध्यक्ष श्री कालिकासिंह, और निरीक्षक श्री सहदेवसिंह निर्वाचित हुये।

कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त सैकड़ों नवजवानों का सहयोग कांग्रेस कमेटी को प्राप्त हुआ। हिन्दू विश्व विद्यालय में पढ़ने के नाते श्री मुन्नन जी पांडेय श्री सूर्यनारायणसिंह और लेखक को कांग्रेस की स्थापना में सहयोग करना पड़ा विद्यार्थी जीवन में भी देशसेवा करना अनिवार्य था।

चकिया के किसानों में कांग्रेस की स्थापना के बाद दिन प्रति दिन उत्साह बढ़ने लगा, और निर्भयता व्याप्त होने लगी। कारण यह था कि प्रजा राज्य द्वारा बहुत उत्पीड़ित हो चुकी थी। सहन की भी सीमा होती है अधिकारियों ने यह समझ लिया था कि किसान सभा को मिटा देने के बाद कोई राजनीतिक संस्था चकिया में न चल सकेगी पर उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। एक महीने के भीतर चकिया में हजारों व्यक्ति कांग्रेस के झण्डे के नीचे मर मिटने को तैयार होगये।

लक्ष्मीचन्द तहसीलदार की काली करतूत

चकिया जिला में सबसे बढ़कर अत्याचार श्री लक्ष्मीचन्द तहसीलदार के समय में हुआ, किसानों पर आर्थिक बोझ इतना होगया था कि राज्य द्वारा बढ़ायी गयी लगान को वे नहीं दे पाते थे, फलस्वरूप राज्य द्वारा लगान वसूली में किसानों की चल सम्पत्ति कुर्क की जाती थी, जिसमें कई

(९) श्री कालिका सिंह, (१०) श्री सीतारामसिंह, (११) श्री हुलाससिंह, (१२) श्री सूर्यनारायणसिंह, और (१३) इतिहास लेखक।

गांवों में, तहसीलदार श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा इतना अत्याचार हुआ कि किसानों के घरों से स्त्रियों के शृङ्गार की तथा सुहाग की वस्तुयें भी कुर्क व नीलाम की गयी थीं। कजरौटा, व सिन्दूरदानी कुर्क करके केवल अधिकारियों ने अपने मुँह में कालिख ही पोता था। आज भी चकिया के किसान लक्ष्मी चन्द तहसीलदार के नाम को स्मरण करते हैं और उनके अत्याचार का वर्णन करते हैं। इन्हीं अत्याचारों का फल यह निकला कि चकिया में कांग्रेस (महीनों के अन्दर) किसानों के बल और उत्साह को प्राप्त करके सुदृढ़ बन गयी। जिससे आगे की अध्यायों का विस्तार हुआ।

कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रचार के लिये श्री रामनन्दन सिंह, श्री रामलगनमिश्र, श्री छविनाथ दूबे, श्री रामसूरतसिंह, श्री भरतसिंह आदि कार्यकर्ता अधिक से अधिक समय लगा कर गांवों में भ्रमण कर घर घर में कांग्रेस का सन्देश सुनाने लगे। कांग्रेस के प्रचार में इन नवजवानों को कभी-कभी-दिन-दिन भर भूखा रह जाना पड़ा था। इस प्रकार महान कष्टों को उठा कर चकिया के नवयुवकों ने वर्ष के भीतर कई हजार व्यक्तियों को कांग्रेस का सदस्य बनाया।

चकिया कांग्रेस-प्रचार की व्यापकता

चकिया कांग्रेस के प्रचारार्थ स्वयं साधन उपस्थित होने लगे। चकिया के नागरिक कांग्रेस की तन, मन, धन से सहायता करने लगे। चकिया कांग्रेस को बनारस जिला कांग्रेस की हरेक भांति से सहायता प्राप्त होने लगी। श्रीदेवनन्दनसिंह दीक्षित को बनारस जिला कांग्रेस कमेटी ने, चकिया में प्रचारकार्य के लिये नियुक्त किया। श्री देवनन्दनसिंह जी को

चकिया में पधारते ही किसानों में तथा कांग्रेस-कार्यकर्ताओं में नवजीवन आ गया, दीक्षित जी के भाषणों और उपदेशों से क्रान्ति की लहर उमड़ पड़ती थी, जिसका प्रभाव चकिया में व्याप्त हो गया। दीक्षित जी बड़ी तत्परता और उत्साह के साथ गांवों में घूम-घूमकर कांग्रेस का सन्देश पहुँचाते थे। आज भी चकिया जिला के निवासी दीक्षित जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। चकिया में वर्ष के भीतर ही अनेकों विराट सभाओं का आयोजन हुआ जिसमें काशी के प्रमुख नेता श्री कमलापति त्रिपाठी 'शास्त्री' श्रीश्रीप्रकाशजी (केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य) श्रीयज्ञनारायण उपाध्याय, श्रीराजाराम शास्त्री, श्रीऋषिनारायण शास्त्री, श्रीदेवमूर्ति शर्मा, आदि नेतागण चकिया पधारे थे. जिससे प्रचारकार्य में अधिकाधिक सहायता प्राप्त हुयी।

चकिया कांग्रेस की मांगें

चकिया कांग्रेस ने महाराज श्री आदित्यनारायणसिंह जी से (जो पिता तुल्य, प्रजा-पालक राजा थे) अपनी मांगों को उनके सम्मुख ७ नवम्बर सन् १९३७ ई० को उपस्थित किया। महाराज की भावना प्रजा के प्रति बहुत शुद्ध थी। महराज ने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया था, इसका वर्णन इतिहास में आगे आयेगा किन्तु महाराज के प्रमुख अधिकारीवर्ग निज स्वार्थ साधन के लिये महाराज से उलटा-सीधी समझाते रहे जिससे महाराज कांग्रेस की मांगों की ओर पहले आकर्षित न हो सके। जिन आवश्यक मांगों को चकिया कांग्रेस ने महाराज के सम्मुख उपस्थित किया था वह निम्नलिखित हैं।

१—समय की गति को देखते हुये वृटिश भारत में जिस

प्रकार प्रजातन्त्र शासन प्रणाली के आधार पर शासनसूत्र चलाया जा रहा है वही शासन प्रणाली काशीराज्य में भी स्थापित की जाये।

२—चकिया कांग्रेस महाराज से यह अनुरोध करती है कि राज्य के वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल निम्नलिखित बातों को राज्य में शीघ्र कार्यान्वित कर दी जाय।

क—बकाया लगान की वसूली रोक दी जाय।

ख—लगान वसूली के निमित्त की गयी कार्यवाहियां बन्द करके विचाराधीन मुकदमे स्थगित किये जायँ।

ग—सन् १३३७ फ० तक के अवशिष्ट लगान में अधिकार वंचित भूमि पुनः उन्हीं किसानों को लौटा दी जाये।

घ—जो अचल सम्पत्ति लगान के लिये राज्य द्वारा निकाली गयी हों, यदि किसान उसे चाहे तो वह बिकी हुई भूमि की कार्यवाही अनियमित घोषित कर दी जाय। और महाजन का दिया हुआ रुपया बिना सूद का क्रमन्क्रम से दिलवा दिया जाय।

ङ—लगान में अधिक न्यूनता की जाय ताकि किसान दे सकें।

च—एकजायी खातों को तोड़कर पृथक-पृथक नाम से कर दिया जाय।

छ—राज्य स्वतन्त्र होने के बाद जो नये 'कर' प्रजा पर लगाये गये हैं वह बन्द कर दिये जायँ।

३—राज्य स्वतन्त्र होने के पहले सिंचायी के लिये निःशुल्क व्यवस्था की गयी थी, उसे पुनः कार्यान्वित कर दिया जाय। नहर के पानी देने की प्रथा में सुप्रबन्ध, एवं नहर रेट में कमी हो।

४—गोचर भूमि लौटाकर खरचरी की वसूली बन्द की जाय।

५—जंगल प्रदेशीय प्रजा को जान-माल की रक्षा के लिये, बन्दूकें दी जांय।

६—जिन गावों में पानी पीने के लिये कोई कुंवा न हो वहां कुवां बनवाये जायं।

७—घूसखोरी प्रथा रोकने के निमित्त विशेष कार्यवाही की जाय।

८—बीज गोदाम का प्रबन्ध करके किसानों को उत्तम बीज दिया जाय।

९—संयुक्त प्रान्त में बरता जानेवाला कर्ज विधान राज्य में भी चालित हो।

१०—राजा के "निर्धन सहायता कोष" का रुपया राज्य के विद्यार्थियों को दिया जाय।

११—हरिजन बालकों एवं बालिकाओं के शिक्षा का सुप्रबन्ध किया जाय।

१२—राज्य के प्रमुख स्थानों में वाचनालय, पुस्तकालय स्थापित किये जाँय।

१३—राज्य के लोगों को राज्य के औषधालयों में विशेष सुविधा दी जानी चाहिये।

१४—चकिया में पशु चिकित्सालय का शीघ्र प्रबन्ध हो।

१५—'जिला पंचायत' 'नगर पंचायत' का निर्माण हो, प्रतिनिधियों का चुनाव प्रजा द्वारा हो।

१६—राज्य की नौकरियां राज्य के नागरिकों को ही दी जाँय, इससे राजा-प्रजा दोनों का कल्याण होगा।

(महाराज प्रभुनारायण सिंह जी ने इसे स्वीकार किया था)

१७—शिक्षा का प्रचार और विस्तार हो।

१८—संयुक्त प्रान्तीय सरकार की भांति राज्य द्वारा ग्राम सुधार योजना कार्यान्वित हो।

१९—मादक वस्तुओं का निषेध करके उसकी ठिकेदारी तोड़ दी जाय।

२०—वर्तमान् समय की लगान वसूली में सभी कड़ी कार्यवाहियां रोकी जांय।

उपरोक्त मांगों की सार्थकता पर विचार कर, महाराज को यह सर्वथा उचित था कि तथोक्त मागों में कुछ तुरन्त कार्यान्वित कर दिये होते किन्तु कर्मचारियों ने महाराज को उनपर विचार ही नहीं करने दिया। कर्मचारीगण ! राज्य द्वारा प्रजा की मनमानी सम्पत्ति को अपने जेब में रखते रहे, यदि तथोक्त मांगों को 'राजा' प्रजा की दृष्टि से स्वीकार कर लेते तो कुटिल कर्मचारियों के स्वार्थ सिद्धि में बाधा पड़ने लगती। अतएव कर्मचारियों ने राजा को प्रजा के कल्याण के लिये कुछ भी नहीं विचारने दिया था।

भदोही में कांग्रेस की स्थापना

भारत के कोने कोने में जागृति की लहर प्रवाहित हो गयी थी, सभी दिशाओं में 'क्रान्ति-जिन्दाबाद' का घोष ध्वनित हो रहा था। पड़ोस के जिलों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल की स्थापना से एवं चकिया में कांग्रेस का प्रचार कार्य बढ़ता देख कर, यह आवश्यक था कि भदोही में भी कांग्रेस की स्थापना हो जाय। गोपीगंज के नवयुवक श्री हृदयनारायणसिंह बघेल के हृदय में भदोही जिला में कांग्रेस की स्थापना के लिये सर्व प्रथम भावना जागृत हुई। श्री हृदयनारायणसिंह को सहयोग देने के लिये, श्री गंगाप्रसाद खरे वकील, श्री राजेश्वरी

प्रसाद, श्री दयाशंकर दूबे, श्री जंगबहादुरसिंह बघेल, आदि सज्जनों ने कठिन परिश्रम किया था।

२४ जनवरी सन् १९३८ ई० को भदोही कांग्रेस की स्थापना हुयी, उस समय काशी के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्तागण उपस्थित थे। भदोही कांग्रेस के सभापति श्री दयाशंकर दूबे, मन्त्री श्री हृदयनारायण सिंह बघेल, उपसभापति श्री बलभद्र-मिश्र, उपमंत्री श्री राजेश्वरी प्रसाद, कोषाध्यक्ष श्री राम-नरेश मिश्र, निरीक्षक श्री रमाकान्त वर्मा निर्वाचित हुये। चकिया की भांति भदोही कांग्रेस का प्रचार कार्य शीघ्र ही चढ़ गया। भदोही के प्रसिद्ध धनी मानी सज्जनों ने कांग्रेस को पूर्ण सहयोग प्रदान किया श्री रामनाथसिंह, श्री वंश नरायण सिंह आदि ने भदोही कांग्रेस की हरेक भाँति से सहायता पहुँचायी।

एक वर्ष के भीतर भदोही में हजारों की संख्या में कांग्रेस के चवन्नियां सदस्य बनाये गये। भदोही कांग्रेस कमेटी के अन्तर्गत अनेकों मण्डल भी स्थापित होगये, जिसमें चौरी मंडल का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय रहा। कांग्रेस की स्थापना के के पूर्व में भदोही जिला में प्रजा परिषद द्वारा प्रजा के सुधार के लिये एक संस्था बनी थी, उसमें भदोही जिला के हरेक समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, किन्तु आपस में मतभेद के कारण प्रजा परिषद भी चकिया के किसान सभा की भाँति अस्ताचल की ओर पहुँच चुकी थी। भदोही में कांग्रेस की स्थापना के बाद परिषद के बहुत से लोगों ने कांग्रेस में सहयोग देना उचित समझा। भदोही कांग्रेस में हरेक समूह के लोग सहयोग करने लगे थे इसलिये भदोही कांग्रेस ने अपने जीवन के प्रारंभ काल में अत्यन्त सफलता प्राप्त किया।

चकिया जिला के कांग्रेस की भाँति भदोही कांग्रेस को पदे-पदे संकट का सामना नहीं करना पड़ा था, कारण यह था कि भदोही की प्रजा को चकिया की भाँति उतना अधिक आर्थिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता रहा। अतएव भदोही की अपेक्षा चकिया कांग्रेस को अधिकाधिक रूप में 'सविनय-अवज्ञा' रूपी महाशस्त्र को अपनाना पड़ा था। यह भी ध्रुव सत्य है कि चकिया कांग्रेस को भदोही कांग्रेस की सहायता पूर्णरूप से प्राप्त होती रही, चकिया कांग्रेस की सफलता, भदोही कांग्रेस सफलता एक समान थी, क्योंकि दोनों कमेटियों में केवल शरीर भेद था दोनों का प्राण एक ही था। भदोही, चकिया इन दो जिलों में भौगोलिक अन्तर होते हुये भी राज्य कांग्रेस की स्थापना से और प्रजा के प्रतिनिधियों के आवागमन से, चकिया भदोही दोनों के प्रजाजन एक दूसरे के निकट हो गये थे।

रामनगर-कांग्रेस की स्थापना

चकिया, भदोही में 'कांग्रेस' की स्थापना के बाद रामनगर में भी कांग्रेस की स्थापना होना आवश्यक होगया। राजधानी रामनगर के लोग, अधिकारियों द्वारा बहुत त्रस्त थे। श्री शत्रुघ्न प्रसाद, श्री कृष्णदेव उपाध्याय, श्री भगवती प्रसाद आदि शिक्षित वर्ग के सहयोग से वहाँ भी कांग्रेस की स्थापना हो गयी। श्री रामलखन तिवारी श्री माताप्रसाद आदिसज्जनों ने रामनगर में अधिकाधिक संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनाये। रामनगर कांग्रेस ने भी महाराज के सामने अपनी मांग उपस्थित किया था जिसमें नागरिक अधिकारों की प्राप्ति और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये विशेष जोर दिया गया था।

काशीराज्य कांग्रेस

चकिया, भदोही, रामनगर में कांग्रेस की स्थापना होने के पश्चात् यह आवश्यक होगया था कि काशी राज्य कांग्रेस का स्वरूप बन जाय। अस्तु काशी-राज्य-कांग्रेस का भी प्रादुर्भाव हो गया। सर्व प्रथम काशी-राज्य-कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री गंगाप्रसाद खरे, मंत्री श्री राजेश्वरी प्रसाद निर्वाचित हुये थे। सदस्यों में सात सदस्य भदोही के और छ चकिया के थे। राज्य कांग्रेस की ओर से संगठन और प्रचार का कार्य विशेष उत्तमता से हुआ। प्रान्तीय कांग्रेस का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होने लगा। श्री रामनन्दन सिंह चकिया 'कौमी सेना' के नायक बनाये गये और गोरखपुर प्रान्तीय कांग्रेस शिक्षण शिविर में शिक्षा प्राप्त कर लौट आये। पश्चात राजेश्वरी प्रसाद जी भदोही से और श्रीराम जियावन सिंह चकिया से अधिनायक बनाये गये। सैकड़ों सैनिकों को शिक्षा दी गयी।

राजधानी में प्रजा प्रदर्शन

काशी राज्य काग्रेस ने राज्य कर्मचारियों की भेदनीति को भली प्रकार से समझ कर यह निश्चय किया कि प्रजा को राजा के सम्मुख उपस्थित कर करुण कहानी सुनाना उपयुक्त होगा। २६ अप्रैल सन् १६३८ ई० को काशी राज्य कांग्रेस की देखरेख में, भदोही, चकिया, और नवगढ़ के २५ हजार किसान पचासों मिल पैदल चलकर रामनगर राजधानी में राजा के दर्शन के लिये इकत्रित हुये। काशीराज्य के इतिहास में इस प्रकार की यह प्रथम घटना थी कि तीनों जिलों के हजारों किसान संगठित रूप से राजधानी में अपनी दुख-गाथा को

सुनाने के लिये इकत्रित हुये थे। १२ बजे दिन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अध्यक्षता में किसानों का दल राष्ट्रीय झंडा के साथ किला की ओर चला, परन्तु वहां पहुँचने पर यह अवगत हुआ कि कर्मचारियों ने महाराज को पहले से ही चकिया भेजवा दिया। महाराज का दर्शन उनको प्रिय प्रजा न कर सकी। महाराज के लिये महान खेद की बात थी कि उनकी प्रजा उनसे, अपने कष्टों को सुनाने के लिये उनके पास गयी पर विमुख लौटी।

भारतीय राजा, प्रजा की रक्षा के हेतु और उनके कष्टों का पता लगाने के लिये, रात्रि में घूम-घूमकर प्रजा जनों के घर घर की बात का पता लेते थे। महाराज काशीनरेश श्री आदित्य-नारायणसिंह, कुटिल कर्मचारियों द्वारा अपने राजधानी में भी प्रजा की करुण कहानी न सुन सके। प्रजा को राजा के दर्शन से विमुख करके कर्मचारियों ने काशी राज्य कांग्रेस के बल को और अधिक बढ़ाया था। प्रजा को कांग्रेस पर पूर्ण विश्वास और भरोसा हो गया। काशी-राज्य-कांग्रेस, काशीराज्य के प्रजा की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था बन गयी।

काशी राज्य की कांग्रेस ने कई बार यह प्रयत्न किया कि महाराज, प्रजा की बात, सुन कर न्याय की भिक्षा प्रजा को दे दें। परन्तु इस दिशा में प्रजा को राजा की कृपा दृष्टि से कुछ भी सुधार न मिला। प्रजाजनों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विद्रोह की भावना बढ़ने लगी।

काशी राज्य कांग्रेस पर प्रहार

अधिकारियों ने काशी राज्य कांग्रेस की बढ़ती हुयी शक्ति को देख कर उसे कुचलने का असफल प्रयास करना प्रारम्भ

कर दिया था। श्री रामनन्दन सिंह, श्री मुन्नन जी पाण्डेय, श्री सरयू प्रसाद साहु, श्री छविनाथ द्विवेदी के पिता पर राज्य के कुछ कर्मचारियों द्वारा दमनात्मक प्रहार हुआ था। श्रीराम अनन्त त्रिपाठी पर एक अभियोग लगवाया गया जिसमें श्री राम अनन्त जी अपने भाई के साथ गिरफ्तार कर लिये गये। श्रीराम अनन्त जी के गिरफ्तारी से चकिया, नवगढ़ में क्रान्ति उत्पन्न हो गयी। इस गिरफ्तारी से काशीराज्य द्वारा कांग्रेस को चुनौती दी गयी थी। काशी राज्य कांग्रेस ने श्री राम अनन्त त्रिपाठी की गिरफ्तारी से, आन्दोलन का भूमिका का निर्माण करना ही उत्तम समझा।

युद्ध समिति का निर्माण

काशी राज्य से संघर्ष करने के लिये, काशी राज्य कांग्रेस ने कांग्रेस-युद्ध-समिति का निर्माण किया। श्री गंगा प्रसाद खरे, समिति के अधिनायक, श्री दयाशंकर दूबे, श्री सरयू प्रसाद साह सदस्य बनाये गये।

९ दिसम्बर सन ३८ ई० को चकिया में किसानों का प्रदर्शन श्री राम अनन्त के गिरफ्तारी के विरोध में हुआ। महाराज उस समय चकिया में उपस्थित थे, जनता ने उनके सम्मुख विरोधात्मक प्रदर्शन किया। महाराज को अधिकारियों की नीति का पता लग गया।

उस समय बनारस जिला राजनीतिक सम्मेलन जाल्हू पुर में हो रहा था। सम्मेलन में काशीराज्य के दमनात्मक कार्यों का विरोध किया गया था, और एक प्रस्ताव में चेतावनी भी दे दी गयी थी। आचार्यनरेन्द्र जी, श्री सम्पूर्णानन्द जी, श्री कमलापति त्रिपाठी के समक्ष काशी राज्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं

का सम्मेलन हुआ और उसमें काशी राज्य कांग्रेस के युद्ध समिति के प्रथम अधिनायक श्री रामनन्दन सिंह जी बनाये गये।

१३ दिसम्बर सन् १९३८ को श्री रामनन्दन सिंह महाराज को एक 'अन्तिम-पत्र' लिखे जिसमें प्रजा की मागों की सार्थकता का वर्णन और अधिकारियों के कुकृत्यों का भण्डाफोड़ था, साथ ही राज्य को चुनौती भी दी गई थी। श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित जी ने भी राज्य को चेतावनी देते हुये, बनारस जिला कांग्रेस की ओर से विरोध प्रकाश किया था।

२६ दिसम्बर-महापर्व

युद्ध समिति के अधिनायक ने जो पत्र महाराज को दिया था, पत्रोत्तर पाने की अवधि, २५ दिसम्बर को आधी रात तक थी, किन्तु कोई उत्तर आधी रात न आया। हज़ारों की संख्या में किसान, मजदूर २५ दि को सायंकाल में ही इकत्रित हो गये थे। पत्रोत्तर न आने के कारण रात्री में बारह बजे के बाद, एक विराट प्रदर्शन हुआ, जिसमें श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित, श्री गंगा प्रसाद खरे और अधिनायक के साथ-साथ चकिया के सभी कांग्रेस जन सम्मिलित थे। प्रदर्शनकारी, किसानों का दल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देख रेख में रात्रि में चकिया की सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ 'लाल द्वार' पर पहुँचा, महाराज की निद्रा भंग हो गयी। उसी समय उनकी भावना प्रजा के दुखों पर आकर्षित हो गयी।

प्रातःकाल चकिया, नवगढ़ प्रान्त के हरेक भाग से किसान, मजदूर, विद्यार्थियों का विराट दल आने लगा। ११ बजते बजते लगभग २० हज़ार जन समूह 'आजादबाग' में इकत्रित हो गया। चकिया के प्रमुख कार्यकर्तागण तो आन्दोलन के

लिये तैयार थे ही. भदोही के श्री दयाशंकर दूबे, श्री रामनरेश मिश्र, श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे, श्री राजेश्वरी प्रसाद, श्री चुन्नीलाल, श्री परिगन सिंह, श्रीसुखईराम मौर्य भी आनन्दोलन में भाग लेने की भावना से चकिया आ डटे थे।

महाराज की घोषणा

महाराज श्री आदित्यनारायणसिंहजी ने श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित, श्री गंगा प्रसाद खरे को घोषणा' सम्बन्धी विचार के लिये बुलवाया। महाराज के निजी सचिव श्री विजयीप्रसाद जी भी विचार विमर्श में सम्मिलित थे। अन्त में महाराज की प्रेरणा से, श्री विजयीप्रसाद जी ने अधिनायक के नाम से पत्र लिखा था। पत्र में, यह भाव प्रकट किया गया था कि महाराज को प्रजा के कष्टों की सूचना प्राप्त होने पर प्रजा के दुख से क्षोभ हुआ। प्रजा के दुःखों का भलीभाँति समझ कर महाराज ने घोषणा करने की सूचना दे दी। पत्र में कुछ अवधि तक प्रजा को 'शान्ती' रखने के लिये आग्रह भी किया गया था।

कुछ देर बाद श्री गंगाप्रसाद खरे, श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित वहाँ से प्रसन्न-मुख लौटे, पत्र की भाषा और सत्यता पर कांग्रेसजनों को विश्वास करना पड़ा। २ बजे दिन में ३० हजार जन समूह के बीच श्री विजयी प्रसाद सिंह द्वारा निम्नलिखित घोषणा पढ़ी गयी।

"मेरी सर्वदा से यह इच्छा रही है, मेरी प्रजा संसार के दूसरे लोगों की भांति उन्नति करती रहे, और सब भांति से प्रसन्न रहे, संसार की गति को देखते हुये मैं इस स्तर पर पहुँचा हूँ कि ऐसा तभी सम्भव है, जब प्रजा को अपने प्रतिनिधियों द्वारा राज्य के सभी विभागों पर, अधिकार दिया जाय और प्रजा के प्रतिनिधियों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो।

मेरा यह विश्वास है कि "उत्तरदायी शासन" से कर्तव्य परायणता आ सकती है। जब तक स्वयं कार्य करने का अवसर किसी को नहीं प्राप्त होता तब तक स्वयं वह कार्य बाहुल्य का अस्तित्व नहीं समझता।

इस कारण मेरी सदिच्छा भी यही है, कि मेरे राज्य में "उत्तरदायी शासन स्थापित हो" मैं एतदर्थ जो व्यवस्था करूंगा उसमें प्रजा के चुने हुये प्रतिनिधि रहेंगे। राज्य में आमदनी और व्यय और अन्य जो रुकावटें हैं उनमें ध्यान दे रहा हूँ। मुझे विश्वास है, कि मैं शीघ्र अपने यहां ऐसी संस्थायें स्थापित कर सकूंगा जिनके द्वारा प्रजा का राज्य में अधिकार प्राप्त होवे। साथ ही प्रजा को भी मेरी कठिनाइयों पर ध्यान रखना चाहिये। यदि उतनी शीघ्रता से न चल सकूँ जितनी प्रजा चाहे तो उसका यह कारण नहीं है कि मेरी इच्छा ही नहीं है, प्रत्युत मेरी असाधारण कठिनाइयाँ ही हैं।

मुझे बहुत सी बातों पर विचार करना होगा। विशेष मुझे इसका ध्यान रखना होगा कि राज्य-कार्य ठीक ढंग से चालित रहे और शान्ति-सुव्यवस्था में बाधा न पड़ने पाये। मैं अपनी प्रजा से आशा करता हूँ कि वह शान्ति स्थापना में और विधान के अनुसार रहने में ही अपनी भलाई समझेगी। और शान्ति मार्ग को स्थिर रखेगी। "उत्तरदायी शासन" के लिये बहुत दिनों तक अभ्यास और कार्य दक्षता की आवश्यकता होती है और पूर्व उत्तरदायित्व ही एकाएक दे देना उचित और उपयुक्त न होगा। अभाग्यवश विशेष कर हमारे राज्य में शिक्षा की उन्नति उतनी नहीं हो सकती है जितनी आवश्यकता है। मेरी प्रजा को अधीर नहीं होना चाहिये। जब कि अपना विचार मैंने स्थिर कर लिया है तो उस दिशा की ओर जहाँ तक हो सकेगा शीघ्रता से बढ़ने का प्रयत्न किया जायेगा परन्तु धीरे धीरे चलने में हमारी भलाई है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मार्ग मैं नियत कर दूँगा उसे हमारी प्रजा स्वीकृत करेगी और हरेक भांति से 'प्रजा' और 'राजा' में सहयोग होगा। जिसमें सबका कल्याण हो, और सबके लिये उत्तम उदाहरण बन सके।"

आदित्य नारायण सिंह,

२६ दिसम्बर १९३८ ई०

घोषणा पत्र की भाषा और भाव पर विचार करने मे महाराज की जितनी सहृदयता व्यक्त हुयी, उससे कहीं अधिक किंकर्तव्यता अवगत हुयी। "औंधराज्य" में प्रजा को उस समय उत्तरदायी शासन दिया जा चुका था। कांग्रेसजनों ने महाराज को 'उत्तरदायी शासन की घोषणा' सम्बन्धी पुनः विचार के लिये, २६ जनवरी सन् १९३९ ई० तक का समय देना उचित समझा था, कारण यह भी रहा कि कर्मचारियों द्वारा संचालित राजनीति पर प्रजाजनों को बिलकुल विश्वास और भरोसा न था। महाराज की घोषणा में जो किंकर्तव्यता प्रकट थी, उसे प्रजाजन अधिकारियों का भुलावा समझे।

२६ दिसम्बर के क्रियाकलापों से तथा महाराज की शान्त्वना से कांग्रेस का बल बढ़ गया। प्रजाजनों में पूर्ण उत्साह स्पष्ट रूप से जागृत होगया। २६ जनवरी के पूर्व में महाराज के प्रधान सचिव का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था कि महाराज, 'फरवरी माह में' घोषणा करेंगे। प्रजाजनों को इस आश्वासन से और अधिक सन्देह हुआ। फलतः २६ जनवरी की प्रतीक्षा में लोग शान्त रहते हुये, भावी संघर्षात्मक कार्य के लिय संगठित होने लगे।

चतुर्थ-अध्याय

जंगल-सत्याग्रह

२६ जनवरी सन् १६३९ ई०, काशीराज्य कांग्रेस का महा-पर्व था। २६ जनवरी को यों तो सम्पूर्ण भारत में 'स्वाधीनता' दिवस मनाया जाता था किन्तु सन् १६३९ ई० के २६ जनवरी के दिन लगभग तीस हजार से अधिक जनसमूह चकिया 'आजाद' बाग में इकत्रित हुआ। सभा में श्री कमला पति त्रिपाठी, श्री देवनन्दनसिंह दीक्षित उपस्थित थे। सर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस की प्रतिज्ञा दुहरायी गयी। काशी के नेताओं के भाषण के बाद, सर्वसम्मति से प्रजाजनों की यह आज्ञा हुयी, "महाराज कर्मचारियों के भुलावे में हैं, अतः निर्धारित कार्यक्रम को कांग्रेसजन प्रारम्भ करें।" अधिनायक श्री रामनन्दनसिंह जी ने अपने प्रथम दश सत्याग्रहियों* को आदेश दिया कि जंगल-सत्याग्रह के लिये जंगल सत्याग्रही तैयार हो जा जाँय। फलस्वरूप जनता ने अधिनायक के साथ दशों सत्याग्रहियों का अभिनन्दन किया। पश्चात् सत्याग्रही जंगल-सत्याग्रह के लिये चल पड़े।

---

*१—सर्व श्री रामलगन मिश्र, २—सूबेदारसिंह, ३—छांगुरसिंह, ४-निरजनदास, ५—रघुनाथ पाण्डेय, ६—लक्ष्मीशंकर लाल ७—भरत सिंह, ८—गुप्तनाथ सिंह, ९—रामगुलाम सिंह, १०—बलदेव सिंह।

अधिनायक श्री रामनन्दन सिंह के साथ जंगल सत्याग्रही।

सत्याग्रही लोग बन में सत्याग्रह करने के लिये आगे बढ़े, उस समय का दृश्य बहुत ही आकर्षक था। जब सत्याग्रही कंधे पर 'टांगी' रखके चलने लगे तो अधिकारी वर्ग आवाक् हो गये थे, पुलिसदल सशंक था। उस समय राज्य में अभूतपूर्व घटना घटने जा रही थी। हजारों किसान सत्याग्रहियों के साथ लोना बन में सत्याग्रह का दृश्य देखने गये। जंगल-सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया, सत्याग्रहियों द्वारा राज्य की आज्ञा और विधान का उलंघन होने लगा। तीन दिनों तक यह कार्य सत्य-अहिंसामय ढंग से चला। और राज्य की ओर से किसी भी प्रकार का दमन नहीं किया गया।

अत्याचार और दमन के बाद जो विद्रोहाग्नि प्रज्ज्वलित होती है, उसका रूप बहुत ही भयानक होता है। प्रजा में विद्रोह की भावनापूर्ण रूप से जागृत थी, यदि जंगल सत्याग्रह न हुआ होता तो सम्भवतः महाराज प्रजा के भावों को न पहचाने होते, साथ ही अधिकारियों की नीति से सर्वदा धोखा खाते रहते। परन्तु यह भी ध्रुव सत्य है कि महाराज को दमन के लिये अधिकारियों ने बहुत उभाड़ा, किन्तु प्रजा वत्सल राजा प्रजा के दमन के लिये नहीं तैयार हुये। महाराज ने यह अवश्य कहा था कि "जंगल प्रजा की सम्पत्ति है प्रजा-चाहे उसकी रक्षा करें या नष्ट करें।" महाराजका स्वभाव सरल और दयालु था किन्तु पतितजनों की सलाह से वह अपने क्रिया कलापों का प्रयोग न कर पाते थे।

भ्रामक प्रचार

जंगल सत्याग्रह प्रारम्भ हो जाने पर अधिनायक की आज्ञा से सामूहिक सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया था। सामूहिक सत्याग्रह में

निश्चय रूप से जंगल के बहुत से पेड़ काटे गये, किन्तु अधिकारियों द्वारा सत्याग्रह के विरुद्ध बहुत ही असत्य प्रचार किया गया। कई समाचार पत्रों में भ्रामक समाचार प्रकाशित कराया गया था। सत्याग्रही पीतपुर के वगीचे में कुछ फल फूल अवश्य तोड़े थे। जंगल सत्याग्रह के अन्दर फल फूल तोड़ना उचित ही था। समाचार पत्रों में अधिकारियों द्वारा प्रकाशित भ्रामक समाचार से देश के नेताओं का ध्यान हठात् आकर्षित होगया।

श्री जवाहरलाल नेहरू को चकिया के जंगल सत्याग्रह का समाचार अवगत हो गया था किन्तु भ्रामक प्रचार से उन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर देने की सदिच्छा प्रकट किया, और उनकी सूचना से काशी के प्रमुख नेता श्री श्रीप्रकाश जी चकिया पधारे। चकिया पहुँचने पर श्री रामनन्दन सिंह जोसे उनसे भेंट न हो सकी किन्तु उन्होंने श्री सरयू प्रसाद साहु को पं० नेहरू जी की सलाह से जंगल सत्याग्रह वन्द करवा देने की सूचना दे दिया। बाद में श्री श्रीप्रकाशजी काशी लौट आये। श्री श्रीप्रकाश द्वारा प्राप्त, पं०जवाहरलालनेहरूजी के सलाह को मान कर अधिनायक ने जंगल सत्याग्रह स्थगित कर देने की आज्ञा

श्री श्री प्रकाश जी

प्रदान किया। फलस्वरूप चकिया के कोने-कोने में पं० जवाहर-लाल जी का संदेश पहुंचाया गया और सभी स्थानों का सत्याग्रह एक दिन में बन्द करा दिया गया। जंगल सत्याग्रह में जंगली सम्पत्ति की कुछ हानि अवश्य हुयी, कारण यह रहा कि सामूहिक आन्दोलन में ऐसा ही होता है, फिर भी पं० नेहरू जी की बात मानकर एक समय एक ही साथ सत्याग्रह बन्द हो जाना महान संगठन और अनुशासन का ज्वलन्त प्रमाण ही था।

पं० जवाहरलाल नेहरूजी का आगमन

३१ जनवरी को कलकत्ता की यात्रा में जाते समय मोगल सराय स्टेशन पर श्री जवाहरलालजी ने पं० कमलापति त्रिपाठी श्रीरामनन्दन सिंह, श्री मुन्नन जी पाण्डेय और श्री सरयू प्रसाद साहु से भेंट किया और चकिया के जंगल सत्याग्रह की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके, चकिया पधारने का वचन दिया।

जंगल सत्याग्रह पर 'आज' सम्पादक के विचार

जंगल सत्याग्रह के विषय में विरोधियों के प्रचार से वाहर के लोगों में भ्रामक विचार धारा की सम्भावना जान पड़ी थी। प्रकाशित समाचारों में नितान्त ही असत्य अनर्गल प्रलाप था। 'आज' के सम्पादक पं० कमलापति त्रिपाठी जी ने अपने एक लम्बे चौड़े वक्तव्य में चकिया कांग्रेस के उद्भव विकाश पर प्रकाश डालते हुये और जंगल सत्याग्रह की आवश्यकता पर विचार करते हुये सत्याग्रह में अनुशासनयुक्त की गयी कार्य-वाहियों को पूर्णरूप से स्पष्ट किया। पंडितजी ने अधिकारियों द्वारा किये गये अत्याचारों का भी स्पष्टरूप से विवेचन किया।

था। साथही यह घोषित किया था कि जंगल सत्याग्रह कांग्रेस की आज्ञा से प्रारम्भ किया गया था। सत्याग्रह में अनुशासन और मर्य्यादा रक्षण का ध्यान दिया गया था। त्रिपाठी जीने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि २६ जनवरी को सत्याग्रह न किया जाता तो तीस हजार जन समूह में कांग्रेस की सत्यता और सम्मान पर पानी फिर जाता। अतः जंगल सत्याग्रह सर्वथा आवश्यक हो गया था। पंडितजी ने महाराज को भी सलाह दी कि महाराज प्रजा के कल्याण के लिये आगे बढ़ें। राज्य

पं० कमलापति त्रिपाठी

कांग्रेस को चेतावनी देते हुये, श्री त्रिपाठी जीने यह व्यक्त कर दिया था कि अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा के रक्षण के लिये शीघ्रता पूर्वक कोई कार्य नहीं करना चाहिये।

श्री पं० जवाहरलाल जी का अभिनन्दन

१० फरवरी को चकिया में ४० हजार जन समूह के सम्मुख पं० जवाहरलाल जीको दर्शन देना पड़ा। चकिया में अभी तक उतना बड़ा जन समूह कभी भी एकत्रित नहीं हुआ था। चकिया की सजावट अद्भुत थी। लगभग २ बजे दिन में पंडित

जीका आगमन हुआ। चकिया के जन साधारण की ओर से पंडित जीको अभिनन्दन पत्र दिया गया, कौमी सेना का निरीक्षण करके पं० जवाहरलालजी ने सभा की कार्यवाही को प्रारम्भ कराया, सभापति का आसन श्री दीक्षित जीने ग्रहण किया था। प्रान्त के अधिकतर नेतागण पंडित जी के साथ चकिया पधारे थे। पंडित नेहरू जी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि काशीराज्य के संगठन से वे सर्वदा सन्तुष्ट रहे। अतः जंगल सत्याग्रह बन्द कराके, और पूर्ण परिचय प्राप्त करके ही चकिया आये थे। भाषण में

पं० जवाहरलाल

उन्होंने यह भी कहा कि जंगल सत्याग्रह में फल फूल तोड़ना साधारण बात थी। अधिकारियों ने केवल भ्रामक प्रचार कराया था। नेहरूजी ने महाराज की घोषणा पर प्रकाश डालते हुये समझाया कि घोषणा की प्रतिक्षा करना आवश्यक था। किन्तु यह असम्भव होगा कि भारत स्वाधीन होवे और देशी राज्यों की प्रजा पीड़ित, और परतंत्र बनी रहे।

कांग्रेस संगठन के लिये विशेष सलाह देते हुये पंडित नेहरूजी ने समझाया था कि संगठन से ही महाराज पूर्ण उत्तरदायी शासन की घोषणा करेंगे। महाराज को शुभ सलाह देते हुये आपने कहा कि महाराज को प्रजा के लिये उत्तरदायी शासन प्रदान करना ही उपयुक्त होगा। महाराज के प्रति शुभ कामना प्रकट करते हुये श्री नेहरूजी ने अपना भाषण समाप्त किया था।

पं० जवाहरलाल जीके आगमन से चकिया की जनता में अधिक उत्साह बढ़ा और महाराज के कर्मचारियों को झुकना

पड़ा। पं० जवाहरलाल जीका अभिनन्दन गोपीगंज में भी हुआ। गोपीगंज में भी पं० नेहरू जीने चकिया में दिये गये राज्य विषयक प्रवचन को ही भली भांति से समझाया था। संगठन पर विशेष प्रवचन करके- पं० नेहरू जी प्रयाग चले गये। इधर काशी नरेश के घोषणा की प्रतीक्षा होने लगी।

श्री काशी नरेश की द्वितीय घोषणा

महाराज काशी नरेश श्री आदित्य नारायण सिंह जीने १४ फरवरी सन् १९३९ ई० को अपनी प्रिय प्रजा के लिये द्वितीय घोषणा की। "मेरे प्रिय प्रजा के प्रति।

हमारे देश में राजा और प्रजा जिस सूत्र में बँधे हैं वह अटूट है। ईश्वर की इच्छा से, जो एक सूत्र में बांध दिये गये हैं उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे देश में राजा और प्रजा एक हैं। पृथक नहीं। विशेषतः परम पवित्र काशी में जो हमारी प्राचीन संस्कृति और भारतीय सभ्यता तथा गौरव का केन्द्र है। मेरे विचार में प्रजा के शब्द के क्या माने हैं, स्यात् इसका यहां बतलाना अनुचित न होगा। हमारी भाषा में प्रजा शब्द का अर्थ वह केवल शासित वर्ग ही नहीं है, जो शासक के प्रभुत्व को मानते हैं। किन्तु इसका अर्थ निज सन्तान के लिये भी होता है। यह शास्त्र सम्मति है। इसी लिये अपनी प्रजा की प्रसन्नता राजा को उतना ही प्रिय है, जितनी अपने सन्तान की प्रसन्नता। हमारे सम्बन्ध के मूल सिद्धान्त "राजा के सुख में प्रजा का सुख और प्रजा के दुःख में राजा का दुख" हैं। अपने जीवन के वसन्त काल को अपनी प्रिय प्रजा के सुख और सन्तोष के कामों में व्यतीत करने के बाद मेरी यह स्वभाविक आकांक्षा है कि मैं अपने शेष जीवन को भी इस प्रकार बिताऊँ, जिससे मेरी प्रजा का जीवन और भी सुखी हो जाय।

लोक तंत्र भारत के लिये कोई नया सिद्धान्त नही है। वह हमारे प्राचीन गौरव का एक भाग है। हमारा ग्रामीण जीवन स्वशासन पर ही अवलम्बित है। ग्राम पंचायतों के ही आधार पर, भारतीय शासन पद्धतियां चलती रहीं हैं। अपने पूज्य पिता के स्वर्ग वास के बाद, जब से मैंने शासन सूत्र को अपने हाथ में लिया है। अपने विचार से मैंने प्रजा का भलाई के लिये कुछ कार्य अवश्य किया है।

परन्तु यदि नवीन विचारों के कारण शासन पद्धति में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो मैं प्रजा के सुधार और समृद्धि के ध्येय को सामने रखते हुये समयानुकूल अपनी इस परिस्थिति को अनुकूल बनाने में पीछे न रहूँगा। जिसे मेरी प्रजा चाहेगी। परन्तु मैं इतना अवश्य चाहूँगा कि भविष्य में मेरे राजनीतिक संगठन का आधार वह "ग्राम संगठन" हो जिसकी जड़ पूर्वजों ने बड़ी बुद्धिमानी और दूर दर्शिता से स्थापित की थी! यदि ग्राम पंचायतों के आधार को मान कर हमलोग राज्यनीतिक विकाश के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो मेरे विचार में उस संगठन को प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा। वह प्राचीन सभ्यता की सुदृढ़ नींव पर अवलम्बित होते हुये वर्तमान समय के आवश्यकताओं के अनुकूल होगा।

मेरा यह विचार नहीं कि प्रजा के उपयुक्त भावों और विचारों को पूरा होने में अनुचित विलम्ब हो किन्तु प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने वाले शासन विधान को बनाने के लिये यह आवश्यक है कि राज्य की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण पुर्ण रूप से किया जाय। एवं उन उपायों को भी जिनके द्वारा आगे के समय में भी मेरी प्रजा की राजनीतिक और आर्थिक उन्नति विना किसी रुकावट के हो सके। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि नया शासन विधान सुसंगठित नींव पर बने। इस लिये मैंने आगे उन्नति के मार्ग की जानकारी के लिये एक समिति

नियुक्त करने का निर्णय दिया है। यह समिति सभी बातों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगी।

अ—राज्य का प्रजा मण्डल, हमारे प्रजा जनों द्वारा निर्वाचित प्रति निधियों के द्वारा बनेगा जिससे वे राज्य और प्रजा दोनों की स्थिति पर अपना विचार रख सकें।

ब—निम्न बातों पर भी समिति राज्य के प्रजामण्डल के अधिकारों के लिये अनुरोध करेगी।

१—शासन और नियम निर्माण सम्बन्धी अधिकार।

२—प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार।

३—सार्वजनिक बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न करने का अधिकार।

स—मंत्रिमण्डल की बनावट और उसके कार्यों के लिये अनुरोध करने का अधिकार रहेगा।

द—उन कार्यवाहियों के अनुरोध जिनके करने का अधिकार द्वारा राज्य की आर्थिक उन्नति हो सके।

उस समिति के सभापति के लिये, एक ऐसे सज्जन की खोज में था, जिसको देश के राजनीतिक जीवन का व्योवहारिक अनुभव हो, जो जनमत के उपयुक्त हों। और जिसका जनता में विश्वास हो ताकि जनमत उनके ऊपर विश्वास कर सके।

मुझे यह घोषित करते आनन्द हो रहा है कि इस समिति के सभापति बनने के लिये, पटना के प्रसिद्ध विधानाचार्य श्री सच्चिदानन्दजी सिनहाको प्राप्तकर सका हूँ। श्री सिनहा जीका स्थान, देशके सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात है। उन्होंने लगातार चालीस वर्षों तक देश की सेवायें की हैं। इस समय पटना विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसके पूर्व पांच वर्ष तक विहार सरकार के कार्यकारिणी समिति सदस्य रहे हैं। विहार कौंसिल के तथा केन्द्रीय सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

रह चुके हैं। अतएव पार्लमेण्टरी संस्थाओं के कार्य संचालन का उनको यथेष्ट ज्ञान है। साथही सर्वदा अपने उन्नति शील विचारों से प्रख्यात हो चुके हैं उनके अतिरिक्त इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। सर्व श्री ब्रजविहारीलालजी, सरदार हजारी श्रीकृष्णचन्द्र शुक्ल, श्री गंगाप्रसाद खेर, श्री मुन्ननजी पाण्डेय, मु० मुस्तफा, मु० अब्दुस्समद, श्री बेचनराम गुप्त, श्री महादेवप्रसाद सिंह, श्री रामनरेश मिश्र।

समिति के सदस्यों की सूची को मैंने, इस प्रकार से निर्वाचन किया है जिसमें प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। राज्य के एक व्यक्ति के अतिरिक्त सभी व्यक्ति राज्य प्रजा जनों के हैं। मुझे यह सूचित करके आनन्द प्राप्त हो रहा है कि मेरे मित्र श्री तेज बहादुर सप्रू ने विधान सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यों में उचित सलाह देने की स्वीकृति दे दी है। जिस स्थल पर समिति और मुझे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, सहयोग के लिये वह तैयार हैं।

समिति के प्रधान मंत्री-पद के लिये मुझे अनुभव युक्त व्यक्ति का चुनाव करना है ज्योंही किसी कर्मचारी को इसके लिये उपयुक्त समझूँगा, नियुक्त कर दूँगा वह समिति के सम्मुख उपस्थित किये जाने वाले कार्यों को उपस्थित करेगा। तथा ऐसा कार्य करेगा कि समिति शीघ्रता से कार्य कर सके। मेरी यह इच्छा है कि मार्च में वह समिति अपना प्रारम्भ करदे। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कि समिति के सदस्य मेरी प्रजा के कल्याण के लिये अधिक ध्यान देंगे। और इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि आवश्यक आशायें पूर्ण हों। शासन विधान पर जनता का विश्वास बना रहे। समिति शीघ्रता पूर्वक मेरे सम्मुख कार्यवाहियों को उपस्थित करेगी। और उस पर विचार करके उनकी घोषणा मैं करूंगा। जिस भांति से नया शासन विधान स्थापित होजाय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि; मेरी प्रजा समिति के कार्यों से पूर्ण सहयोग रखेगी। और समिति को उसके विधान कार्य में सहयोग देगी जो हमारे सम्मुख उपस्थित किया जायेगा।

यह प्रत्यक्ष है कि, समिति के 'कार्य सफल' होने के निमित्त, मेरी प्रजा को यथोचित वायु मण्डल तैयार करना चाहिये। और मुझे इस बात की आशा है कि मेरी प्रजा अपने और राज्य के सभी हानि के विचारों को छोड़कर समिति के कार्यों को सफल बनाने के लिये, प्रयत्न शील होगी। जिस समिति को मैंने प्रत्येक वर्ग के राजनीतिक, आर्थिक, आदि उन्नति के लिये नियुक्त किया है, वह समिति अपना कार्य रामनगर में करेगी। और शीघ्रता से समिति के सभापति के पास पत्र लिखकर, मैं समिति के कार्य क्षेत्र का निर्धारित कराऊँगा।

अन्त में श्री विश्वनाथ जीसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से समिति का कार्य कुशल पूर्वक समाप्त हो। जिससे हमारा परस्पर का प्रेम बन्धन सुदृढ़ हो जाय। और मेरी समस्त प्रिय प्रजा को अधिक सुख समृद्धि और शान्ति मिले"।

आदित्यनारायण सिंह

काशी नरेश

प्रजा की इतनी उत्कण्ठा के पश्चात महाराज काशी नरेश प्रसन्न होकर, तथोक्त घोषणा को सुनाये, यह प्रत्यक्ष सत्य था घोषणा पत्र में महाराज ने जिस भाषा और साहित्य का प्रयोग किया था, श्रवण मात्र के लिये मधुर रहा। परन्तु राजनीतिक बुद्धि से विचार करने पर घोषणा की शब्दावली में कुछ प्रजातंत्रात्मक शासन का आधार नहीं था। यह भी विचारणीय प्रश्न था कि महाराज पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रदान करने में सर्वथा स्वतंत्र नहीं थे। अतः घोषणा में प्राचीन शासन पद्धति का केवल सहारा लिया गया था आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक शासन से और घोषणा के द्वारा चालित शासन में महान अन्तर पड़ने की सम्भवना थी।

पं० जवाहरलाल जीका विचार

पं० जवाहरलाल नेहरू जीने महाराज की घोषणा पर अपने विचारों को व्यक्त किया था। श्री नेहरू जीके विचार से घोषणा पूर्णअसन्तोष जनक रही, पंडित नेहरू जीके विचार से दूसरी घोषणा में केवल विवादात्मक अधिकार ही प्राप्त था। महाराज की दूसरी घोषणा पं० नेहरू जी के महान विचार में अव्यवहारिक थी। क्योंकि सचमुच प्रधान कार्य हस्तक्षेप, और विधान निर्माण का प्रजा मण्डल को अधिकार नहीं दिया गया था। पंडित नेहरू जीने घोषणा के विषय में कांग्रेस को समुचित मार्ग ग्रहण करने का आदेश दिया था।

श्री श्री प्रकाश जीके विचार

श्री श्री प्रकाश जीने महाराज की घोषणा पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुये, यह कहाकि "महाराज की घोषणा के भाव और भाषा को छोड़ कर शेष सभी बातें असंतोष जनक हैं" कारण यह था कि समिति के सदस्यों का चुनाव उपयुक्त नहीं था। श्री श्री प्रकाश जीने यह भाव व्यक्त किया था कि "शासनका आधार पूर्ण उत्तरदायित्व से युक्त तथा संगठनात्मक होना चाहिये। चुनाव का आधार ग्राम पंचायतों के आधार पर करना उचित था," श्री पंडित जवाहरलाल जी और श्रीश्री प्रकाश जी भारत के प्रमुख नेता होते हुये विधान के भी पंडित थे, अतः उनके मत से घोषणा सर्वथा असामयिक थी, एवं त्रुटि पूर्ण थी। कारण यह था कि उत्तरदायी शासन में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रधान माना जाता है किन्तु घोषणा इस सिद्धान्त से कुछ भिन्न थी।

श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित जीने भी घोषणा को महान् त्रुटि पूर्ण और अव्यवहारिक वतलाया था, श्री देवनन्दन सिंह जीने यह भी घोषित कर दिया था कि तथोक्त घोषणा से प्रजा संतोष नहीं कर सकती पूर्ण उत्तरदायित्व से युक्त नियुक्ति शासन कार्य, प्रजाजनों को सौंपने में ही राजा का कल्याण हो सकेगा।"

राज्य कांग्रेस का प्रस्ताव

काशी राज्य कांग्रेस ने १७ फरवरी सन् १९३९ ई० की आवश्यक वैठक में, घोषणा के ऊपर प्रकाश डालते हुये इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया कि भाषा, भावसे अतिरिक्त घोषणा अव्यवहारिक थी, उत्तरदायी शासन के विलकुल भिन्न घोषणा का आधार था। महाराज के प्रति कृतज्ञता और सद् भावना प्रकट करते हुये काशी राज्य कांग्रेस ने, घोंषणा का विरोध किया। राज्य कांग्रेस ने श्री जंग वहादुरसिंह श्री मुन्नन जी पाण्डेय श्री राजेश्वरी प्रसाद को महाराज से मिलने और घोषणा का परिमार्जन करने के लिये भेजा। विधान समिति में अधिक से अधिक कांग्रेस जनों के लिये कहा गया था महाराज द्वारा चुने गये कुछ अनुपयुक्त लोगों का विरोध भी किया गया था। प्रस्ताव के अन्त में कांग्रेस ने यह अनुरोध किया था कि महाराज प्रजा के कल्याण की दृष्टि से समिति के सदस्यों में सुधार और वृद्धि करें।

नूतन विधान समिति

राज्य की ओर से प्रजा को भुलावा देने के लिये। उत्तर-दायी शासन की रूपरेखा समाप्त करके विधान समिति वनाया गयी थी। जिसमें राज्य के प्रधान मंत्री, राज्य के प्रधान न्यायी-

धीश, पुलिस कप्तान, तथा श्री व्रज विहारी लाल थे। प्रजा के प्रतिनिधित्व के लिये, श्री हरिशंकर दूबे नियुक्त किये गये थे। समिति को सलाह देने के लिये विलायत से एक विधान वेत्ता बुलाये गये थे।

प्रजा की ओर से इस समिति के निर्माण और रूप रेखा का पूर्ण विरोध हुआ। कारण यह था कि प्रजा का प्रतिनिधित्व करने के लिये समिति के सदस्यों की योग्यता और क्षमता नहीं थी। श्री हरिशंकर जी अकेले कुछ कर नहीं सकते थे। लगभग तीस हजार रुपया राज्य-कोष का नष्ट करके समिति विघटित कर दी गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति

भारत के वाह्य देशों की स्थिति परिवर्तित होने लगी थी। हर हिटलर का पराक्रम बढ़ने लगा था। मि० मुसोलिनी के सहयोग से, नाजीवाद और फासिस्टवाद का विकाश होने लगा। वृटिश सरकार द्वारा 'संघ शासन' को भारत पर लादने का कुचक्र चलने लगा। भारतीय प्रजा संघ शासन के विरोध के लिये कटिवद्ध हो गयी थी। राज कोट सत्याग्रह के मामले में महात्मा गान्धी फंसे हुये थे। श्री सुबास चन्द्र वोस भी देशी राज्यों के उत्थान में सहयोग देने को तैयार थे। नरेन्द्रमण्डल की भावनाओं में अन्तर पड़ने लगा था। और भारत के वाइसराय श्री लिनलिथगो महोदय नरेन्द्र मण्डल को रियासती शासन में सुधार के लिये अनुरोध करने लगे। किन्तु चतुर चर्चिल जो कि भारत के स्वाधीनता के कट्टर शत्रु थे अपनी भेद नीति का प्रचार करने में व्यस्त थे। ऐसी स्थिति में पड़कर काशी राज्य की नूतन "वैग्राम समिति" असफल हो गयी।

सिनहा-विधान समिति

महाराज श्री आदित्य नारायण सिंहजीने, १४ फरवरी की घोषणा के अनुसार सच्चिदानन्द सिनहा की अध्यक्षता में विधान समिति का जो निर्माण किया, उसका विरोध, पं० जवाहर लाल जीने अपने एक वक्तव्य द्वारा कर दिया था। फल स्वरूप महाराज ने काशी-राज्य कांग्रेस-प्रतिनिधि मण्डल के प्रस्तावानुसार, भदोही के श्री दयाशंकर दूबे व चकिया के श्री सरयूप्रसाद साहुको, सिनहा विधान समिति कांग्रेस की ओर से मनोनीत किया। महाराज की इस कार्यवाही से कांग्रेस जनों में कुछ संतोष हो गया। परन्तु समिति में कांग्रेस का बहुमत नहीं हो सका।

मद्य निषेध में गिरफ्तारी

चकिया के कांग्रेस जनों में, महाराज द्वारा विधान समिति की घोषणा से असंतोष बढ़ने लगा, फल स्वरूप चकिया कांग्रेस ने पूर्ण उत्तरदायी घोषणा की प्राप्ति के लिये 'सविनय, अवज्ञा' द्वारा 'कर बन्दी' आन्दोलन करने का प्रस्ताव, स्वीकृत किया। श्री झांगुर सिंह के अधिनायकत्व में 'तहसील' पर धरना प्रारम्भ हुआ, जिसमें उनके सभी सत्याग्रही साथी, सैनिकों द्वारा अपमानित किये गये।

दूसरे दिन श्रीराम जियावन सिंह के अधिनायकत्व में 'कौमी सेना' के सैनिकों ने 'मद्य निषेध के लिये, आन्दोलन प्रारम्भ किया, मद्य निषेध के लिये 'शराब' के ठीकेदारों को रोका भी गया था। फल स्वरूप रात्रि में एक बजे श्री प्रहलाद सिंह श्री बचऊ पाण्डेय, श्री छविनाथ मिश्र, श्रीराम सूरत

शुक्ल गिरफ्तार किये गये। दूसरे दिन श्री झांगुर सिंह भी गिरफ्तार कर लिये गये। इस प्रकार राज्य में पुनः एक बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी गयी किन्तु राज्य कांग्रेस की शक्ति को परखकर राज्य की नौकरशाही को झुकना पड़ा और कुछ सुधार के साथ सभी स्वयं सेवक कारावास से मुक्त कर दिये गये।

महाराज की दुःखदमृत्यु

मानव की अभिलाषा और विधि-विधान में महान अन्तर पड़ जाता है। महाराज प्रजा की भावना को समझ करके प्रजा के आर्थिक, और नैतिक कठिनाइयों को दूर करने में अग्रसर हो रहे थे उसी समय उन्हें इस लोक को भी छोड़ना पड़ा। एकाएक ४ अप्रैल को महाराज इस दुनिया को छोड़ स्वर्गपुरी चले गये उनकी प्रिय प्रजा को छाती पर हाथ रखकर इस दुःखद समाचार को सुनना पड़ा।

राज्य परिषद की स्थापना

हाथी के दो दांत होते हैं "एक खाने के लिये, और एक दिखाने के लिये"। महाराज की मृत्यु के दूसरे दिन ५ अप्रैल को ११ बजे दिन में राज्य के प्रमुख जनों के बीच, वृटिश सरकार द्वारा महाराज श्री विभूति नारायण सिंह को काशी राज्य का राज्यभार तो सौंप दिया गया, किन्तु महाराज का 'बाल्य काल' होने के कारण, शासक होने से उन्हें वञ्चित कर दिया गया। महाराज श्री विभूति नारायण जी की बाल्यावस्था तक शासन भार सम्भालने के लिये एक राज्य-परिषद की स्थापना की गयी। वृटिश सरकार की कृपा कटाक्ष से परिषद के अध्यक्ष, संयुक्तप्रान्त के पुलिस विभाग के पुराने कर्मचारी श्री सी० आर०

पीटर्स बनाये गये तथा, काशी राज्य के प्रधान, मंत्री, प्रधान न्यायाधीश तथा श्री मार खण्डेय नारायण सिंह जी सदस्य घोषित किये गये ।

पीटर के कुकृत्य

राज्य परिषद के अध्यक्ष महोदय, जन्मना कर्मणा दोनों भांति से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कट्टर विरोधी थे ही, पुलिस कर्मचारी होने के नाते, राज कार्य, व राजनीति के पक्के शत्रु थे । फल स्वरूप श्री पीटर के शासन काल में काशी राज्य की आर्थिक और नैतिक दोनों स्थिति पर भयानक प्रहार हुआ । दोनों को बिगाड़ने में पीटर का सक्रिय हाथ भी रहा ।

धीरे धीरे काशी राज्य की महत्ता, तथा, राज्य-कोष को भी पीटर महोदय ने नष्ट कर दिया । उनके पीटरशाही शासनकाल में प्रजा-जनों की ओर से व्यापक और सामूहिक सत्याग्रह हुआ । जिसमें काशी राज्य का गौरव व महाराज श्री आदित्यनारायण सिंह जी के भावना पर कुठाराघात हुआ, भयानक दमन की रचना रची गयी । राज्य की आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों पर भी वज्र पात हुआ । राज्य का प्रख्यात स्वर्ण भण्डार लुटाया गया ।

पीटर के कुकृत्यों से प्रजाजनों एवं काशी राज्य के सुयोग्य कर्मचारियों के राज्य की बिगड़ी स्थिति पर विशेष क्षोभ हुआ था । पीटर ने अपने अवाञ्छनीय शासन पद्धति द्वारा राज्य की आन्तरिक और वाह्य दोनों स्वरूपों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । अतएव पीटर को काशी-राज्य की प्रजा भलीभाँति स्मरण करती रहेगी । अभाग्य वश इतिहास-रचना के पूर्व ही आप 'पागल'

बनकर अपने देश चले गये, नहीं तो स्वतंत्र भारत में आपको प्रत्युपकार के रूप में, कुछ पुरस्कार भी दिया जाता।

भयानक दमन की भूमिका धारा १४४

काशी-राज्य की कांग्रेस ने अपने पवित्र सुदृढ़ संगठन से राज्य-अधिकारियों को आश्चर्य में डाल दिया। महाराज ने राज्य-काँग्रेस की सत्ता तथा उसकी मांगों को सत्कार पूर्वक अपनाया। यह भी सत्य है कि महाराज की उपस्थिति में राज्य काँग्रेस द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए जिससे कि राज्य में प्रचलित विधानों पर अधिक धक्का लगा, जिससे राज्यकर्मचारी बौखला उठे थे, पर महाराज की प्रजा वत्सलता" की धारा में उनका पता ही न लगा। श्री काशी नरेश की मृत्यु के पश्चात् अधिकारियों को बदला लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तथा उनकी ओर से राज्य-काँग्रेस को सर्वदा के लिये कुचल डालने का विचार किया गया। उन्हें राज्य-कांग्रेस के संगठन का तथा उसके बल का पता, श्री रामअनन्त त्रिपाठी की गिरफ्तारी से लग चुका था फिर भी कांग्रेस से संघर्ष करने की भावना को लेकर राज्य कर्मचारियों की ओर से 'दमन' प्रारम्भ हो गया।

१८ अप्रैल सन् १९३९ को चकिया में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष' के बहाने से धारा १४४ का प्रयोग किया गया और इस कुचक्र से राज्य-कॉग्रेस का संगठन का कार्य रुकता जान पड़ा। कांग्रेस के प्रतिनिधि चकिया के जिलाधीश श्री निहाल सिंह से मिले। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया "जिलाधीश की आज्ञा से कांग्रेस की सभा हो सकती है"। ३ मई को सभा के लिये सूचना प्रकाशित करके वितरित कर दी गयी। और तब तक अधिक समय व्यतीत हो गया

श्री रामनन्दन सिंह विश्राम कर रहे थे। श्री रामलगन मिश्र जी ने जिलाधीश से अनुमति के लिये प्रार्थना-पत्र दिया, पर उस समय वाबू निहाल सिंह जी "आनन्द" के स्थान पर श्री निरंजन लाल वर्मा जी जिलाधीश बन कर आ गये थे। इन्होंने सभा के लिये आज्ञा देने में असमर्थता प्रकट की। सूचना हो जाने के कारण ही ३ मई को जनता का आना अनिवार्य था। सभा की कार्यवाही में कुछ ही समय शेष था। अतः सभा रोकने की कोई सूचना जनता में न दी जा सकी।

ता० ३ मई को चकिया में जन समूह इकत्रित हो गया, साथ ही कांग्रेस के नेता भी एकत्रित हुये। सभा-स्थल पर भीड़ को देख जिलाधीश श्री निरंजन लाल तथा पुलिस कप्तान सैनिकों के साथ सभा-स्थल पर जा डटे। समय बड़ा ही विपरीत था। नवयुवक कांग्रेस कार्य कर्ता गण सभा करने को सन्नद्ध थे, परन्तु श्री मुन्नन जी पाण्डेय के वहुत कुछ समझाने पर कांग्रेस जनों ने सभा को स्थगित कर दिया, किन्तु कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं तथा जनता के हृदय में इससे गहरी चोट लगी। दोनों ओर से विरोधी भावनाओं का सूत्रपात हो गया।

समयानुसार १८ मई १९३९ ई० को जिलाधीश की आज्ञा से चकिया में काग्रेस की पुनः सभा की गयी, पर विरोध बढ़ता ही गया। धारा १४४ एक मास के वास्ते और बढ़ा दी गयी। और धारा १४४ ही कांग्रेस के आन्दोलन का कारण बनी।

कांग्रेस का चुनाव तथा आन्दोलन

काशी-राज्य-कांग्रेस का वार्षिक चुनाव होने वाला था।

उसमें अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह अपनी इच्छानुसार कार्य-कारिणी का चुनाव करे। अतएव काशी-राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामनन्दन सिंह जी ही निर्वाचित किये गये। तथा उन्होंने मनोनुकूल कार्य-कारिणी का चुनाव किया। ३ जून १९३९ ई० को काशी-राज्य की एक बैठक में राज्याधिकारियों की नीति-कटुता की आलोचना की गयी, तथा सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया कि राज्य के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जाय जिसमें उन्हें इन विरोधी कार्यवाहियों को रोकने का आग्रह किया जाय नहीं तो भविष्य में कांग्रेस "सविनय अवज्ञा" करने के लिये अपने को स्वतंत्र समझेगी। यही हुआ भी। राज्य-कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामनन्दन सिंह ने राज्य-परिषद के अध्यक्ष सी० आर० पीटर्स के यहाँ अन्तिम पत्र भेजा।

'पत्र' युद्ध की घोषणा

राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष ने परिषद के अध्यक्ष के नाम से जो पत्र भेजा था उसमें उन्होंने राज्य-सरकार को सचेत किया था कि "परिषद अथवा अधिकारियों की वर्तमान नीति राजा-प्रजा दोनों के वास्ते अहितकर होगी, चकिया में धारा १४४ प्रजा की नागरिकता को हड़पने के लिये ही लगायी गयी है। अतएव यदि शीघ्र से शीघ्र धारा १४४ हटा न ली जावेगी तो राज्य-कांग्रेस नागरिकों को अपनी नागरिकता के रक्षार्थ स्वतंत्र कर देगी"। राज्य-कांग्रेस का पत्र परिषद के अध्यक्ष के पास गया, परन्तु समुचित उत्तर न आया। राज्य-कांग्रेस के सामने अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रजा के नागरिकता की भी रक्षा की समस्या थी। अतएव राज्य कांग्रेस की कार्य कारिणी

की आवश्यक बैठक १३ व १४ अप्रैल सन् १६३६ ई० को रामनगर में हुई। उसमें राज्य-कांग्रेस का महत्व-पूर्ण निर्णय हुआ। राज्य-कर्मचारियों का ध्येय प्रथम ही ज्ञात हो गया था, साथ ही १४ अप्रैल को कांग्रेस के मंत्री श्री सरयूप्रसाद जी तथा राज्य के प्रमुख अधिकारियों से जो बातचीत हुई थी। उससे राज्य की ओर से दमनात्मक नीति का पूरा-विवरण प्राप्त हो गया था। राज्य-कांग्रेस ने अपनी ओर से धारा १४४ के विरोध में सभा करने के लिये नागरिकों को तथा व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया।

———

पंचम-अध्याय

चकिया-सत्याग्रह-संग्राम

(प्रथम दिवस)

"अहंकार विनाश का कारण बनता है।" राज्य-कर्मचारियों को अपने शासन पर अत्यधिक अहम्भाव था, पर महाराज आदित्यनारायण सिंहजी के सामने उनका अहंकार लुप्त हो गया था। प्रजा ने जंगल सत्याग्रह किया, राज्य की सहस्रों रूपये की हानि हुई। राजा को दमन करने के लिए लोगों ने उभारने का प्रयत्न किया, पर प्रजा-प्रिय राजा ने प्रजा के कार्यों में (जंगल सत्याग्रह के समय) "बालक-हठ" समझ हस्ताक्षेप भी नहीं किया। परतु उस समय क्रूरकर्मा-कर्मचारी-गण मन-ही-मन क्रुद्ध रहे थे। अब उन्हें उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस की घोषणा के बाद श्री रामअनन्त त्रिपाठी ने सभा के लिए 'सूचना पत्र' वितरिंत किया। १६ जून को १६ स्थानों में सभा का आयोजन हुआ तथा ग्यारह-ग्यारह स्वयंसेवकों के जत्थे ने धारा १४४ का उलंघन किया। सभा भंग करने के लिये पुलिस का दल पहुँचा। श्री राम अनन्त त्रिपाठी, श्री सूबेदारसिंह, श्री जगरदेव प्रसाद, श्री तारकेश्वर पाण्डेय, श्री घूरनसिंह, श्री मुराहूप्रसाद, लक्ष्मीसाहु तथा घूरनप्रसाद तथोक्त दस व्यक्तियों कि गिरफ्तारियाँ हुई। सभा में श्री लक्ष्मीशंकर लाल जी गिरफ्तार करके चकिया कारावास में पहुँचाये गये। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं

की गिरफ्तारी का समाचार उसी दिन चकिया के कोने कोने में व्याप्त हो गया। गिरफ्तारी से जनता में उमंग तथा विरोध की धारा प्रवाहित हो गयी। प्रत्येक गाँवों तथा घरों से जत्थे तैयार होने लगे।

कांग्रेस कार्यालय में गिरफ्तारी

(द्वितीय-दिवस)

सभाओं में गिरफ्तार व्यक्तियों को चकिया कारावास में पहुँचाकर पुलिस ने काँग्रेस के कार्यालय पर धावा किया तथा वहाँ काशी-राज्य-कांग्रेस के सभापति श्री रामनन्दनसिंह जो, जिला-कांग्रेस "कोमी-सेना" के अधिनायक श्री रामजियावनसिंह, जिला कांग्रेस के सभापति शेख मुहम्मदउमर, मंत्री श्री रामलगन मिश्र तथा श्री रामसूरत सिंह आदि कांग्रेस के प्रधान व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। कांग्रेस कार्यालय के अतिरिक्त गावों में तथा चकिया में व्यापक गिरफ्तारियाँ हुईं, जिसमें सर्व श्री द्वारिका सिंह, श्री लालिता पांडेय (कोदोचक), श्रीनाथ सिंह, काजो शमशुद्दीन, श्री गुप्तनाथ सिंह, श्री शिवमूर्ति मिश्र, श्री वंशनारायण चौबे आदि सज्जन गिरफ्तार कर के चकिया लाये गये। कार्यालय की गिरफ्तारी में आश्चर्य

श्री रामसूरत सिंह

इस बात का था कि वे सज्जन न तो धारा १४४ का विरोध किये तथा न तो इनकी कोई ऐसी कार्यवाही ही थी पर अत्याचारी कर्मचारी इनकी गिरफ्तारी से आन्दोलन को समाप्त समझकर इन्हें भी गिरफ्तार किये। विधि-विधान कुछ और था। इनकी गिरफ्तारी का समाचार सुनकर कांग्रेस के कुछ प्रमुख-जन आन्दोलन-संचालन के वास्ते कटिबद्ध होकर अपने कार्य में लग गये। शेष लोगों ने जिनकी संख्या सहस्रों की थी क्रमशः अपने जत्थे को गिरफ्तार कराने के लिए रातों रात कार्य-क्रम निर्धारित कर लिए।

विचित्र-न्याय

"गिरफ्तार लोगों की सजा किस दण्ड-विधान से की जाय" इस पर अधिकारियों का विचार विमर्श हुआ। रात्रि में २ बजे (जिलाधीश के न्यायालय में) गिरफ्तार व्यक्ति उपस्थित किये गये। कांग्रेस कार्यालय में जो सज्जन गिरफ्तार किये गये वे विधानतः निरपराध थे, पर एक ही अपराध में सभी 'अभियुक्त' सिद्ध किये गये, वह अपराध भी विचित्र था, धारा १४१ व १५३ "ताजीरात हिन्द" के अनुसार इन्हें एक-एक वर्ष का कठिन दण्ड तथा सौ-सौ रुपया जुर्माना लगाया गया, साथ ही रातोंरात ये लोग ज्ञानपुर कारागार में पहुँचाये गये।

राज्य की ओर से १६ जून को धारा १४४ की अवधि अनियमित काल तक बढ़ा दी गई।

पुलिसद्वारा लाठी-प्रहार

१६, जून की (१६ स्थानों की) सभा में १७६ व्यक्तियों ने धारा १४४ को भंग किया। पर पुलिस में इतनी सामर्थ्य

न थी कि सभी को गिरफ्तार करती। गिरफ्तार व्यक्तियों में छः व्यक्ति छोड़ भी दिये गये। प्रातःकाल ११,११ व्यक्तियों का तीन दल चकिया में सत्याग्रह करने के लिये पहुँचा। स्वयंसेवक दल चकिया के जिलाधीश के न्यायालय के पास जाकर "भारत माता की जय", 'महात्मा गांधी की जय' आदि नारों से न्यायालय को गुंजित कर दिया। पुलिस ने स्वयंसेवकों पर गहरा लाठी-प्रहार किया। फलस्वरूप कई व्यक्ति घायल हुये। श्री विश्वनाथ सिंह को नाक पर गहरी चोट लगी। चकिया तालाब का पानी जनता को पीने के लिए रोक दिया गया। पर जनता का चकिया आना तथा सत्याग्रह करना दैनिक कार्य हो गया। गिरफ्तारी करना, लाठी प्रहार करना, तथा पानी बन्द कर देना इत्यादि नृशंस कार्यों से जनता में अधिक उमंग तथा उत्साह बढ़ता गया।

बालक पर प्रहार

(तृतीय दिवस)

तीसरे दिन १८ जून को पुनः नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाकर गावों से स्वयंसेवकों का दल चकिया में एकत्रित हुआ। तथा जिलाधीश के पास पहुँच कर विरोधात्मक भाषण द्वारा १४४ धारा का उलंघन किया। पुलिस का एक सशस्त्र दल पहुँचकर लाठी से स्वयं-सेवकों को घायल किया। श्री वासुदेव पाण्डेय नामक १४ वर्ष के बालक की वीरता से निर्दयी अवाक् थे। पुलिसवालों ने कई बार लाठी मारकर उसे हटाया। ज्यों ज्यों पुलिस की मार पड़ती थी त्यों त्यों उसका उमंग तथा उत्साह चढ़ता जाता था। अन्त में पुलिस की मार से वह अत्यन्त घायल हो गया। उसे संगीन की भी चोट लगी थी। उस दिन

चकिया में जनता को बहुत कष्ट दिया गया। देवी के मन्दिर (पर जो दर्शन के लिए जाते थे) उनकी लाठी छिन ली जाती थी तथा उन्हें तालाब में पानी भी न पीने दिया जाता था।

दो बालक सत्याग्रही

(चतुर्थ दिवस)

नवगढ़ में भी व्यापक आन्दोलन हो गया। सत्याग्रहियों में दो बालक श्री वासुदेव पाण्डेय, तथा श्री गया पाण्डेय की धीरता तथा कष्ट-सहिष्णुता पर जनता मुग्ध थी तथा अत्याचारी पुलिस दल भी संशक था। तीन दिनों तक वे बराबर धारा १४४ भंग करते रहे और पुलिस इन्हें मार कर हटाने का प्रयत्न करती रही पर वे सत्याग्रह भूमि पर तैयार रहते थे। अन्त में पुलिस ने विवश होकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सत्याग्रह का रूप बढ़ता ही गया। भदोही के कांग्रेस जन चकिया-सत्याग्रह में भाग लेने के लिए कटिबद्ध होने लगे। "ग्रामवासी" के सम्बाददाता द्वारा वहाँ के कारागार का समाचार वाहर पहुँचने लगा। इधर नौगढ़ में सत्याग्रह की धूम मच गई। नौगढ़ कांग्रेस के सात प्रमुख-व्यक्ति श्री परशुराम साहु श्री फेकूसाहु श्री रामगुलास प्रसाद, श्री बालरूप प्रसाद, श्री लत्तनसिंह, श्री रामरतन यादव गिरफ्तार करके चकिया कारावास में लाये गये। नौगढ़ में पुलिस ने सत्याग्रहियों को लाठी से मारकर गिरा दिया था। और तिरंगा झण्डा भी छीन लिया गया। साधारण जनता पर भी पुलिस द्वारा लाठी की मार पड़ी। नौगढ़ में सत्याग्रह का व्यापकरूप हो गया। पुलिस सत्याग्रह बन्द करने में बिल्कुल असमर्थ हो गयी। अतः सेना बुलाकर उसका प्रदर्शन कराया

गया। सैनिकों को भी बन्दूक के कुन्दों तथा संगीनों द्वारा प्रजा को मारने का आदेश दिया गया।

भदोही कांग्रेस-कमेटी की एक आवश्यक बैठक १९ जून को ज्ञानपुर में की गयी। उसमें चकिया के आन्दोलन का समर्थन किया गया और सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि "चकिया के आन्दोलन में तन, मन, धन से भदोही कांग्रेस के कार्यकर्त्तागण सहयोग करें"। भदोही कांग्रेस के इस सहयोगी प्रस्ताव से चकिया की जनता में उत्साह की वृद्धि हो गयी। भदोही कांग्रेस द्वारा (भदोही में) चकिया सत्याग्रह के सहयोग के लिये प्रचार प्रारम्भ हो गया।

लाठी तथा संगीन का प्रयोग

(पंचम दिवस

२० जून को चकिया, उतरौत, सिकन्दर पुर, शहाबगंज में बड़ी सभायें हुईं। चकिया में लगभग ६ हजार व्यक्तियों की भीड़ सभास्थल पर आ गयी थी। पुलिस कप्तान तथा जिलाधीश सभास्थल पर सेना तथा पुलिस के साथ आ डटे। स्वयंसेवकों का दल सभा की कार्यवाही करने लगा। जनता कांग्रेस के आदेश से डटी रही। जिलाधीश की आज्ञा पाकर पुलिस कप्तान ने लाठी प्रहार की आज्ञा दी। देखते देखते पुलिस तथा सेना ने ५२ स्वयं-सेवकों को धराशायी बना दिया। लेखक भी उस समय (गुप्तरूप में) उपस्थित था। घायल व्यक्तियों की दशा देख जनता उत्तेजित हो उठी पर कांग्रेस के व्यक्तियों ने जनता को शान्त किया। पुलिस की लाठी तथा सेना की संगीन से श्री हनुमानसिंह व श्री गंगासिंह (यादव) को अधिक चोट

लगी। पुलिस ने उन्हें औषधालय में ले जाने का प्रयत्न किया, परन्तु जनताने घायल व्यक्तियों को पुलिस के हाथ से छीन लिया तथा कह दिया कि "राज्य के डाक्टर पर हम लोगों का विश्वास नहीं।" उन अत्याचारों का उल्लेख कहां तक किया जाय, चकिया की सड़क पर चलने वाली लारियों के ड्राइवरों को राज्याधिकारियों की ओर से आदेश था कि कांग्रेस वालों को तथा घायलों को वे अपनी मोटर पर न बैठायें। अतएव घायलों को चारपाई पर उठाकर सैकड़ों की संख्या में लोग काशी पहुँचाने के लिये चले। उस समय काशी-राज्य के प्राचीन कार्यकर्ता श्री व्रजभूषण तथा सरयू प्रसाद साहु (गुप्तरूप में) आकर जनता में मिल गये, लेखक भी साथ हो लिया। १२ बजे रात्रि में हम लोग काशी-कांग्रेस-भवन में पहुँचे, वहां मंत्री श्री देवमूर्ति शर्मा जी की सहायता से कबीरचौरा-औषधालय में घायलों को पहुँचाया गया।

'आज' पत्र का सहयोग

चकिया का आन्दोलन इतना व्यापक हो गया था, पर वाह्य-जगत में प्रकाशित न हो सका था। राज्य में अपना निजी कोई समाचार पत्र न था। भदोही से 'ग्रामवासी' का साप्ताहिक प्रकाशन होता था परन्तु उससे सत्याग्रह कार्यवाही की व्यापकता न हो सकी। प्रान्त के प्रमुख नेता तथा काशी के राष्ट्रीय-दैनिक के सम्पादक पण्डित कमलापति शास्त्री जी ने इतिहास लेखक को प्रान्त के दैनिक राष्ट्रीय पत्र "आज" में समाचार प्रकाशन के लिये पूर्ण आश्वासन दिया। पण्डित जी के इस आश्वासन से तथा सहयोग से चकिया-सत्याग्रह का समाचार 'आज' में नित्य ही प्रकाशित होने लगा। फलस्वरूप

वाहर के नेतागण तथा काशी की जनता राज्य के अधिकारियों के अत्याचार व दमन से पूर्ण परिचित हो गयी। श्री गोविन्द वल्लभ पन्त तथा पं० जवाहर लाल नेहरू जी के कानों तक राज्य के आन्दोलन व दमन का समाचार पहुँच गया। २० जून को श्री गया पाण्डेय (केरावगाँव) तथा बालक बासुदेव पाण्डेय पुन गिरफ्तार कर लिये गये।

संगीन का घातक प्रहार

षष्ट दिवस

राज्य द्वारा ज्यों ज्यों दमन की क्रिया बढ़ती गयी त्यो-त्यों चकिया के नवयुवक सत्याग्रह में भाग लेने के लिये एकत्रित होने लगे। जनता में उत्साह बढ़ता गया। २१ जून को ग्यारह-ग्यारह स्वयं-सेवकों के तीन दल चकिया में सत्याग्रह करने के लिये आये, वे न्यायालय के समीप जाकर विरोधात्मक नारे लगाये। पुलिस तथा सैनिकों का दल उन पर टूट पड़ा। कुल तीस व्यक्ति घायल हुये, श्री मारकण्डेय तिवारी को संगीन की गहरी चोट लगी, उनके शरीर से रक्त की धारा वहने लगी। अन्त में वे काशी के मारवाड़ी-औषधालय में पहुँचाये गये वहां उनका उपचार श्री कोशलपति त्रिपाठी द्वारा हुआ।

मिथ्या—आरोप

राज्य कर्म्मचारियों की ओर से 'लीडर' व 'भारत' में चकिया के आन्दोलन को छिपाने तथा कांग्रेस को कलंकित करने के लिये एक भ्रामक समाचार छपवाया गया था कि चकिया में हिन्दू-मुसलमानों में दंगा हो जाने की सम्भावना

समक्ष धारा १४४ लगायी गयी, जिसे कांग्रेसजनों ने भंग किया। भ्रामक समाचारों को प्रकाशित कराये जाने से हो सकता था कि वाह्य-संसार चकिया के आन्दोलन के महत्व को न समझता। परन्तु सत्य ओट में नहीं छिपाया जा सकता था। श्री व्रजभूषणजी ने 'लीडर' व 'भारत' में प्रकाशित समाचार का खण्डन अत्यन्त प्रमाणिकता तथा सत्यतापूर्वक प्रकाशित किया। चकिया के मुसलमानों की जातीय संस्था "अंजुमन इत्तहादुल मुसलमीन" के मंत्री श्री अन्हीशुल हक खाँ तथा "हिन्दू महासभा" के प्रधान मंत्री श्री रामजी मिश्र का वक्तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ। तथोक्त दोनों वक्तव्यों में यह स्वीकार किया गया था कि चकिया में कोई साम्प्रदायिक मनमुटाव नहीं है। दोनों मन्त्रियों के वक्तव्यों में सरकार के भ्रामक नीति की आलोचना की गयी थी। सरकार ने धारा १४४ लगाकर केवल अपनी कूटनीति उपस्थित किया था, वह सरकार का बहाना मात्र था।

भदोही काँग्रेस का सहयोग

सप्तम दिवस

२२ जून को २० स्थानों में कांग्रेस की सभा की सूचना वितरित की गयी थी, परन्तु अधिकारियों ने अपनी शक्ति के अनुसार सभी स्थानों की सभा रोकने में अपने को असमर्थ समझा, केवल चकिया में ही अपनी सारी शक्तियों को लगाना उचित समझा। चकिया में ४ बजे सायंकाल भदोही के कार्यकर्त्ता श्री राजेश्वरीप्रसाद के साथ एक सहस्र जनता एकत्रित हुई। श्री राजेश्वरी प्रसाद ने भाषण दिया तथा वे तुरन्त गिरफ्तार कर

लिये गये। इसके बाद भदोही कांग्रेस के दूसरे कार्य-कर्त्ता श्री सुखई राम मौर्य्य भी गिरफ्तार किये गये, उसी दिन श्री छाँगुर सिंह, श्री जंगी त्रिपाठी, श्रीवैजनाथप्रसाद साहु, श्री कुँवर सिंह व रामजो साहु आदि व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इसके बाद भीड़ को तितर-वितर हो जाने को आज्ञा हुई, परन्तु जनता उसी प्रकार डटी रही, पुलिस तथा सैनिकों ने पुनः लाठी-प्रहार किया पुलिस तथा सेना के लाठी-प्रहार के समय काशी के माननीय नेता

श्री सुखई राम मौर्य

श्री कमलापति शास्त्री, श्री देवमूर्ति शर्मा, तथा श्री महावीरसिंह "लेखक" के साथ चकिया उपस्थित थे। लाठी तथा बन्दूक के कुन्दों से १५ व्यक्ति अधिक घायल हुये। चकिया की दमनात्मक भयानक नीति को देखकर नेतागण काशी चले आये। चकिया आन्दोलन में सहयोग देने के लिये भदोही की जनता तैयार हो चुकी थी। भदोही कांग्रेस द्वारा दमन का घोर विरोध हुआ साथही चकिया सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग करने के लिये सर्व सम्मति से जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके प्रभाव से भदोही के सर्व-साधारण लोगों में दमन के विरोध के लिये प्रबल जागृति हो गयी। भदोही के इस विरोध-सूचक

तथा चकिया-आन्दोलन-सहयोग की सूचना से अधिकारी वर्ग और अधिक चिन्तित हो उठे थे ।

शासन सुधार समिति में दमन का विरोध

अष्टम दिवस

२३ जूनको प्रत्येक दिन की भाँति सत्याग्रहियों के जत्थे चकिया में आये । उनके आते ही पुलिस ने अन्धाधुन्ध लाठी चलाना प्रारम्भ किया । फलस्वरूप १७ सत्याग्रही घायल हुये । जनता में जागृति बढ़ती गयी । अधिकारी वर्गों में कितने लोग इस दमन के भयानक परिणाम को देख दमन का विरोध करने लगे, पर उनकी चल न सकी । उस समय स्वर्गीय महाराज श्री आदित्यनारायण सिंह जी द्वारा निर्मित शासन सुधार-समिति का भी कार्य जनता को भुलावा देने के लिये चल रहा था । कांग्रेस के भी पाँच सदस्य, सर्व श्री दया-शंकर दूवे, श्री रामनरेश मिश्र, श्री गंगा प्रसाद खरे, श्री मुन्नन जी पाण्डेय तथा सरयू प्रसाद साहु ने समिति में आन्दोलन के दमन का विरोध किया, फल-स्वरूप ये लोग सुधार-समिति के भवन से बाहर चले आये ।

चकिया के प्रमुख कार्यकर्ता श्री सत्यनारायण पाण्डेय, श्री कैलाशनाथ सिंह व श्री गया प्रसाद सिंह गिरफ्तार कर कारा-वास में भेज दिये गये ।

श्री कैलाशनाथ सिंह

बनारस जिला-कांग्रेस का सहयोग

आन्दोलन की व्यापकता तथा दमन की भयंकरता देखकर 'आज' के सम्पादक पं० बाबूराव विष्णु पराड़कर व श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने 'आज' में 'अग्रलेख' तथा 'टिप्पणी' लिखकर काशी-राज्य-कांग्रेस के संगठन तथा औचित्य पर भली भाँति से प्रकाश डालते हुये स्वर्गीय महाराज की उदारता तथा प्रजा-वत्सलता की प्रशंसा करते हुये, नीच प्रकृति वाले अधिकारियों की कटु आलोचना किया। साथ ही चकिया की जनता के साथ पूर्ण-सहयोग तथा सहानुभूति प्रकट किया। श्री पं० बाबूराव विष्णु पराड़कर तथा पं० कमलापति त्रिपाठी जी के इस पवित्र कार्य से बनारस जिला कांग्रेस को पूर्ण उत्साह मिला। तथा बनारस जिला कांग्रेस के सभापति श्री जगत-नारायण दूबे तथा मंत्री देवमूर्ति शर्मा ने अपने संयुक्त वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया कि "काशी राज्य कांग्रेस" के साथ बनारस जिला कांग्रेस का अविछिन्न सम्बन्ध होने के नाते काशी-राज्य कांग्रेस के सत्याग्रह में बनारस कांग्रेस का पूर्ण सहयोग होगा। राज्य द्वारा दमन की नीति से तथा राज्य की पाशविकता से कांग्रेस जनों को क्षोभ उत्पन्न हो गया। राज्य की भयानक दमननीति व काशी-राज्य कांग्रेस की सत्य अहिंसामय नीति से बाध्य होकर बनारस जिला कांग्रेस ने भी युद्धभूमि में आने का निश्चय किया।" तथोक्त वक्तव्य से राज्य-कांग्रेस को अत्यन्त साहस प्राप्त हुआ, साथ ही राज्य के अधिकारी वर्ग घबराने लगे।

बम्बई तथा कलकत्ता में जागृति

बनारस राज्य के कुछ शिक्षित तथा उत्साही युवक भारत

के प्रसिद्ध नगर बम्बई तथा कलकत्ता में रहते थे। उन्हें जब चकिया के आन्दोलन का पता चला तब वे अपनी क्रान्तिकारी भावनाओं को न छिपा सके। बम्बई स्थित राजकीय जनता ने चकिया के आन्दोलन का समर्थन किया। तथा उसमें सहयोग देने के लिए एक दल भेजने की सूचना, चकिया कांग्रेस को दिया। बम्बई में स्थित श्री रामप्रताप शुक्ल तथा वंशराज उपाध्याय, पं० हरिशंकर चतुर्वेदी आदि सज्जनों के उद्योग से चकिया के आन्दोलन के वास्ते सहयोग प्राप्त हुआ था। जिससे राज्य कर्मचारीगण समझ गये कि यह आग बहुत दूर तक लग गयी। भदोही की जनता पूरे जन-धन की सहायता देने के लिये कटिबद्ध हो गयी। चकिया सत्याग्रह का भयानक तथा व्यापकरूप भदोही के गाँव-गाँव में व्याप्त हो गया था।

भदोही में दमन का विरोध

२४ जून को चकिया जिला के २० स्थानों में सभा की गयी और चकिया में भी सभा हुई। कई दल वालों ने सत्याग्रह किया। प्रत्येक दिन की भाँति पुलिस की लाठी वर्षा हुई, जिससे १५ व्यक्ति घायल हुये थे।

२४ जून को चकिया आन्दोलन का समर्थन करने तथा राज्याधिकारियों की दमन नीति व पाशविकता की निन्दा करने के लिए "पाली" में भदोही-कांग्रेस की विराट-सभा हुई, जिसमें श्री जंगबहादुर सिंह बघेल ने सभापति का स्थान ग्रहण किया सभा में चकिया सत्याग्रह में पूर्ण सहयोग देने की व्यवस्था के लिये प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि "बनारस-राज्य कांग्रेस कमेटी की बैठक शीघ्र ही करके उसके द्वारा चकिया का सत्याग्रह चलाया जाय।"

नवगढ़ में भी सत्याग्रह की लहर उठ चुकी थी। वहाँ के प्रधान कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी। २३ जून को चकिया के प्रधान कार्यकर्त्ता श्री रघुनाथ पाण्डेय के साथ एक जत्था नवगढ़ गया। श्री परमेश्वरी दूबे, श्री दुर्गादूबे, श्रीवंशीधर साहु के ऊपर पुलिस टूट पड़ी। उनके ऊपर इतनी मार पड़ी कि वे अत्यन्त घायल हो गये। इनके साथी भी घायल हुए कुछ लोग गिरफ्तार कर थोड़ी देर में छोड़ दिये गये। चकिया में बीस स्थानों पर सभा करके 'धारा' १४४ को भंग किया गया।

चकिया वारदोली बना

(नवम दिवस)

राज्य कांग्रेस को ओर से चकिया के गाँवों में २५ जून को २० सभायें की गयीं और धारा १४४ तोड़ी गयी, किन्तु किसी भी गाँव में पुलिस न पहुँच सकी। पुलिस ने दमन के लिये अपना केन्द्र चकिया निश्चित किया था। २५ जून को पुलिस ने अपना पैंतरा दूसरे रुप में परिवर्तित कर दिया। पुलिस द्वारा श्री गोबर्धन साहु, श्री रामनन्दन यादव, श्री द्वारिकासिंह और श्री गंगाराम मास्टर गिरफ्तार कर लिए गये। पुलिस को केवल भ्रम हो गया था। चकिया के प्रमुख किसान ही कांग्रेस के सहायक न थे वरन् वहाँ का बच्चा-बच्चा कांग्रेस के साथ मर मिटने को तैयार था।

राज्य कांग्रेस ने उस समय तक कर-बंदी करने का विचार नहीं किया था, किन्तु जनता ने अपने कर्त्तव्यानुसार चकिया में कर-बन्दी आन्दोलन भी प्रारम्भ कर दिया। नहर-रेट आदि कोई भी राज्य-कर जनता ने देना उचित न समझा।

चकिया के सजावलों तथा अन्य कर्मचारियों की, (जो लगान वसूल करते थे), गाँवों में जाकर लगान वसूल करने का साहस न पड़ता था। अभाग्यवश कोई सजावल किसी गाँव में पहुँच भी जाता तो गाँव-वाले उसका इस प्रकार वहिष्कार करते थे कि उस वेचारे को सीधे मुँह चकिया लौट आना पड़ता था। गाँववालों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगान बन्द किया था। किसानों के पवित्र दृढ़ संगठन को देखकर "वारदोली" का स्मरण हो जाता था। लगान वसूली के लिये गांवों में सेना घुमाई जाने लगी थी, ताकि लोग भयभीत हों। सजावलों के साथ सैनिक सिपाही बन्दूक लेकर जाते थे, परन्तु राज्य के इस बन्दर-घुड़की से प्रजा भयभीत न हुई।

कांग्रेस-युद्ध समिति

(दशम-दिवस)

राज्य, कांग्रेस के आदेशानुसार २६ जून को भी स्थान २ पर सभायें की गयीं और 'धारा १४४' को तोड़ा गया। गाँवों की सभाओं में अब लोग लगान बन्दी पर जोर देने लगे।

२५ जून को जिला बनारस कांग्रेस-कमेटी के कार्यालय (मैदागिन) में काशी राज्य कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्राय: सभी सदस्यों ने भाग लिया। उसमें सर्व सम्मति से राज्य कांग्रेस-कमेटी को तोड़ कर काशी-राज्य-युद्ध-समिति बनाकर उसे आन्दोलन-संचालन का कार्य सौंप दिया गया। श्री जंगबहादुरसिंह 'वघेल' प्रथम अधिनायक चुने गये। युद्ध-समिति बन जाने पर समिति ने यह निश्चय किया कि एक वार शासन-परिषद् के अध्यक्ष के नाम से पुन: पत्र लिखा जाय कि

वह दमनात्मक नीति को समाप्त करके बन्दियों को छोड़ दें ; और कांग्रेस की माँगों को स्वीकार करें। युद्ध समिति की ओर से सी० आर० पीटर्स के पास पत्र भेजा गया।

युद्ध समिति के अधिनायक ने जो पत्र सी० आर० पीटर्स को दिया था, उसका सारांश इस प्रकार था।

"प्रिय महाशय,

राज्य में जो दशा उत्पन्न हो गई है, उस पर ध्यान देने के लिए गत २५ जून सन् १९३९ ई० को काशी राज्य कांग्रेस-कमेटी, सम्पूर्ण अवस्थाओं पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जो आन्दोलन चकिया में चल रहा है उसे वह अपना ले और उसका वह संचालन करे। हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि काशी-राज्य-कांग्रेस ने चकिया के नागरिकों तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी यह आज्ञा दी थी, कि वह अपनी नागरिकता तथा मनुष्योचित अधिकारों को संरक्षणता के लिये स्वयं चाहें तो धारा १४४ की आज्ञा तोड़ सकते हैं।

हम नम्रता के साथ यह बताना चाहते हैं कि काशी-राज्य-कांग्रेस को भी ऐसी आज्ञा देने की आवश्यकता क्यों हुई ? हम यह आवश्यकता समझ रहे हैं कि काशी-राज्य का वर्तमान-शासन जनता की जाग्रति और कांग्रेस के आन्दोलन को कुचलना चाहता है। जो नियम स्वर्गीय महाराज ने अपनाया था, उसके विरुद्ध चलने की भावना वर्तमान शासन में दिखाई पड़ी। हमने देखा कि चकिया के गाँवों में सेना घुमाई गई, लगान वसूली के लिए कर्मचारियों के साथ सैनिक सिपाही घुमाये गये।

अन्त में धारा १४४ लगायी गयी और कहा गया कि साम्प्रदायिकता का प्रसार रोकने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। परन्तु हमने देखा कि इससे लाभ उठा कर कांग्रेस के आन्दोलन को रोका

जा रहा है। हमारी सभायें रोक दी गयीं। और ३ मई को हमारी सभा पुलिस के द्वारा तितर-वितर कर दी गयी। हमने उसे भी शान्ति के साथ सहन किया और सरकारी आज्ञा लेकर सभा करने का प्रयत्न किया। परन्तु आज्ञा मांगने पर हम पर प्रतिबन्ध लगाया गया। "वर्तमान-शासन के विरुद्ध कुछ भी न कहा जाय" यह नियत कर्म-चारियों की है। फिर भी हमने उचित समझा कि आपको पत्र लिखकर इन बातों की ओर आपका ध्यान दिलादें। और किसानों के सम्बन्ध में जो शिकायत उत्पन्न की गई है और जिनके कारण हमारे वर्तमान शासन के नियम भंग हो रहे हैं, जिसे अपनाकर वह महाराज के प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध वर्ताव किया जा रहा है। उनकी ओर भी ध्यान दिलादें। गत १३ जून को हमने अपने पत्र का उत्तर पाने की प्रार्थना किया था, परन्तु उसमें भी मुझे हताश होना पड़ा। काशी-राज्य-कांग्रेस को अतिरिक्त इसके अब कोई मार्ग नहीं था कि वह जनता पर से वह रुकावट हटा लेती, जा कि किसी प्रकार का सत्याग्रह इत्यादि करने के लिए लगायी गई थी।

यह दुःख की बात है कि गत् १४ जून को यह प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए कांग्रेस-कमेटी ने स्वयं अपनी ओर से कोई आन्दोलन नहीं छेड़ा कि शासन शायद उदारता से काम ले और जनता की शिका-यत दूर करे। पर दुख के साथ हम देखते हैं, कि उससे भी लाभ नहीं उठाया गया। कानून तोड़ने वाले लाठी से पीटे जा रहे हैं। कारावास में बन्द किये जा रहे हैं और न जाने क्यों कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर धावा करके अध्यक्ष तथा उनके साथी गिरफ्तार कर लिए गये। इतना ही नहीं, रातों-रात मुकदमा चलाकर सजा दे दी गयी। हम समझते हैं कि शासन की ओर से काशी-राज्य-कांग्रेस पर यह पूरा प्रहार था, जिससे हमें सिवाय लड़ने के और कोई चारा नहीं रहा है। यह सब होने के पश्चात भी हम अब तक चुप थे और आशा

कर रहे थे कि शासकों का दिल पसीजेगा पर उससे भी निराशा हो गई। इस दशा में राज्य-कांग्रेस ने २२ जून को जो निश्चय किया उसे हम आप की जानकारी के लिए देते हैं।"

राज्य-कांग्रेस का युद्धक प्रस्ताव

"काशी-राज्य की वर्तमान शासन पद्धति ने जनता की जागृति और प्रजा के आन्दोलन के प्रति पिछले कुछ महीनों से जो मार्ग अपनायी है, उसे राज्य कांग्रेस कमेटी शंका की दृष्टि से देखती है। साम्प्रदायिक तनातानी के नाम पर चकिया जिले में जहाँ कांग्रेस का दृढ़ गढ़ था, धारा १४४ लगा दी गयी और उसका उपयोग कांग्रेस के साधारण-प्रचार और आन्दोलन को दबाने में किया गया। कमेटी के पास इस बात का प्रमाण है कि काशी-राज्य के अधिकारी साम्प्रदायिकता की आड़ में राजनीतिक जागृति को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब कांग्रेस-कमेटी ने अधिकारियों से सभा करने के लिये आज्ञा मांगी तो उससे यह कहा गया कि वर्तमान शासन के प्रति किसी प्रकार की टीका टिप्पणी न करने की शर्त पर ही सभा करने की आज्ञा दी जा सकती। राज्य कांग्रेस के अनुरोध करने पर भी जब धारा १४४ नहीं हटायी गयी और कांग्रेस-कार्यालय पर धावा करके राज्य कांग्रेस के सभापति अपने अन्य साथियों के साथ पकड़ लिये गये। रातोरात मुकदमा चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सजा की गयी तथा लाठी, कुन्दा तथा संगीनों से निहत्थी प्रजा पीटी जा रही है। तब इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं रह गया कि जनता के इस आन्दोलन का नेतृत्व करे, जो सत्याग्रह वह अपने नागरिक अधिकारों के लिए चला रही है।

यह कमेटी राज्य के समस्त युवकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है, कि वे इस युद्ध में सम्मिलित हों और शान्ति तथा

कष्ट सहन के मार्ग का अवलम्बन करके स्वतन्त्रता के यज्ञ को सफल करें। इस असाधारण स्थिति को देखते हुए, राज्य कांग्रेस कमेटी निश्चय करती है उसका समस्त विधान आज से स्थगित किया जाता है। और वह अपने को भंग करके युद्ध समिति की स्थापना करती है जो स्वयं अथवा अधिनायक द्वारा युद्ध संचालन करेगी।

इस प्रस्तावानुसार राज्य-कांग्रेस अपने को भंग करके युद्ध समिति बनाकर इस आन्दोलन को अपना कर उसका नेतृत्व करने का निश्चय करती है"।

सत्याग्रह का स्वरूप

हमने सत्याग्रह के चलाने का रूप जो निश्चय किया है उसमें लगान बन्दी, जंगल-सत्याग्रह, शराब व नशीली दुकानों के ऊपर धरना देना व सभी सम्भव शान्तिमय उपायों से आन्दोलन चलाना है। सम्भव है कि आन्दोलन की व्यापकता बनाने के लिए दुःख के साथ काशी राज्य के सभी जिलों में भी कोई न कोई मार्ग अपनाना पड़े। पर इसके पहले कि हम कुछ करें, नम्रता और नेकनीयती के साथ यह बिनती करना चाहते हैं कि हमारी यह इच्छा नहीं है कि झगड़ा बढ़े। हम यह नहीं चाहते हैं कि राज्य कांग्रेस कमेटी किसी युद्ध में भाग ले। हर सम्भव उपायों से जिससे यह मामला समाप्त हो जाय, कोई मार्ग ढूँढ़ निकाले। ऐसी अवस्था में आप से यह निवेदन है, कि आप धारा १४४ हटा कर और जो गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें मुक्त कर, राज्य की ओर से वह पग बढ़ायें कि असन्तोष दूर हो जाय। ऐसा करने पर राज्य में शान्ति और सहयोग की परिस्थिति पैदा करके आप काशी-राज्य-कांग्रेस के प्रधान को बुलावें। और आपस में बैठकर राज्य में उत्पन्न समस्याओं पर (जिनका वर्णन ७ जून के पत्र में किया गया है,) विचार करें। और जो बातें दोनों ओर से

उचित हों, उसे स्वीकार करें। यही मार्ग है, जिससे जनता और शासन में सद्भावना होगा। और वह बड़ा कार्य जिसे शासन-सुधार-समिति करना चाहती है पूरा हो सकता है। हम अपनी ओर से आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि राज्य ने हमारी राय मान ली तो केवल हम न कोई आन्दोलन करेंगे, वरन् जो आन्दालन चल रहा है, उसे भी अपनी शक्ति भर राकने का प्रयत्न करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे इस प्रस्ताव में जो हमारा सद्भाव है, उसे देखते हुए भी कदम बढ़ायेंगे। हम कल २७ जून के रात तक अपने पत्र का उत्तर पाने की प्रतीक्षा करेंगे। अगर तब तक शासन ने इस बार भी पत्र पर ध्यान नहीं दिया तब हम अपने का निराश समझेंगे।"

काशी राज्य कांग्रेस ने युद्ध-समिति रूप में अपने को बदल कर परिषद् के अध्यक्ष के पास जा पत्र भेजवाया, उसमें राज्य के आन्दोलन का उद्भव और राज्य को ओर से किये गये अनुचित व्यवहारों का पूरा वर्णन किया गया था। सभ्यता के नाम पर पत्र भेजना आवश्यक था। पत्र की भाषा से स्पष्ट हो गया था कि पत्र प्रार्थना के रूप में नहीं था। प्रार्थना करके कांग्रेस के लोग थक चुके थे। जब रक्षक भक्षक के रूप का ग्रहण कर चुके थे, तो उनसे प्रार्थना करना ही बेकार था।

उत्तर में विलम्ब

२६, २७ जून को भी चकिया में ४ बजे स्वयं-सेवक दल आ डटा और सभा का उपक्रम करने लगा। पुलिस ने गहरे लाठी-प्रहार से सभा भंग कर दिया। कई व्यक्तियों को साधारण चोट थी। युद्ध समिति के अधिनायक श्री वैकुन्ठनाथ मिश्र जी श्री पीटर के उत्तर की प्रतिक्षा में जिला बनारस के कांग्रेस कार्यालय में बैठे थे, परन्तु सायंकाल तक कोई उत्तर न आया।

युद्ध-समिति आन्दोलन चलाने का पूर्ण उपक्रम कर चुकी थी। रात्रि तक भी पत्र का उत्तर न आया।

घोर दमन

(त्रयोदश-दिवस)

२८ जून को प्रत्येक दिन की भाँति किसानों और मजदूरों का एक विशाल दल चकिया में लगभग ४ बजे पहुँचा। श्री रामनाथ शुक्ल (भदोही) की अध्यक्षता में चकिया में सभा हुई। सभा में श्री रामनाथ शुक्ल गिरफ्तार कर लिए गये।

लाठी प्रहार से ५० व्यक्ति घायल हो गये। श्री उमाकान्त जी को गहरी चोट थी। पुलिस ने अपने भयानक लाठी प्रहार से सभा को भंग कर दिया। उसी दिन चकिया में कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, और पश्चात् छोड़ भी दिये गये। गांवों में पुलिस और फौज की धांधली प्रारम्भ हो गयी थी। गांवों में घूस कर संगीन के बलपर लगान वसूल किया जाने लगा।

युद्ध समिति के सदस्यों को जैसी आशा थी, वैसा ही उत्तर (श्री पीटर के यहाँ) से आया। चकिया जिले के गाँव भभौरा के श्री श्री रामबदन सिंह व बसन्तू सिंह (बरौझीं) गिरफ्तार करके चकिया भेज दिये गये। अब कांग्रेस के सभी लोगों ने युद्धसमिति की ओर से सत्याग्रह करने के लिये निश्चय कर लिया।

प्रथम अधिनायक

युद्ध-समिति के प्रथम अधिनायक, गोपीगंज निवासी तथा

भदोही के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री जंगबहादुर सिंह 'बघेल' चुने गये थे। सूचनानुसार चकिया की जनता में बड़ा उत्साह फैला। २६ जून को श्री विश्वनाथ सिंह अपने जत्थे के साथ कलक्टरी के पास पहुँचकर धारा १४४ भंग किये। पुलिस ने श्री विश्वनाथ सिंह को मार पीट कर गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों में गिरफ्तार व्यक्तियों को जिलाधीश ने मनमाना जुर्म लगाकर सजा और जुर्माना करके ज्ञानपुर जेल में भिजवा दिया था।

षष्ठ अध्याय

युद्ध-समिति द्वारा युद्ध-संचालन

३० जून को काशीराज्य-कांग्रेस युद्ध-समिति की ओर से 'सविनय-अवज्ञा आन्दोन' प्रारम्भ हुआ। श्री जंगवहादुर सिंह वघेल प्रथम अधिनायक बनकर चकिया सत्याग्रह में भाग लेने के लिये पहुंचे। उनके स्वागत के लिये सभा का आयोजन किया गया था। चकिया में १५ हजार किसानों के बीच भाषण करते हुये प्रथम अधिनायक गिरफ्तार कर लिये गये। श्री जंगवहादुर सिंह की गिरफ्तारी से चकिया में हलचल मच गया। गिरफ्तारी के वाद सभा की कार्यवाही शान्तिपूर्वक समाप्त कर दी गयी।

श्री जङ्गवहादुर सिंह 'वघेल'

द्वितीय अधिनायक

१ ली जुलाई को युद्ध-समिति के द्वितीय अधिनायक श्री जयश्री सिंह चकिया में सत्याग्रह के लिये उपस्थित हुये और भाषण देने के बाद गिरफ्तार कर लिये गये।

तृतीय अधिनायक

श्री जयश्री सिंह के बाद श्री बेचनराम तृतीय अधिनायक होकर तीसरी जुलाई को चकिया पहुँचे। श्रीबेचनराम के ऊपर पुलिस का घातक प्रहार हुआ और गिरफ्तारी के बाद थाने के भीतर भी इनके ऊपर पुलिस द्वारा अधिक मार पड़ी।

श्री सुभाषचन्द्र बोस की चेतावनी

काशीराज्य के सत्याग्रह का समाचार देश के कोने कोने में व्याप्त हो गया था। देश के सभी माननीय नेताओं का ध्यान राज्य द्वारा किये गये दमन की ओर आकर्षित होगया। बम्बई को "काशी राज्य नागरिक सभा" ने एकसभा का आयोजन दूसरी जुलाई को किया। उस सभा में देश के गौरव श्री सुभाष चन्द्र बोस उपस्थित हुए थे। श्री सुभाष बाबू भी काशी राज्य में होनेवाले सत्याग्रह

श्री सुभाषचन्द्र बोस

और दमन से पूर्ण परिचित हो गए थे। उन्होंने देशी रजवाड़ों की तथा विशेषकर काशी राज्य में राज्य द्वारा दमनात्मक नीति का विरोध करते हुए चकिया के सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। दमन के विरोध में उन्होंने राज्य के अधिकारियों को सचेत हो जाने के लिए कहा था। सुभाष बाबू के भाषण के पश्चात् काशीराज्य के नागरिकों की ओर से एक प्रस्ताव भी पास हुआ था। प्रस्ताव में चकिया-आन्दोलन के विजय की कामना की गयी थी और चकियासत्याग्रह का समर्थन किया गया था, तथा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए, सत्याग्रह में सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन था। श्री सुभाष बाबू के चेतावनी और बम्बई के नागरिकों के उद्योग से देश में चकिया सत्याग्रह की व्यापकता बढ़ गयी, देश-विदेश के सभी समाचार पत्रों में चकिया सत्याग्रह समाचार को प्रधान स्थान प्राप्त होता रहा।

चतुर्थ अधिनायक

युद्ध समिति की आज्ञा से श्री शंकरसिंह चतुर्थ अधिनायक बन कर गये और ४ जुलाई को चकिया में गिरफ्तार कर लिये गये। युद्ध समिति के आदेशानुसार चकिया के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कई दल बनाया गया जो चकिया जिला के सम्पूर्ण भाग में आन्दोलन का संचालन करता रहा। सर्व श्री मुन्नन जी पाण्डेय, गौरीशंकर त्रिपाठी, मुहम्मद नूर खां, छांगुरसिंह, गुप्तेश्वर पाठक, व्रजभूषण मिश्र, नरायनसिंह, रघुनाथपाण्डेय, दुर्गादूबे, परमेश्वरी दूबे, कालिकासिंह, कन्तूसिंह आदि कार्यकर्तागण जिले के कोने कोने से आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। इतिहास लेखक को संवाददाता तथा प्रकाशन का कार्य नियत किया गया था।

पंचम-षष्ट अधिनायक

युद्ध समिति की ओर से, श्री शिवकरनसिंह, श्री रामवंश लाल, पंचम-षष्ट अधिनायक बनाकर भेजे गये थे परन्तु पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। राज्य की ओर से पैंतरा बदलने लगा।

गांवों में सत्याग्रह की व्यापकता बढ़ने लगी, और 'लगानबन्दी' पूर्णरूप से हो गयी। सैनिकों और पुलिस की सहायता से लगान वसूली का कार्य किया जाने लगा किन्तु सामाजिक बहिष्कार के कारण अधिकारी असफल होते गये।

सप्तम अधिनायक

युद्ध समिति के दो अधिनायकों की गिरफ्तारी न करके शासन परिषद ने जो भाव ग्रहण किया, उसे शीघ्र ही बदलना पड़ा, ६ जुलाई को युद्ध समिति की आज्ञा से श्री सरयू प्रसाद साहु, सप्तम अधिनायक बना कर चकिया भेजे गये और मार्ग में ही गिरफ्तार कर के चकिया पहुंचाये गये। पुलिस द्वारा साहुजी पर अधिक मार पड़ी, जिससे उनके मुँह से रक्त निकल पड़ा था। युद्ध समिति को पुलिस के तथोक्त नृशंसता एवं कायरतायुक्त व्यवहार से बहुत क्षोभ हुआ।

श्री सरयू प्रसाद साहु

'आज' की चेतावनी

काशी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 'आज' ने अग्रलेख और

टिप्पणी में श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर जी तथा श्री कमलापति शास्त्री जी ने काशीराज्य कांग्रेस के आन्दोलन का समर्थन करते हुये, यह चेतावनी दिया था कि "चकिया के आन्दोलन में सम्पूर्ण बनारस जिला और संयुक्त प्रान्त सहयोग के लिये तैयार है, समय रहते सचेत हो जाने में अधिकारियों की बुद्धिमानी है, नहीं तो सम्पूर्ण भारत की दृष्टि चकिया के आन्दोलन में लगी हुयी है। फलस्वरूप राज्य को पछताना पड़ेगा"। 'आज' में प्रकाशित अग्रलेख, सम्पादकीय विचारों एवं समाचारों से देश में चकिया के सत्याग्रह के प्रति पूर्ण सहानुभूति और जागृति व्याप्त हो गयी थी।

विजयभूमि खखड़ा में सत्याग्रह

उतरौत गांव में जब अधिकारी लगान वसूली न कर पाये तो खखड़ा गांव में सदलबल पहुँच गये। खखड़ा गांव में जब अधिकारी वर्ग पहुँचे तो, कांग्रेस जनों के प्रयत्न से हजारों स्वयंसेवक खखड़ा गांव में जा डटे। और अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार प्रारम्भ होगया। उस दिन चकिका में जूठनसिंह के जत्थे के ऊपर अधिक मार पड़ी और चकिया से सत्याग्रह केन्द्र उठकर खखड़ा गांव में स्थापित हो गया। अधिकारियों द्वारा लगान वसूली के विरोध में खखड़ा में विराट सभा का आयोजन किया जाने लगा और २० हजार किसान खखड़ा गांव में पहुंच चुके थे। श्री मुन्नन जी पाण्डेय को गिरफ्तार करने के लिये चकिया के थानेदार ने उनका पीछा किया किन्तु कौमी सेना के सैनिक श्री रामचन्द्रसिंह, श्री केदार तिवारी, श्री संकठा तिवारी, श्री नृसिंह तिवारी आदि ने थानेदार को रोक लिया और थानेदार द्वारा पिस्तौल मारने की धमकी का तनिक भी विचार न किया।

अष्टम अधिनायक

श्री रामप्यारेसिंह अष्टम अधिनायक होकर चकिया सत्याग्रह का संचालन करने लगे और खखड़ा की विराट सभा में, गिरफ्तार भी होगये। श्री बनवारी सिंह, श्री मेघनारायण पाण्डेय, श्री श्यामविहारी सिंह भी उसी दिन गिरफ्तार करके चकिया भेज दिये गये। इन लोगों के ऊपर पुलिस का घातक प्रहार हुआ था। खखड़ा में सत्याग्रह की व्यापकता देख चकिया के जिलाधीश, पुलिस कप्तान के साथ भेजे गये। खखड़ा गांव में उस समय अभूतपूर्व घटनायें घट रही थीं। ३० हजार से ऊपर किसानों का दल खखड़ा गांव में घेरा डाले पड़ा था।

श्री बनवारीसिंह

सर्व श्री केदारप्रसाद, मारकन्डेय प्रसाद, मंहगू नाई गिरफ्तार किये गये और पुलिस के घातक प्रहार के वाद छोड़ दिए गये।

घातक संगीन प्रहार

दूसरे दिन पुनः खखड़ा गांव में विराट सभा का आयोजन किया गया। ४० हजार किसानों का दल सभा को सफल बनाने के लिये तैयार था, पुलिस कप्तान तथा जिलाधीश सभा भंग करने के लिये लाठी तथा सैनिकों द्वारा संगीन का

प्रहार कराये, जिससे ५० से ऊपर व्यक्ति घायल होगये। संगीन के प्रहार से ७ व्यक्ति आहत हुये जिसमें श्री चन्द्रिका पाण्डेय, श्री भूरी पाण्डेय, श्री छविनाथ सिंह, श्री निवूल सिंह, श्री कुम्भी साहु आदि व्यक्ति थे। पुलिस द्वारा नृशंसता और निर्लज्जता के भयानक काण्ड से काशी राज्य के महत्ता में कलंक लग गया। तथोक्त आहत व्यक्तियों का उपचार काशी में हुआ।

हृदय-द्रावक दृश्य

खखड़ा की सभा में उन तथोक्त घायल वीरों को दिखाने के लिये लेखक को काशी के प्रमुख नेताओं को अस्पताल में ले जाना पड़ा। पं० कमलापति त्रिपाठी की आँखों में आहत व्यक्तियों के देखने से आँसू आगया।

पं० जवाहर लाल जी का आश्वासन

खखड़ा काण्ड के समाचार को पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने पं० जवाहरलाल जी को तार द्वारा पूर्ण विवरण के साथ सूचित कर दिया। पं० जवाहरलाल जी ने उत्तर दायित्व पूर्ण आश्वासन देते हुये सहयोग और सहायता पर श्री त्रिपाठी जी से विचार विमर्श कर लिया।

खखड़ा की भयानक घटना, और जागृति से पीटर को तथा शासन समिति के प्रत्येक सदस्यों को घबराहट होगयी। स्वयं पीटर घायलों को देखने अस्पताल में गये थे।

पीटर, पन्त की शरण में

खखड़ा गांव के सत्याग्रह से काशीराज्य के शासन परि-

पद् को हार माननी पड़ी और पीटर महोदय को समझौता करने के लिये संयुक्त प्रान्त के प्रधान मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त की शरण में जाना पड़ा। श्री गोविन्द वल्लभपन्त ने पीटर के प्रस्तावों और चक्रिया के सत्याग्रह पर प्रसन्न होकर प्रान्त के शिक्षा मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्द जी को काशीराज्य में समझौता कराने के लिये भेजा।

श्री गोविन्दवल्लभपन्त

श्री सम्पूर्णानन्द जी

लखनऊ से काशी आकर, श्री सम्पूर्णानन्द जी ने प्रमुख कांग्रेसजनों के सम्मुख समझौता की समस्या उपस्थित किया। सर्व श्री कमला पति, शास्त्री, श्री जगतनारायण दूवे, श्री मुन्नन जी पाण्डेय, और "इतिहास लेखक" के सामने समझौता की रूप रेखा तैयार की गयी। श्री पीटर महोदय से पहले ही समझौता का स्वरूप बतलाया जा चुका था।

युद्ध समिति के प्रधान के नाम से श्री सम्पूर्णानन्द जी ने एक सप्ताह तक सत्याग्रह स्थगित करने के लिये *एक पत्र

---

* प्रिय वैकुण्ठनाथ जी,

इस पत्र द्वारा मैं आप से और बनारस राज्य युद्ध समिति से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इधर कुछ दिनों से राज्य के सम्बन्ध में जो समाचार निकलते रहे हैं उसमें देशी राज्यों की जनता के प्रत्येक हितैषी को क्षोभ हुआ है। मेरा तो बनारस निवासी होने के नाते राज्य से और आप लोगों से विशेष प्रकार का सम्बन्ध है। संयुक्त प्रान्त की सरकार भी अपने पड़ोस में होने वाले इस आन्दोलन की ओर से उदासीन नहीं रह सकती। राज्य में शासन सुधार योजना की जो बात चल रही है उसके लिए अनुकूल वातावरण तब हो मिल सकता है जब यह हलचल (जो आजकल जारी है) बन्द हो जाय। मैंने इस सम्बन्ध में भी पीटर्स और सैयद अली जामीन से बातचीत की और मुझे आशा है कि यदि आपका सत्याग्रह स्थगित हो जाय तो:—

(१) दफ़ा १४४ का हुक्म उठा लिया जायगा। (२) जो लोग सत्याग्रह के लिये गिरफ्तार किए गये हैं वह शीघ्र ही मुक्त हो जायँगे।

इधर शासन की ओर से कई सुविधाओं की घोषणा हुई हैं। शान्ति स्थापित होने पर राज्य-कांग्रेस के प्रतिनिधि अधिकारियों से मिल कर प्रजा की अन्य शिकायतों के बारे में बात-चीत कर सकेंगे। शिकायतों के दूर करने का यही सर्वोत्तम उपाय है।

मेरा अनुरोध है कि आप एक सप्ताह के लिये सत्याग्रह स्थगित कर दें। मुझे विश्वास है कि दफा १४४ का हुक्म इसके बीच में ही रद्द हो जायगा। कैदियों के छोड़ने में शायद कुछ देर लगे या यथा-सम्भव वह काम भी जल्द ही होगा।

लिखा । पत्र में सत्याग्रही बन्दियों को 'छोड़े जाने और राज्य द्वारा कांग्रेस की मागों को स्वीकृत करने का भी आश्वासन था । श्री सम्पूर्णा नन्द जी के आश्वासन से युद्ध समिति ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और सत्याग्रह स्थगित करने का समाचार चकिया के कोने कोने में पहुंचा दिया गया ।

पुलिस द्वारा लूट पाट

युद्ध समिति के पाच सदस्यों के नाम से एक सूचना प्रकाशित करके खखड़ा गांव में भेजी गयी थी, उसके आधार पर कांग्रेस जनों ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया । सत्याग्रह स्थगन के पश्चात पुलिस द्वारा गांवों में लूट-पाट का कार्य प्रारम्भ हो गया । कुशहां गाव के सर्व श्री कालिका त्रिपाठी, चंडी त्रिपाठी, रामचन्द्र सिंह, छविनाथ सिंह और श्यामसुन्दर त्रिपाठी आदि के घरों की तलाशी लेकर पुलिस ने वहुत सा सामान नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । खखड़ा गांव के श्री प्रसिद्धनारायण सिंह, श्री उमराव सिंह और रोहाखीं गांव के श्री रामअनन्त सिंह व श्री रामलगन सिंह को भी अधिक सताया गया । सैनिकों ने वरियारपूर के श्री सूर्यनारायण सिंह और श्री आदित्य सिंह के घर की भी तलाशी लिया था ।

युद्ध समिति द्वारा निरीक्षण

युद्ध समिति ने श्री मुन्नन जी पाण्डेय, श्री मुहम्मद नूर

मैं आशा करता हूँ कि मेरे अनुरोध को स्वीकार कर के आप शान्ति को पुनः स्थापना कराने में मुझे सहायता देंगे ।

भवदीय

सम्पूर्णानन्द

खां, श्री गौरीशंकर त्रिपाठी, श्री अम्बिका त्रिपाठी और इतिहास लेखक को पुलिस के कुकार्यों का निरीक्षण, बिवरण के लिये नियुक्त किया था। पूर्ण विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया।

राजबंदियों से भेंट

युद्ध-समिति ने श्रीगंगा प्रसाद खरे, श्री वैकुण्ठनाथ मिश्र, श्री दयाशंकर दूबे और इतिहास लेखक को राजबन्दियों से भेंट करने तथा समझौता विषयक समाचार सुनाने के लिये ज्ञानपुर जेल में भेजा था।

ज्ञानपुर जेल में राजबन्दियों को बेड़ी पहनायी गयी थी, तथा भोजन साधारण बन्दियों की भांति दिया जाता रहा। उन्हें चक्की पीसने का भी कार्य दिया गया था। राजबन्दियों में प्रमुख लोगों से बात-चीत करके युद्ध समिति के सदस्य काशी लौट आये।

राजबन्दियों का स्वागत

सत्याग्रह स्थगित किये जाने के दो दिन बाद १० जुलाई को शासन-समिति के अध्यक्ष ने चकिया में लगायी गयी धारा १४४ को उठा लिया, और राज-बन्दियों को कारावास से मुक्त कर दिया। मुक्त राज-बन्दियों का स्वागत ११ जुलाई को चकिया में बहुत ही समारोह के साथ हुआ।

इस प्रकार चकिया के सत्याग्रह में कांग्रेस की विजय हुयी और 'पीटर शाही' को जनता जनार्दन के सम्मुख हार खानी पड़ी।

संधि-पत्र की रूप रेखा

जनता जनार्दन को अत्याचार और दमन के बलपर कभी दबाया नहीं जा सकता। साम्राज्यवादियों का दमन से क्षणिक लाभ हो सकता है, परन्तु छिपी क्रान्ति की चिनगारी समय पाकर के अवश्य धधक उठती है। फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति, चीन का विरोध दमन से नहीं दबाया जासका। चकिया में दमन करने की नीति पूर्व में ही थी, पर जंगल सत्याग्रह के समय महाराज की आज्ञा बिना अधिकारी दमन न कर सकते थे। पीटर को पूर्ण विश्वास था कि दमन करने से सत्याग्रह वन्द हो जायगा। अतएव अत्याचार व अनाचार की नंगी नाच चकिया में प्रारम्भ हुयी। कांग्रेसी जनों ने सत्य और अहिंसा के बल पर दमन का सामना किया, अतः वह विजयश्री को प्राप्त कर सके थे। कांग्रेस जनों ने महान त्याग किया, कष्ट उठाया, लाठी और वंदूक के कुन्दे, संगीन, बेंत आदि आदि की मार से नहीं घबराये। उनका वह देश-सेवा-जनक कर्तव्य पूरा हुआ। फलस्वरूप विजयश्री उनके चरणों पर आकर गिरपड़ी। प्रजा ही विजयी हुयी। चकिया की बढ़ी हुई लगान, नहर रेट तथा अन्य आवश्यक बातों पर विचार-विनिमय किया गया। २६ जुलाई को काशी के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री श्री प्रकाशजी के निवास स्थान पर चकिया के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता श्री रामनन्दन सिंह, श्री मुन्ननजी पाण्डेय, श्री सरयू प्रसाद साहु, श्री सत्यनारायण पाण्डेय तथा राज्य के प्रधान मंत्री सैयद अली जामिन और चकिया के जिलाधीश श्री निरंजनलाल वर्मा जी उपस्थित रहे। उस समय श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी भी उपस्थित थे। श्री श्रीप्रकाश जी के अध्यक्षता में समझौते का कार्य प्रारम्भ किया गया।

लगान का निर्णय

(१) बैठक में लगान विषयक निर्णय में यह विचार निश्चित हुआ कि सन् १३४५ फसली तक की अवशिष्ट लगान वसूल नहीं की जायेगी और स्थगित अवशिष्ट लगान में राज्य सरकार का वही निर्णय होगा जो प्रान्तीय कांग्रेसी सरकार अवशिष्ट लगान के बारे में अपना निर्णय देगी।

(२) अतिरिक्त सन् १३४५ फसली तक के भूमि-कर के संबन्ध में जो अभियोग न्यायालय में चल रहे हैं वे सब के सब रोक दिये जायँगे।

(३) सन् १३४६ फसली के वर्तमान भूमि के संबन्ध में यह निश्चित हुआ कि जिस भूमि का बन्दोवस्त सन् १९१३ ईसवी में या उसके बाद हुआ है उनके कर में प्रति रुपये छः आने वसूली स्थगित रहेगी, किन्तु सन् १९१३ के पूर्व जिनका बन्दोवस्त हो चुका है—उसके कर में स्थगन नीति की कार्यवाही न होगी और उसके साथ साथ १९१३ ई० के पहले किये गये बन्दोवस्त पर जमीन वालों को यह अधिकार होगा कि यदि उनका कर अधिक है तो जिला धीश के पास विचारणार्थ प्रार्थना पत्र दे दें, चकिया जिलाधीश का यह अधिकार दिया जाता है कि आवश्यकतानुसार जहां कर अधिक हो, कर संचयन में उचित छूट करें। यह भी निश्चित हुआ कि ऐसे प्रार्थना पत्रों पर किसी प्रकार का न्यायालय कर न लिया जायेगा, ताकि किसानों पर किसी भी प्रकार से अतिरिक्त खर्च का बोझ न पड़े, । एक से अधिक किसान भी एक ही प्रार्थना पत्र में न्यायाधीश के यहां प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वे झंझट से भी बचें। बैठक में यह भी निश्चित कर दिया गया था कि जिन प्रार्थना पत्रों को जिलाधीश अस्वीकृत कर देंगे, उन्हें वे सीधे प्रधान मंत्री के पास भेज देंगे। ताकि वे उन पर अपना निर्णय दें और प्रधान मंत्री विचार करके जो निर्णय देंगे वही अन्तिम निर्णय समझा जायेगा, यहाँ तक कि प्रधान मंत्री महोदय चकिया जायँगे और

उन अभियोगों को वहीं देखेंगे। ताकि किसानों को रामनगर जाने का कष्ट न उठाना पड़े।

नहर रेट विषयक निर्णय

(४) नहर कर के विषय में यह निश्चय किया गया कि सन् १३४५ फसली तक के बकाया रेट की छूट हो। इसके निर्णयार्थ यह विचार हुआ कि निकट भविष्य में इस पर परामर्श किया जायगा।

(५) यह भी निश्चित हुआ कि १३४५ फसली के नहर कर के छूट का लाभ वे ही उठा सकेंगे जो ३० सितम्बर सन् १९३९ ई० तक सन् १३४६ फसली के नहर कर को दे देंगे, यदि कोई कृषक ३० सितम्बर तक वर्तमान नहर रेट न दे देगा तो बाद में नहर कर देने की बात पर पूर्ण विचार होगा। साथ ही न देने की भी स्थिति पर विचार होगा। तब उस कृषक को पुनः निर्णय के अनुसार स्थगित कर का लाभ उठाने दिया जायेगा।

(६) निम्न प्रकार से नहर कर का भाव निश्चित किया गया था।

(क) गोविन्द पुर की शाख में पालपुर की नहर से नीचे की ओर नहर के दोनों ओर के भागों में एक रुपया प्रति बीघा और बाद में आठ आना प्रति बीघा रेट लिया जायेगा।

(ख) लेहरा की शाख में मनकपड़ा से ५ मील तक नीचे की ओर दोनों भागों में १) रुपया प्रति बीघा नहर कर लिया जायेगा।

(ग) वेनकी शाख में मन कपड़ा से नीचे नहर के दोनों भागों में ५ मील तक एक रुपया बाद में आठ आना प्रति बीघा नहर कर लिया जायेगा।

(घ) मलदह की छोटी शाख में मन कपड़ा से पांच मील नापा जायगा।

(ङ) बाँध से पालपुर तक एक रुपया प्रति बीघा नहर कर लिया जायगा।

(च) बाँध से पंचवनियाँ तक एक रुपया प्रति बीघा नहर कर होगा।

(छ) तियरा वाली शाख में पचवनियाँ से नीचे की ओर पाँच मील तक दोनों ओर १) एक रुपया प्रति बीघा और बाद में आठ आना।

(ज) सोतां वाली शाख में पचवनियां से नीचे पांच मील तक एक रुपया और बाद में आठ आना नहर कर होगा।

(झ)—गौरी की शाख में पचवनियां से नीचे की ओर पांच मील तक एक रुपया और बाद में आठ आना प्रति बीघा नहर का रेट होगा।

(ट) धनावल वाली शाख में पचवनियाँ से नीचे की ओर पाँच मील तक एक रुपया बाद में आठ आना प्रति बीघा नहर कर लगेगा।

(ठ) पथरावाँ की ओर जो नहर गई है उसमें प्रारम्भ से अन्त तक की बस्ती में आठ आने प्रति बीघे नहर रेट होगा।

"खरचरी विषयक विचार"

खरचरी के विषय में यह विचार हुआ था कि राज्य के बाहर के लोगों से खरचरी (राज्य द्वारा) ली जायेगी। उसमें राज्य के अधिकारी ही अपना निर्णय दें, परन्तु राज्य की प्रजा के खरचरी विषयक विचार विनिमय से यह निश्चित हुआ कि १३४५ फसली की खरचरी स्थगित की जायेगी परन्तु बाद में स्थगित लगान की भाँति विचार होगा कि अप्राप्त खरचरी के द्रव्य की छूट की जायेगी या नहीं? सन् १३४६ की खरचरी (वर्तमान खरचरी) ३० सितम्बर तक जो दे देंगे उन्हें ही सन् १३४५ फसली के अप्राप्त (स्थगित किये गये) खरचरी के बारे में लाभ उठाने का अधिकार दिया जायेगा नहीं तो वे उस लाभ से वंचित समझे जायँगे। पुनः इसका भी आश्वासन दिया गया था

कि खरचरी न देने की दशा पर विचार होगा कि किस परिस्थिति में पड़कर किसानों ने खरचरी नहीं दिया।

(८) यह भी निर्णय हुआ कि किसान जिस विभाग में रुपये देंगे उसी विभाग में उन्हें रसीद दी जायगी।

(९) पिछले सत्याग्रह के संबन्ध में चलाये गये सभी अभियोग हटा लिये जायेंगे।

(१०) यह भी निश्चित हुआ कि राज्य कांग्रेस जन लगान वसूली में राज्याधिकारियों की हर संभव उपायों द्वारा सहायता करें, ताकि वे प्रत्येक कर सरलता से प्राप्त कर सकें। राज्य के इतिहास में इस प्रकार प्रजा जनों और राज्य कर्मचारियों के साथ परस्पर सहयोगात्मक समझौता होने वाली प्रथम घटना थी।

— — —

सप्तम अध्याय

राज्य की ओर से समझौता भंग

जर्मनी द्वारा महासमर छिड़ चुका था उसकी विजय-पताका बहुत वेग से विजित राष्ट्रों पर फहराने लगी थी, महासमर की अग्नि बृटेन पर पहुंचने वाली थी कि बृटिश सरकार ने भारत-रक्षा-विधान तत्काल लागू कर दिया। सभी प्रान्त के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने आत्मसम्मान के साथ पद त्याग कर दिया। तथोक्त घटनाओं से काशी राज्य की सरकार का विचार परिवर्तित होगया। काशी राज्य के एक मात्र राष्ट्रीय पत्र 'ग्रामवासी' पर प्रथम प्रहार हुआ। उसके प्रकाशन को बन्द करके सरकार ने अपनी दमन नीति का परिचय दिया। चकिया संग्राम में (प्रजा के सामने) जो उन्हें हार खानी पड़ी थी उससे वे बड़े ही लज्जित थे और प्रजा पर प्रहार करने के लिये अवसर ढूंढ़ रहे थे। तब तक कोई उपाय हाथ न लगा था। अतएव भारत-रक्षा-विधान काशी राज्य पर भी लागू कर दिया गया।

'नहर रेट निर्णय' ठुकराया गया

राज्य कर्मचारियों और प्रमुख कांग्रेस जनों के मध्य काशी में श्री श्रीप्रकाश जी तथा पं० श्री कमला पति शास्त्री के समक्ष जो समझौता हुआ था उसमें 'नहर कर' के विषय में व्यापक निर्णय हुआ था परन्तु ज्योंही कॉंग्रेसी मंत्रिमंडल ने पद त्याग किया

त्योंही अधिकारियों के मन में प्रजा से संघर्ष करने की भावना बढ़ गयी और राज्य की ओर से यह प्रचार होने लगा—"नहर बनवाने में राज्य को १३ लाख रुपये खर्च पड़े थे और प्रति वर्ष एकलाख सतरह हजार रुपये नहर का पानी देने में खर्च पड़ता है। अतः चकिया जिले में पहले की भाँति दो रुपये दो पैसे, प्रथम पाँच मील के भीतर व पश्चात् में एक रुपये एक पैसे नहर रेट लगेगा।" इस प्रचार से राज्य के कांग्रेस जन और चकिया की जनता सशंकित होने लगी। अन्ततोगत्वा यह प्रचार प्रत्यक्ष घोषणा के रूप में आगया—"चकिया जिले में नहर कर पहले पाँच मील तक दो रुपये दो पैसे बाद में एक रुपये एक पैसा प्रति बीघा वसूल होगा।" १८ अप्रैल सन् १९४० ई० को यह सूचित किया गया।

'नहर कर' के विषय में इतिहास के दूसरे ही अध्याय में आ चुका है कि 'नहर कर' राज्य को आय के लिये नहीं लगाया गया, प्रत्युत जो रुपये निर्माण में खर्च हुये थे उसकी प्राप्ति के बाद निःशुल्क पानी देने की घोषणा की गई थी पर वह घोषणा भुलावा के लिये ही थी 'नहर रेट' के व्यापार में राज्य को क्यों कर घाटा लगे, अतएव श्री श्रीप्रकाश जी के यहाँ किये गये समझौते में 'नहर रेट' विषयक निर्णय को तोड़ दिया गया।

भारत रक्षा विधान का प्रथम प्रहार

'नहर रेट' की समस्या चकिया के किसानों के लिये एक विकट समस्या थी। पहले किसान सभा द्वारा भी इसी विषय पर आन्दोलन हुआ था। नवगढ़ की एक सभा में श्री राम-

नन्दनसिंह व रामलगन मिश्र ने 'नहर रेट' विषयक विरोधक भाषण दिया था। भाषण में 'नहर कर' की समस्या पर प्रकाश डाला गया था। काशी राज्य के कर्मचारियों ने इन प्रचारों को रोकना चाहा। अतः उनपर भारत-रक्षा विधान ३४।३८ के अनुसार अभियोग चलाने के लिये वारन्ट निकाला गया और ये लोग ८ जनवरी सन् १९४० ई० को बन्दी कर लिये गये, इनके गिरफ्तारी से पुनः चकिया में हलचल मच गयी।

श्री मिश्रजी व रामनन्दनसिंह

नहर के पानी पर रोक

चकिया जिला कॉंग्रेस कमेटी ने अपने १२ जून सन १९४० ई० की बैठक में हुये निर्णयानुसार श्री मुन्नन जी पाण्डेय. श्री सरयू प्रसाद साहु, श्री गंगाप्रसाद खरे, श्री कैलाशसिंह, श्री नारायण सिंह, श्री रामप्यारे सिंह, राज्य के प्रमुख अधिकारियों से बातचीत करने के लिये भेजे गए। १६ जून को ये लोग प्रधान सचिव के यहां गये उनसे तथा राज्य के इन्जीनियर व चकिया जिलाधीश से मिले।

उक्त प्रतिनिधिमंडल ने यह सोचा कि राज्य के कर्मचारी जन पुनः दमन के लिये उतारू हो गये हैं। (श्री रामनन्दनसिंह व

श्री रामलगनमिश्र की गिरफ्तारी ही दमन की स्पष्ट भूमिका थी) अतएव अधिकारियों के सामने इस सुझाव को रक्खा गया। कि "प्रथम पाँच मील १।।।-) और बाद में ।।।)।। नहर रेट प्रजा से लिया जाय और इस बात पर भी जोर दिया गया कि सन् १३४६ व ४७ की वसूली पूर्व निर्णय के अनुसार की जाय। काँग्रेस प्रतिनिधियों ने उनके संतोष के लिये यह भी कहा कि जो किसान सन् १३४७ फसली की रकम ३० सितम्बर तक न दें तो उनसे नूतन क्रम से वसूल किया जा सकता है"। राज्य के चतुर मंत्री श्री सैयद अली जामिन महोदय ने शासन-परिषद के अध्यक्ष के ऊपर यह समस्या छोड़ दिया। साथ ही रेजिडेन्ट के सलाह से यह सूचना दे दी गई कि ४ अप्रैल सन् १९४० की सूचनानुसार जो नहर रेट न दे देंगे, उन्हें पानी न दिया जायगा"। प्रतिनिधियों के जाने का अर्थ केवल इतना हुआ कि वे लोग अपने कर्तव्य से विमुख न हुये।

जनता के कुछ प्रमुखलोगों ने भी राज्य कांग्रेसजनों की बात को उचित समझा, पर राज्य की ओर से पानी रोक दिया गया। जिन लोगों ने बकाया रेंट दिया और दो रुपये दो पैसे स्वीकार किया उनके लिये पानी की व्यवस्था की गई। साथ ही जिस गाँव से रेट वसूली नहीं हुई उस गाँव में नहर से पानी जानेवाले सभी सम्बन्ध विच्छेद कर दिये गये। कहीं कहीं नहर पर पुलिस का पहरा भी बैठाया गया और झूठ ही पानी लेने के अभियोग में लोग गिरफ्तार भी किये जाने लगे। धीरे धीरे यह मामला एक सत्याग्रह के रूप में परिणित हो गया। कुछ लोगों ने पानी लेना अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की ओर से नहर रेट और पानी के लेने के विरोध में विशेष कार्यवाही नहीं हुई। कारण यह था कि

कांग्रेस के लोगों ने समझ लिया कि अब विना शक्ति और संगठन पैदा किये कार्य नहीं चल सकता। साथ ही श्री रामनन्दन सिंह व श्री रामलगन मिश्र की गिरफ्तारी से राज्य अधिकारियों का रुख स्पष्ट हो गया था।

कठोरतम दमन आरम्भ

श्री रामनन्दन सिंह और श्री रामलगन मिश्र की चकिया जिलाधीश की ओर से राज्य दंड दिया गया। श्री रामनन्दन सिंह को २७ मास की कड़ी कैद ३०) तीस रुपया जुरमाना और श्री रामलगन मिश्र को १२ मास की कड़ी कैद और १५) जुरमाना की सजा दी गयी और ये लोग ज्ञानपुर जेल में २६ मई को भेज दिये गये।

अब कांग्रेस तथा जनता को पूर्ण विश्वास हो गया कि राज्य की ओर से पुनः घोर दमन होगा। नहर रेट बढ़ाया गया, नहर का पानी देना बन्द किया गया। भारत-रक्षा के नाम पर नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। समय ठीक न समझ कर कांग्रेस के लोग संगठन और प्रचार में लग गये। राज्य कांग्रेस की ओर से प्रचार कार्य प्रारम्भ था। पर राज्य को कांग्रेस का प्रचार कार्य पुनः असह्य जान पड़ा। भारत-रक्षा-विधान का अमोघ अस्त्र उनके पास प्राप्त हो गया था और उसके प्रयोग का अवसर वे ढूढ़ते रहते थे।

भारत रक्षा विधान का दूसरा प्रहार

श्री सरयूप्रसाद साहु, श्री छांगुर सिंह पर भी भारत रक्षा विधान की ३४।३८ धारा के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। उन्हें जिला मजिस्ट्रेट श्री कुँवर कृष्णानन्द की अदालत

में ६-६ मास की कड़ी कैद और १५) १५) रुपये जुरमाना की सजा हुई।

पुलिस को धोखा

काशी राज्य कांग्रेस के इतिहास में १६ दिसम्बर तथा २६ जनवरी, दोनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सन् १९४० ई० के २६ दिसम्बर को चकिया में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित के स्वागत और भाषण के लिये सूचना वितरित हो चुकी थी। राज्य की पुलिस की ओर से उस सभा को असफल बनाने की पूर्ण व्यवस्था होने लगी। राज्य की ओर से काशी राज्य कांग्रेस के संगठन को मिटाने का उपक्रम पहले से ही हो रहा था। चकिया के ४ कांग्रेस जन ज्ञानपुर जेल में बन्दी जीवन बिता रहे थे। उस समय कांग्रेस की ओर से संगठन और प्रचार के लिये सभाओं का आयोजन किया जाता था, परन्तु राज्य की ओर से सभा की कार्यवाही विघटित करने का कई बार प्रयत्न हो चुका था।

श्री कमलापति त्रिपाठी सम्पादक 'आज' तथा काकोरी काण्ड के क्रान्तिकारी नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल, श्री जगत-नारायण दूबे, इमामयुसुफ बैरिस्टर और देवमूर्ति शर्मा को राज्य की सीमा में प्रवेश निषेध की आज्ञा हो गयी थी। राज्य की इस प्रकार अन्याययुक्त और घृणित कार्यवाहियों से चकिया के कांग्रेस जन सतर्क हो गये थे। कांग्रेस जनों ने यह निश्चित किया "देवनन्दन सिंह दीक्षित को २६ दिसम्बर की सभा में उपस्थित करना आवश्यक है" किन्तु कांग्रेस के इस निर्णय के विपरीत पुलिसभी सतर्क थी। श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित के ऊपर राज्य-

प्रवेश निषेध की सूचना देने की पूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी उस समस्या को दोनों ओर से अधिक महत्व दिया जाने लगा। कांग्रेस के कुछ लोगों ने विचित्र भाव प्रदर्शित कर दिया था, फलस्वरूप रामनगर और भदोही के भी अतिरिक्त पुलिस का प्रबन्ध चकिया में किया गया।

२६ दिसम्बर को १२ बजे दिन में श्री देवी के मंदिर के पास सभा का आयोजन किया गया था, चकिया के तीस हजार किसान सभा स्थल पर इकत्रित हो गये। श्री दीक्षित जी को गिरफ्तार करने के लिये हरेक सड़कों, मार्गों पर पुलिस दल तैयार रहा। देवी के मंदिर के पास इतना जन समूह इकत्रित हो गया था कि वहां सभा का कार्य नहीं हो सकता रहा। अतः सभापति की आज्ञा से आजाद बाग में ही सभा की कार्यवाही होना निश्चित हुआ। जब जन समुदाय आजाद बाग में पहुँचा तो वहां श्री दीक्षित जी उपस्थित हो गये और अपने भाषण द्वारा जन समुदाय को आकर्षित कर लिये।

श्री दीक्षित जी तथा दो सहयोगी

श्रीदीक्षित को देखकर पुलिस दल

आवाक् हो गया किसी प्रकार डरते कांपते काशी राज्य पुलिस के थानेदार ने दीक्षित जी को राज्य प्रवेश निषेध की सूचना दिया । पुलिस की मोटर में दीक्षित जी बिठलाकर रामनगर पहुँचाये गये और उनके उपर राज्य-आज्ञा-उलंघन का अभियोग लगाया गया । चकिया के जिला-धीश के न्यायालय में वह अभियोग से मुक्त कर दिये गये ।

दीक्षित जी की गिरफ्तारी के पश्चात सकुशल सभा समाप्त कर दी गयी । उत्तरदायी शासन सम्बन्धी बातों पर विचार के लिये एक समिति बनायी गयी । यह भी निश्चित हुआ कि समिति के सदस्य श्री रामनन्दन सिंह, श्री मुन्नन जी पाण्डेय और श्री दयाशंकर दूबे गान्धीजी से परामर्श लेने के लिये जायं तब बाद में कोई निश्चित मार्ग का अनुसरण किया जाय ।

भारत रक्षा विधान का दुरुपयोग

२६ दिसम्बर की तथोक्त घटना के समय इतिहास लेखक और शिव मूर्ति मिश्र को सभा की कार्यवाही में विशेष भाग लेना पड़ा । राज्य सरकार की आखों में पुनः तथोक्त दो व्यक्ति गड़ गये और भारत रक्षा विधान का प्रयोग इतिहास लेखक और शिवमूर्ति मिश्र पर भी किया गया । फल स्वरूप शिव मूर्ति मिश्र अपने निवास स्थान पर गिरफ्तार करके कुछ दिनों बाद छोड़ दिये गये । इतिहास लेखक को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस का दल कई बार लेखक के घर गया किन्तु उस समय लेखक का निवास स्थान अध्ययनार्थ हिन्दू विश्व विद्यालय में था, अतः एकाएक पुलिस वहां न जा सकी ।

भदोही कांग्रेस पर प्रहार

उत्तरदायी शासन प्राप्ति के लिये भदोही कांग्रेस का प्रचार

कार्य चल रहा था। चौरी मंडल के कार्यकर्ता श्री दयाशंकरदूबे, पंडित अक्षयवर वैद्य श्री श्रीराम दूबे आदि के अतिरिक्त श्री गंगाप्रसाद खरे, श्री गयाप्रसादसिंह, श्री चुन्नीलाल उपाध्याय, श्री सत्यनारायणशर्मा, श्रीचुन्नीलाल श्रीवास्तव आदि लोगों द्वारा कांग्रेस का प्रचार (भदोही जिले में) व्यापकता के साथ चल रहा था।

भदोही कांग्रेस की व्यापकता को देखकर राज्य पुलिस ने भदोही के वयोवृद्ध कार्यकर्ता श्री सत्यनारायण शर्मा को (५ फरवरी सन् १९४१ ई० को) गिरफ्तार कर लिया। भदोही के जिलाधीश द्वारा उन्हें पन्द्रह माह का कठिन कारावास दिया गया।

हिन्दू विश्वविद्यालय में गिरफ्तारी

राज्य-पुलिस के प्रयत्न से "इतिहास लेखक" को गिरफ्तार करने के लिये (बनारस जिलाधीश की आज्ञासे काशीपुरी के) भेलूपुर थाने के थानेदार श्रीरामगतिसिंह सशस्त्र पुलिस के साथ १९ फरवरी को विश्वविद्यालय में पहुँचे। विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीराधाकृष्णन् की आज्ञा प्राप्त करके लेखक के निवास स्थान पर पुलिस का दल उपस्थित हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय के समस्त जागरुक विद्यार्थियों को लेखक की गिरफ्तारी का समाचार प्राप्त हुआ। और तीस मिनटके भीतर ५ हजार विद्यार्थियों का दल गांधी चबूतरे पर इकत्रित हो गया। श्री हीरावल्लभ शास्त्री के सभापतित्व में सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकर्ता श्री तेजप्रताप सिंह, श्री शिवभूषण पाण्डेय और श्री रामप्यारे मिश्र के भाषण के बाद लेखक ने काशीराज्य में पीटरशाही के कुकृत्यों पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों द्वारा बन्दी-गृह-बिदाई-अभिनन्दन के बाद लेखक ने

विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय में शान्ति बनाये रखने की प्रार्थना किया।

सशस्त्र पुलिस दलने (बनारस जिलाधीश की आज्ञा से लेखक को) बनारस जिला जेल में पहुँचा दिया। हिन्दू विश्वविद्यालय

हिन्दू विश्वविद्यालय में इतिहास-लेखक की गिरफ्तारी

का विद्यार्थी होने के कारण, लेखक की गिरफ्तारी से विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री पं० मदनमोहन मालवीय जी को तथा लेखक के पूज्य गुरु श्री पं० रामव्यास पाण्डेय शास्त्री को विशेष हर्ष हुआ। गिरफ्तारी के विरोध में विश्वविद्यालय में उस दिन हड़ताल कर दी गयी।

विचित्र 'नजरबन्दी' विधान

चकिया के प्रमुख कांग्रेसजनों की पृथक पृथक गिरफ्तारी करके राज्य कर्मचारीगण अपनी कुटिल नीति का परिचय देने लगे और अपनी नीति को सफल समझने लगे। चकिया के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता श्री मुन्नजी पाण्डेय वकील के क्रिया कलापों से पुलिस को अधिक चिन्ता होने लगी। राज्य के पुलिस को श्री मुन्नजी पाण्डेय के कांग्रेस सम्बन्धी कार्यों से चिढ़ होने लगी। ८ मार्च को शासन परिषद की आज्ञा से भारत रक्षा विधान की १२९ धारा के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ज्ञानपुर जेल में भेज दिया गया।

भारतव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह

काशी-राज्य कांग्रेसजनों को राज्य की कार्यवाहियों और दमनात्मक प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय प्राप्त हो गया। चकिया के उपरोक्त कायकर्ताओं की गिरफ्तारी से चकिया के सर्वसाधारण में महान क्षोभ होने लगा। महात्मा गान्धी के आज्ञानुसार भारत के कोने कोने में व्यक्तिगत सत्याग्रह सचारित था। देश के प्रमुख नेतागण भारत रक्षा विधान के बन्धन में जकड़े जाने लगे। प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों के छिन्न भिन्न होने के कारण बृटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति का प्रचण्डरूप व्याप्त हो गया था। संयुक्त प्रान्त के सभी प्रमुख नेता जेल में बन्द थे, ऐसे कुसमय में काशीराज्य के कांग्रेसजनों में विद्रोही भावना संचारित हो गयी। पीटरशाही के विरुद्ध नागरिकता और मानवता की रक्षा के लिये कांग्रेस-जन कटिबद्ध होने लगे।

यूरोपीय महायुद्ध

उस समय हर हिटलर तथा उसके नाजीवाद के कुचक्र में अधि-

कतर यूरोपीय प्रदेश ध्वस्त हो रहा था, भयानक नरसंहार की लीला प्रारम्भ थी। बृटिश सरकार को भी उस कुचक्र में फँसना पड़ा। पराधीन भारत को हठात् बृटिश सरकार ने युद्ध में लिप्त कर दिया। भारतीय सेनाओं के दुरुपयोग के अतिरिक्त, भारतीय नेताओं के ऊपर भी बृटिश सरकार ने अपनी दमनात्मक शक्ति का प्रहार किया। अतएव भारतीय देशी नरेश भी बृटिश सरकार का पिट्ठू बनकर उसे सहयोग देने में और प्रजाजनों के दमन में सहयोगी बन गये। ऐसे समय में काशी-राज्य कांग्रेसजनों के सम्मुख विचित्र समस्या उपस्थित हो गयी। कांग्रेस के सम्मान और संगठन की रक्षा का असाधारण प्रश्न उपस्थित हो गया था।

अष्टम अध्याय

व्यक्तिगत सत्याग्रह संग्राम

राजा-प्रजा के प्रेम में जो "मर्यादा रक्षण" का भाव प्रतिपादित किया जाता है, वह प्रेम अब केवल थोथी गाथा ही सिद्ध होने लगाहै। प्रजा यदि पुत्र है, तो राजा पिता है, पिता-पुत्र में संघर्षात्मक भाव का उदय होना अहितकर ही होता है। किन्तु राजा अपने को शासक और प्रजा को शासित समझ अन्याय एवं अत्याचार करने पर उतारू हो जायें तो वर्तमान युग की प्रजा कभी भी सहने को तैयार नहीं हो सकती। वर्तमान युग प्रजा-तंत्रात्मक शासन के लिये ही उपयुक्त है। राजा अपने को ईश्वर समझ प्रजा को अपना अनुयायी नहीं बना सकता है। राजा सर्वदा प्रजा का ही होकर के रहे यही शास्त्र-सम्मति है। और इसी में राजा-प्रजा दोनों का कल्याण है।

महाराज आदित्यनारायणसिंह जीने लोक कल्याण की दृष्टि से विचार करके, अपने प्रथम घोषणा पत्र में "राजा-प्रजा" के विषय में अपना भाव प्रतिपादित किया था। उनके स्वर्गारोहण के बाद काशी राज्य की शासन-परिषद ने प्रजाहित की भावना को तिलांजलि दे दिया। फलस्वरूप राज्य कांग्रेसजनों और परिषद के बीच में जो समझौता हुआ था, वह परिषद की ओर से ठुकरा दिया गया। राज्य के प्रमुख लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये। प्रजाके हितों पर कुठाराघात किया गया। अतः काशीराज्य कांग्रेस को अपने मान-सम्मान की रक्षार्थ युद्ध में

उतरना पड़ा। यदि कांग्रेस सत्याग्रह शस्त्र को न अपनाती तो उसके अस्तित्व पर भी आघात होता, अतएव राज्य कांग्रेस जनों को पुनः सत्याग्रह करना पड़ा।

काशीराज्य कांग्रेस सत्याग्रह-समिति

काशीराज्य कांग्रेस के प्रमुखजनों ने हरेक परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करके २३ मार्च सन् १६४० ई० को एक आवश्यक बैठक किया और कमेटी के विधानों को तोड़कर, कार्य संचालन का भार श्री दयाशंकर दूबे को समर्पित कर दिया। सम्पूर्ण राज्य में कांग्रेस सत्याग्रह संचालनार्थ विचार हुआ, श्री राम अनन्त त्रिपाठी को चकिया और श्री चुन्नीलाल श्रीवास्तव को भदोही जिले का संचालक बना दिया गया।

परिषद अध्यक्ष को "अन्तिमेत्थम्"

श्री दयाशंकर दूबे ने काशीराज्य कांग्रेस के संगठन और संचालन का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लिया और उन्होंने उचित समझा कि विरोधात्मक कार्यवाही करने के पूर्व यह समुचित होगा कि एक बार 'परिषद' के अध्यक्ष पीटर का ध्यान प्रजा के कष्टों की ओर आकर्षित किया जाय। श्री दयाशंकर दूबेजी ने परिषद के अध्यक्ष के पास एक पत्र २३ अप्रैल को भेजा। पत्र की भाषा बहुत ही उपयुक्त थी। तथा पत्र के भाव बहुत ही सरल थे। पत्र की भाषा और भावों पर विचार करना परिषद को हरेक दृष्टि से आवश्यक था किन्तु परिषद के अध्यक्ष महोदय ने २८ अप्रैल को पत्र का उत्तर संचालक के पास भेज दिया। परिषद के अध्यक्ष के यहाँ से कांग्रेस संचालक के पास जो उत्तर आया था उसकी भाषा और भाव दोनों उच्छृङ्खलतायुक्त

थे। पत्र में कांग्रेस का अस्तित्व ही मिटाने का प्रयत्न किया गया था। परिषद अध्यक्ष ने रस्सी के भेद से सांप पकड़ लिया और अपमानजनक उत्तर कांग्रेस सञ्चालक के पास भेज दिया। अतएव कांग्रेस को बाध्य होकर व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारम्भ करना पड़ा।

सत्याग्रह प्रारम्भ

शासन परिषद के उत्तर को पाकर कांग्रेसजनों को संचालक की आज्ञा मान, राज्यके प्रत्येक जिलाधीशों को सत्याग्रह की सूचना देना पड़ा। रामनगर राजधानी में ९ मई को श्री वलदेव त्रिपाठी सत्याग्रह करने को नियुक्त किये गये। चकिया से सत्याग्रह के लिये श्रीसहिजादसिंह और मुहम्मदनूर खाँने जिला धीश को सूचित करा दिया। श्री चुन्नीलाल श्रीवास्तव भदोही में सत्याग्रह के लिए नियुक्त किये गये थे। १० मई को सभी स्थानों में सत्याग्रह की आहुति प्रारम्भ हो गयी। श्री रामशरण सिंह, श्री टेंगर सिंह राजधानी रामनगर में सत्याग्रह किये, किन्तु सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी न की गई। राज्य परिषद की नीति से प्रजाजनों को महान् आश्चर्य हुआ।

सत्याग्रहियों को गिरफ्तार न करने की नीति जो स्थिर हुई थी, वह अधिकारियों की निजी सूझ न थी। सम्पूर्ण भारत में उस समय महात्मा गान्धी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, जिसमें बृटिश सरकार द्वारा केवल प्रधान नेता ही गिरफ्तार हो रहे थे। कांग्रेस के साधारण जन सत्याग्रह करने पर भी गिरफ्तार नहीं किये जाते रहे। काशीराज्य शासन परिषद के अध्यक्ष ने भी उसी नीति को पुनरुक्ति किया।

काशी राज्य कांग्रेस के सत्याग्रहियों की सत्याग्रह सम्बन्धी

वही नीति थी, जो बृटिश राज्य में कांग्रेस सत्याग्रहियों की थी। किन्तु अन्तर केवल इतना ही था कि काशी राज्य कांग्रेस के प्रस्तावानुसार, शासनपरिषद में अविश्वास एवं राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करना सत्याग्रह का विशेष लक्ष्य था। राज्य-परिषद को तथोक्त प्रकार के सत्याग्रह से कुछ हानि न जान पड़ी। अस्तु सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी उनके विचार से अनावश्यक हो गयी।

ज्ञानपुर जेल में दुर्व्यवहार

३० मार्च को कुँवर कृष्णानन्द (जिलाधीश चकिया) के न्यायालय में "इतिहास लेखक" के ऊपर लगाये गये अभियोग का निर्णय सुनाया गया। लेखक के ऊपर शासन परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रचार करने का अभियोग लगाया गया था। लेखक की ओर स चकिया के वकील सर्व श्री वासुदेव त्रिपाठी, सहदेव सिंह, रामकृष्ण वर्मा, संकठाप्रसाद विना पारिश्रमिक लिये अभियोग अप्रमाणित करने का पयत्न करना चाहते थे। किन्तु लेखक ने अभियोग स्वीकार कर लिया और न्यायालय की ओर से लेखक को छः मास कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। इस प्रकार ज्ञानपुर जेल में कुल तीन राजनीतिक बन्दी हो गये। तथोक्त राजबन्दियों को जेल में भोजन एवं वस्त्रादिक की जो व्यवस्था की गई थी, वह असन्तोषजनक और अपमान-सूचक थी। श्री दयाशंकर दूबे तथा श्री बेचनराम गुप्त ने समाचार पत्रों में काशी राज्य के तथोक्त वन्दियों के प्रति किये गये दुर्व्यवहार को सुधारने के लिये अनुरोध किया। फलस्वरूप पीटरशाही शासन के लिये असह्य बात हो गई। तथोक्त

दोनों व्यक्ति, पीटरशाही शासन की आँख में खटकने लगे। और इन्हें जेल में बन्द करने का उपक्रम किया जाने लगा।

दमन की भूमिका

व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तारी न करके राज्य सरकार ने कांग्रेस जनों को धोखा देने का प्रयास किया। राज्य के प्रमुखजनों को जेल में बन्द कर देना पीटरशाही की वांछित मनसा थी। श्री राम अनन्त त्रिपाठी २६ अप्रैल को भारत-रक्षा विधान के अन्दर गिरफ्तार कर लिये गये और त्रिपाठी जी को १ वर्ष का कठिन कारावास का दण्ड और तीस रुपया जुर्माना कर दिया गया।

श्रीरामअनन्त त्रिपाठी और दो सहयोगी

तथोक्त घटना से राज्य को कुटिल नीति का पता चल गया और चकिया के कांग्रेस जनों ने भदोही के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता श्री गयाप्रसाद सिंह, श्री चुन्नी लाल उपाध्याय, श्री लालबहादुर सिंह आदि के सहयोग से चकिया में ही आन्दोलन संचालन के लिये नूतन पद्धति को अपनाने का निश्चय किया। उस समय चकिया में 'वन्दोवस्त' हो रहा था, गत वन्दोवस्त द्वारा राज्य की प्रजा को महान हानि उठानी पड़ी थी। गत राज्य के वन्दोवस्तों में प्रजा को आर्थिक और नैतिक घाटा उठाना पड़ा था।

बन्दोवस्त वहिष्कार

काशी राज्य कांग्रेस की सत्ता को पीटरशाही ने अस्वीकार कर दिया था। अवसरवादी पीटर ने चकिया सत्याग्रह संग्राम के समय प्रान्तीय कांग्रेसी सरकार की शरण में जाकर के समझौता का प्रयास किया था और कांग्रेस मन्त्रिमण्डल हटजाने पर बृटिश राज्य के वलपर कांग्रेस की सत्ता और जन प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर देना पीटर के अवसरवादिता एवं नीचता का प्रमाण मिला।

स्वर्गीय महाराज आदित्यनारायण सिंह जी ने राज्य कांग्रेस के महत्व को स्वीकार करके उत्तरदायी शासन की घोषणा, २६ दिसम्बर १९३८ ई० को कर दिया था और सिनहा विधान समिति में ५० प्रतिशत कांग्रेसजनों को विधान में सहयोग देने को नियुक्त किया था। पीटर के कुविचारों से खिन्न और तंग होकर प्रजा जनों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करना पड़ा। बन्दोवस्त में प्रजा के भलाई की तनिक भी सम्भावना न समझ कांग्रेस को बन्दोबस्त विरोध करना पड़ा।

बन्दोबस्त विरोध का कारण

सन् १९४० ई० के पहले चकिया में ४ बन्दोवस्त हो चुके थे। प्रथम दो बन्दोबस्तों में राज्य द्वारा केवल भूमि नाप, क्षेत्रफल, जमीन का नकशा वनाना, आदि कार्यों से तथोक्त दो बन्दोबस्तों की कार्यवाही उपयुक्त मानी गयी। तीसरा बन्दोवस्त सन् १८८७ ई० में हुआ। उस बन्दोवस्त में राज्य द्वारा 'शरहमुवैयन''दखीलकार' आदि अधिकार किसानों को प्रदान किया गया। नदी, नाला, ताल, बांध, चरागाह, कब्रिस्तान, आदि

सार्वजनिक दृष्टि से निःशुल्क रखकर वह राज्य की सम्पत्ति घोषित की गयी। बाग, पोखरा आदि का अधिकार किसानों को दिया गया। सिंचाई के साधनों को बनवाने और खर्च लगवाने का भार सरकार के ऊपर ही रहा। चौथा बन्दोबस्त सन् १९१३ ई० में हुआ। उसमें 'गैरदखिलकार' और भावली खेतों पर बिना किसी आधार के लगान में एक लाख रुपये की वृद्धि की गयी। और कुछ पेड़ों पर 'पेड़ी' नामक कर लगा दिया गया। सिंचाई के लिये राज्य की ओर से निःशुल्क पानी देने का विचार करके सिंचाई के पुराने साधनों के ऊपर सरकारी अधिकार कर लिया गया। सम्पूर्ण चारागाह, और सार्वजनिक स्थान बन्दोबस्त करा दिये गये। अतएव कांग्रेस जनों को बन्दोबस्त बहिष्कार करना पड़ा।

व्यापक गिरफ्तारी

चकिया में कांग्रेस की ओर से बन्दोबस्त के विरोध में भाषण और प्रचार होने लगा। सत्याग्रही बन्दोबस्त के विरोध में "नारा" भी लगाने लगे। फलस्वरूप राज्य की ओर से व्यापक गिरफ्तारी प्रारम्भ कर दी गयी। श्री रामजियावन सिंह २२ मई को ही गिरफ्तार कर लिये गये। और ६ माह की कड़ी कैद और एक हजार रुपया जुर्माना उनपर किया गया। इतना अधिक जुर्माना करके, सर्वप्रथम कांग्रेस के जनों की परीक्षा ली गई थी, किन्तु श्रीरामजियावन सिंह पथ से विचलित न हुये। उसी दिन श्री दयाशंकर दूबे भी गिरफ्तार कर लिये गये, किन्तु दूबे जी के गिरफ्तारी में पीटरशाही का 'द्राविड़ प्राणायाम' हुआ था।

श्री सूबेदार सिंह

बन्दोवस्त वहिष्कार का रूप बढ़ता गया और जून के प्रथम सप्ताह में श्री सूबेदार सिंह, श्री रामशकल विश्वकर्मा, श्री मुसई पाण्डेय, श्री मुराहू सिंह, श्री नृसिंह प्रसाद सिंह गिरफ्तार किये गये, प्रत्येक को २, २ माह की सजा ५०, ५० रुपया जुर्माना किया गया। श्री रामप्यारे सिंह को दो दिन बाद छोड़ दिया गया।

भदोही कांग्रेस का सहयोग

चकिया जिला के बन्दोबस्त वहिष्कार में व्यापक गिरफ्तारी और दमन प्रारम्भ हो गया। चकिया जिला के बन्दोबस्त बहिष्कार आन्दोलन में सहयोग करने के लिये, भदोही के उत्साही कार्यकर्ता सर्वश्री गया प्रसाद सिंह, श्री चुन्नीलाल उपाध्याय, श्री लालबहादुर सिंह चकिया पहुँच गये। चकिया जिलाधीश ने धारा १४४ लगाकर तीन मील के भीतर सभा की मनाही कर दी। विठवल की सभा में श्री रामनारायण टंडन गिरफ्तार कर लिये गये। श्री गौरीशंकर त्रिपाठी, श्री गया प्रसाद सिंह, श्री लालबहादुर सिंह भी चकिया में गिरफ्तार कर लिये गये। रामनगर के द्वितीय संचालक श्री भगवती प्रसाद अष्ठाना भी चकिया में गिरफ्तार हुये किन्तु बाद में श्री रामनारायण टंडन के साथ छोड़ दिये गये।

९ जून को चकिया जिले भर में व्यापक गिरफ्तारी हुयी थी। सर्व श्री गुप्तेश्वर पाठक, श्री चुन्नीलाल उपाध्याय, रामभरत सिंह, बच्चन सिंह, वासुदेव सिंह, शिवबदन पाण्डेय, गिरफ्तार कर लिये गये। तथोक्त कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी से चकिया में बन्दोबस्त बहिष्कार की व्यापकता बढ़ने लगी। गिरफ्तार व्यक्तियों के ऊपर पुलिस लाठी प्रहार भी करने लगी। भदोही कांग्रेस के सहयोग से चकिया में बन्दोबस्त बहिष्कार आन्दोलन की व्यापकता बढ़ गयी।

श्री गुप्तेश्वर पाठक

आन्दोलन की व्यापकता

चकिया जिला में ११ जून को बन्दोबस्त का विरोध विशेष प्रकार से किया गया। जिन गावों में बन्दोबस्त कर्मचारी जाते रहे, वहां वहां उनका सामाजिक बहिष्कार भी होने लगा। उपरोक्त गिरफ्तार व्यक्तियों की सजायें, भिन्न भिन्न प्रकार से की गयीं। सर्वश्री रामसुभग सिंह, रामजीत सिंह, घूरन सिंह, ईश्वरी प्रसाद, रामदेव सिंह, हरीराम साहु, रामनाथ सिंह, रामधन सिंह, रामशरण सिंह गिरफ्तार कर लिये गये। तथोक्त व्यक्तियों को चकिया जिला धीशमहोदय ने न्यून

कारावास दंड और अधिकाधिक जुर्माना की सजा देकर ज्ञानपुर जेल में भेजवा दिया।

बनारस जिला कांग्रेस का सहयोग

१५ जून को बबुरी में जिला चकिया और बनारस जिला के किसानों की विराट सभा हुई। बबुरी की सभा में, बनारस जिला की कांग्रेस से, चकिया कांग्रेस के सत्याग्रह में सहयोग के लिये अनुरोध किया गया। श्री संतशरण मेहरोत्रा, श्री राजबिहारी सिंह ने चकिया में होनेवाले बन्दोवस्त बहिष्कार आन्दोलन का समर्थन किया। बाद में श्री नूर खाँ के सभापतित्व में चकिया के किसानों की सभा की गयी। जिसमें चकिया के बन्दोवस्त आन्दोलन के समर्थन, और आवश्यकता से सम्बन्धित* दो प्रस्ताव पास हुये।

---

* १—'यह सभा चकिया के बन्दोबस्त की इसलिए निंदा करता है कि आजतक उसके उद्देश्य और लक्ष्य की घोषणा राज्य की सरकार ने नहीं की और उसकी कार्यवाहियां गुप्त रखी गयीं। इन कार्यवाहियों से चकिया की जनता को भ्रम में पड़कर उसका विरोध करना उचित है। सन् १८८७ ई० के बन्दावस्त से प्राप्त अधिकार सन् १९१३ ई० के बन्दोबस्त में छीन लिये गये और करीब १ लाख रुपया समूचे चकियापर कर वृद्धि किया गया। वही बात इस बन्दोबस्त से भी होने आशंका है।"

२—"यह सभा उचित समझती है कि स्वर्गीय महाराज ने चकिया के किसानों को सन् १९१३ ई० के बन्दोबस्त में निर्धारित लगान में छ आना प्रतिरुपया जो करीब ६६हजार के होता है इस बन्दोबस्त में छोड़ने का वचन दिया था उसे राज्य की सरकार छोड़ दे। साथ ही साथ ताल, बांध, नदी, नाला और गोचर आदि सार्वजनिक क्षेत्र जो सन् १९१३ ई० के बन्दोबस्त में बन्दोबस्त करवाये गये थे, इस बन्दोबस्त में

चकिया वन्दोबस्त बहिष्कार में भाग लेने के लिये चकिया जिला के कोने कोने से नवयुवक आकर के वन्दोवस्त कर्मचारियों के समक्ष, बन्दोबस्त का विरोध करने लगे। १८ जून के चकिया के उत्साही कार्यकर्ता श्री कैलाशनाथ सिंह और श्री जगरामसिंह, श्री यदुनन्दनसिंह गिरफ्तार कर लिये गये। श्री कैलाश सिंह को २ माह की सजा और दो सौ रुपये जुर्माना हुआ।

२२ जून को चकिया जिले भर में व्यापक गिरफ्तारी की गयी, सर्व श्री मारकण्डेय त्रिपाठी, यदुनन्दनसिंह, भगेलू विश्वकर्मा देवनारायण चौहान, छविनाथ सिंह, जगदेव विश्वकर्मा, पं० भूरी त्रिपाठी, मेवापाठक, दूधनाथसिंह, शेखमुहम्मद उमर, गिरफ्तार कर लिये गये और भारत रक्षा विधान के ३४।३८ धारा के अनुसार सब की सजा की गयी। तथोक्त व्यक्तियों में श्री मारकण्डेय त्रिपाठी के ऊपर दो अभियोग था अतः उन्हें, सब साढ़ेचार मास की सजा और सौ रुपया जुर्माना किया गया था।

वे सार्वजनिक घोषित किये जायं। नहर रेट, जिसके न लेने का वादा सन् १९१३ ई० के बन्दोबस्त में किया गया था और जिसके लिए सन् १९२१ से ही बराबर आन्दोलन होता आ रहा है, राज्य की सरकार महाराज के फैसले के अनुसार १) फी बीघा ले। उसकी लागत के सूद और खर्चे का विचार छोड़ दे क्योंकि नहर बनने से राज्य की सरकार को ५० हजार रुपया सालाना प्रबन्ध खर्च, समय समय पर अकाल पड़ने पर माफ किया गया। लगान और बहुत सी परती जमीन के काश्त कराने से प्राप्त आमदनी इन सब रकमों को जोड़ने पर सरकार की बहुत बचत हुई है।"

२३ जून को चकिया जिला में वन्दोबस्त बहिष्कार की व्यापकता ने उग्रतर रूप धारण कर लिया। वन्दोवस्त कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार बढ़ता गया। उन्हें भोजन और जल भी गावों में दुष्प्राप्य हो गया। अतएव उनकी सहायता के लिये। पुलिस की संख्या वढ़ा दी गयी और सत्याग्रहियों की अनिवार्य गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। २३ जून को चकिया के प्रमुख मुसलिम कार्यकर्ता मुहम्मद नूर खां, सर्व श्री गया पाण्डेय, परशुराम चौबे, रामदेवसिंह, कुँवर विश्वकर्मा, वली राम पाड़े (रोहाखीं) वलीराम सिंह (भूसी) गौरीशंकर मिश्र आदि व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये। पहले के गिरफ्तार व्यक्तियों को भारत रक्षा विधान ३४।३८ में भिन्न-भिन्न प्रकार की सजायें कर दी गयीं।

२४ जून को चकिया जिला के पुराने कार्यकर्ता श्री कालिका सिंह, टीमलसिंह, रघुनाथ पाण्डेय, जगमोहन चौहान, गुप्तनाथ सिंह (बरौझीं) जयराम चौबे, लक्ष्मीशंकर, लालजी गिरफ्तार किये गये, इन लोगों पर भारत रक्षा विधान, ३४।३८ का जुर्म था और इन्हें भी अधिकाधिक जुर्माना की सजा की गयी। राज्य सरकार ने अपनी नीति से अधिक सजा करना उचित न समझा। अधिकाधिक जुर्माना करके सत्याग्रहियों को आर्थिक दण्ड से कर्तव्य विमुख करने की

श्री कालिका सिंह

की नीति बरती गयी। किन्तु चकिया के त्यागी वीर सत्याग्रही कर्तव्य विमुख न हुये। श्री गुप्तनाथ सिंह पर दो अभियोग था। उनको सवाचार माह की सजा और सौ रुपया जुर्माना किया गया। २५ जून को श्री शिवकरण सिंह गिरफ्तार करके छोड़ दिये गये थे।

२६ जून को चकिया के प्रमुख कार्यकर्ता श्री सत्यनारायण पाण्डेय गिरफ्तार कर लिये। और दो सौ रुपये जुर्माने में इनके घर की अधिकाधिक सम्पत्ति कुर्क की गयी। श्री बलदेव त्रिपाठी भी गिरफ्तार किये गये, परन्तु बाद में छोड़ दिये गये।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय

३० जून की, व्यापक गिरफ्तारी में सर्व श्री दुर्गा दूबे, प्रहलादसिंह, विश्वनाथ सिंह, दुक्खी सिंह, बद्री सिंह को भारत रक्षा विधान के अनुसार दंड दिया गया था।

बन्दोबस्त विषयक कांग्रेस की मांग।

३० जून तक बन्दोबस्त के विरोध में कांग्रेस के ७५ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे। कांग्रेस की महान शक्ति को देखकर चकिया जिलाधीश ने यह प्रयत्न किया कि "कांग्रेस और परिषद में पुनः समझौता हो जाय और कांग्रेस बन्दोबस्त का विरोध करना छोड़ दे, कांग्रेस के बन्दी छोड़ दिये जायं"। किन्तु शासन परिषद को, कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित बन्दोबस्त

विषयक* आठ मांग स्वीकार करना उचित न जान पड़ा। चकिया के जिलाधीश को अपने प्रयत्न में सफलता न मिल सकी।

१—पिछले बन्दोबस्त के करीब १ लाख के करवृद्धि में से छ आना रुपया की दर से जो करीब ६६ हजार होता है (और जिसे छोड़ने का वादा स्वर्गीय महाराज ने इस बन्दोबस्त में किया है) उसकी घोषणा।

२—नदी, नाला, ताल, बांध, गोचर, जंगलात, कब्रिस्तान, सड़क और रास्ते जिसे पिछले बन्दोबस्त में नष्ट किया है उसे फिर से सार्वजनिक घोषित किया जाय।

३—पेड़ों पर कर, जो पहले कभी नहीं था, अब भी न लगे।

४—दखीलकार आराजी, शरहमुवैयन घोषित की जावे।

५—जब महाराजा सन् १९११ ई० में हमें जमींदार बनाने के आश्वासन दे करके, हमारे समर्थन से स्वाधीन हुए, उसके पुरस्कार में हमारी ठीकेदारियां जो जमींदारी का हक रखती थीं, छीनीं गयीं। अतएव इस बन्दोबस्त में प्रजा को काश्तकार की जगह जमींदार घोषित कर दिया जावे।

६—जमा बन्दी में मालिक के स्थान में महाराज की जगह प्रजा का नाम लिखा जावे क्योंकि अब महाराजा जमींदार नहीं हैं और इस अधिकार से जो कर लेते हैं वह प्रजा को छोड़ा जाय।

७—गौदारों से चरहा और घी की पत्ती के नाम जो कर लिया जाता है वह माफ किया जाय।

८—नहर रेट-निर्धारण में इस बात का विचार छोड़ा जाय कि लागत का सूद, वार्षिक मरम्मत, नौकराना खर्च प्रजा से सालाना करके रूप में वसूल होना चाहिये, क्योंकि नहर बन जाने से सरकार का ५० हजार सालाना (ताल, बांध आदि का प्रबन्ध) व्यय बच जाता है, समय समय पर अकाल पड़ने पर कई लाख धर्मार्थ तकाबी वार्षिक लगान माफी आदि रकमों से [जो नहर बनने के पूर्व राज्य का खर्च

बनारस जिला द्वारा सक्रिय सहयोग

चकिया में सत्याग्रह की कार्यवाही दिनोंदिन बढ़ती गयी। गिरफ्तार सत्याग्रहियों के साथ पुलिस थाने में, अपमान जनक व्यवहार करती रही, मार पीट करना पुलिस का दैनिक कृत्य था, सत्याग्रही अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते रहे। ५ जुलाई को श्री गुनराज सिंह गिरफ्तार कर लिये गये ४ मास को सजा करके इन्हें भी ज्ञानपुर जेल भेज दिया गया। १५ जुलाई को श्री बनवारी सिंह और श्री रामप्यारे सिंह श्री श्यामविहारी सिंह, ३४।३८ धारा के अनुसार गिरफ्तार किये गये, श्र बनवारी सिंह २ मास की कड़ी कैद सौ रुपया जुर्माना हुआ श्री रामप्यारे सिंह तथा श्री श्यामविहारी सिंह को ३ माह की कड़ी कैद तोन सौ रुपये जुर्माने की सजा की गयी। श्री सुन्दर सिंह और श्री रामनाथ प्रसाद भी उसी दिन राज्य द्वारा दंडित किये गये थे।

बनारस जिला के ५ सहयोगी बनारस जिला कांग्रेस की आज्ञा से चकिया सत्याग्रह में सहयोग देने के लिये पहुँचे और श्री गोकुल शर्मा (सैयदराजा). श्री भगवती सिंह (दिघवट) श्री लोकनाथ सिंह (दिघवट) श्री भगवान सिंह (बरंगा) श्रीराम यतन राम (बरंगा) २२ जुलाई को चकिया जिला में सत्याग्रह करने पर गिरफ्तार कर लिये गये। राज्य की ओर भारत रक्षा द्वारा दंडित किये गये।

होता था] राज्य को बच जाता है और कई हजार बीघा बंजर जमीन, जो खेती करनेयाग्य बनी, उसका कर मिलाकर राज्य मुनाफे में है। इन कारणों से नहर रेट देना उचित नहीं। फिर भी उचित वेतन व्यय देने को प्रजा तैयार है।

बनारस जिला के सत्याग्रहियों के सहयोग से चकिया के बन्दोवस्त विरोधका सत्याग्रह में नव जीवन आ गया था।

पुलिस के कुकृत्य

चकिया के थानेदार सरदार झलमल सिंह अपने कुकृत्यों द्वारा चकिया में ही नहीं भदोही में भी कुख्यात थे। उन्होंने चकिया के सत्याग्रह को दमन करने का बीमा ले रखा था। सत्याग्रही थाने के नृसंश पुलिस के हाथों से कठिन शारीरिक कष्ट पाते रहे। पुलिस सत्याग्रहियों के साथ अमानुषिक व्यवहार करने में तनिक भी नहीं हिचकती रही। तथोक्त प्रकार के कुकृत्यों के अतिरिक्त ऐसे भी कार्य हुये जिन्हें उद्धृत करना उचित नहीं समझा गया। फिर भी सत्याग्रही अपने पथ से नहीं डिगे। सत्याग्रह का स्वरूप बढ़ता ही गया।

सत्याग्रह का संचालन

वन्दोबस्त विरोधी सत्याग्रह संचालन के लिये, चकिया प्रमुख कांग्रेस जनों का एक दल संगठित रूप से सत्याग्रह संचालन का ही कार्य करता रहा। सर्व श्री रामनन्दन सिंह, श्री सरयूप्रसाद साहु, श्री राम सूरत सिंह श्री नारायण सिंह श्री मेघ नारायण पाण्डेय, श्रीराम लगन मिश्र, श्री गौरीशंकर त्रिपाठी, श्री छांगुर सिंह आदि सज्जन कांग्रेस के सत्याग्रह संचालन में अथक परिश्रम करते रहे। दिन, दिन भर भूखा रखना, १५,२०, मील तक पैदल चलना, रात्रि में जंगली मार्गों से पैदल यात्रा करना इनका दैनिक कृत्य था। और इस प्रकार वे संचालक सत्याग्रह का संचालन करते रहे, फल स्वरूप सत्याग्रह का रूप बढ़ता ही गया।

जेल में भी आन्दोलन

सत्याग्रह का व्यापक रूप हो जाने पर ज्ञानपुर जेल में राजनीतिक बन्दियों की बाढ़ आ गयी थी। ज्ञानपुर जेल के जेलर राजनीतिक बन्दियों की संख्या को बढ़ते देख घबराने लगे थे। एक दिन राजनीतिक बन्दियों को जेलर ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग (इतिहास लेखक के सम्मुख) किया। लेखक के सक्रिय विरोध पर ज्ञानपुर जेल में लेखक सहित अन्य बन्दी श्री सुबेदार सिंह श्रीराम जियावन सिंह रामशकल विश्वकर्मा पर जेल-नियम-भंग का अभियोग लगाया गया, जिसमें "लेखक" को १ माह के लिये "तनहाई" एव अन्य तीन व्यक्तियों को एक एक सप्ताह के लिये बेड़ी की सजा दी गयी थी। तथोक्त घटना के विरुद्ध राजनीतिक बन्दियों को अनशन करना पड़ा ४ दिन अनशन के बाद श्री मुन्ननजी पाण्डेय के समझाने पर अनशन भंग कर दिया गया। किन्तु अनशन से जेल के भोजन की व्यवस्था में सुधार कर दिया गया था।

२८ जुलाई को बनारस जिला के ४ सत्याग्रही सर्व श्री जिउतराम, यदूदूराम, बसन्तू राम, तेजूराम गिरफ्तार किये गये। और भारत रक्षा विधान के अनुसार दंडित किये गये।

३ अगस्त को भदोही जिला के श्री जगत नारायण शुक्ल और श्री भुवनेश्वर चौबे, चकिया में भारत रक्षा विधान के अन्दर गिरफ्तार किये गये। इन्हें तीन तीन माह की कड़ी कैद, पचास २ रुपया जुर्माना की सजा दी गयी थी। श्री उमरावसिंह गिरफ्तार करके छोड़ दिये गये। श्री विक्रमाजित

(बनारस) को छ माह की कड़ी कैद की सजा, चकिया जिलाधीश ने किया। एक ही अपराध में, श्री बासुदेव पाठक श्री बलीराम सिंह को ४ मास की कड़ी कैद की सजा (१४ अगस्त को, सुनायी गयी। श्री बद्रीप्रसाद सिंह श्री बेचनराम हरजिन को राज्य की ओर से ६ मास की कड़ी कैद की सजा हुयी। श्री सोन्हू पाण्डेय को ४ मास कड़ी कैद औ डेढ़ सौ जुर्माना हुआ था। श्री सुदामा मिश्र को ६ माह का कठिन कारावास दिया गया। श्रीगुप्तनाथ (पिपरियां) गिरफ्तार करके छोड़ दिये।

श्री बद्रीप्रसाद सिंह

अगस्त मास में चन्दौली तहसील के छ व्यक्ति सर्व श्री रामयश पंडित, लक्खूराम रामानन्द, जगरूप राम, सुक्खूराम गिरफ्तार कर लिये गये। और प्रत्येक को चकिया जिलाधीश ने छ, छ माह कठिन कारावास का दंड दिया।

पीटरशाही का नैतिक पतन

चकिया बन्दोबस्त विरोधी सत्याग्रह में अगस्त मास के अन्त तक सौ से ऊपर व्यक्ति चकिया में सत्याग्रह किये, जिसमें, चकिया, भदोही, बनारस जिला के संयुक्त सत्याग्रहियों ने सक्रिय भाग लिया था। चकिया के आन्दोलन की प्रगति

को बढ़ाने में, जिन लोगों का विशेष हाथ रहा, उन्हें गिरफ्तार करने के लिये पुलिस को, अधिक परिश्रम करना पड़ा। परन्तु वे संचालक पुलिस के हाथ से बाहर हो जाते रहे।

चकिया आन्दोलन से सहानुभूति रखने और जेल में राजनीतिक बन्दियों के प्रति गये किये दुर्व्यवहारर के विरोध में, समाचा पत्रों में, अनुरोध करने के कारण, भदोही के निवासी श्री वेचनराम गुप्त धारा ३४।३८ के अनुसार १३ अगस्त को चकिया में गिरफ्तार कर लिये गये और बाद में आर्थिक दंड देने पर छोड़े गये थे। दिनों दिन इन कार्यवाहियों से पीटरशाही का नैतिक पतन होने लगा।

श्रीवेचनराम गुप्त

करवन्दिया का घेरा

बन्दोवस्त विरोधी सत्याग्रह के संचालकों को गिरफ्तार करने के लिये, राज्य की पुलिस ने दो सितम्बर को, शाहाबाद, जिला के करवन्दिया गांव को घेर लिया। लगभग, पचासों चौकीदार और पुलिस के सिढ़ गुण्डे गांव के चारों ओर घेरा

श्री गयाप्रसाद सिंह

डाल कर रात्रि में १० बजे श्री गया प्रसाद यादव, श्री वंशीधर साहु को गिरफ्तार कर लिया। शाहाबाद जिला में प्रवेश कर राज्य के पुलिस को गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार न था, किन्तु पुलिस की वह धांधली थी। और इसी प्रकार श्री रामलगन मिश्र भी बनारस जिला में मोगलसराय, गिरफ्तार कर लिये गये गये थे। श्री रामलगन मिश्र को २ माह की कड़ी कैद, तथा अन्य दो व्यक्तियों को तीन, तीन माह का कारावास और ५०) रुपये जुर्माने की सजायें हुई थीं। इलिया गांव में सत्याग्रह करने पर, सर्व श्री सहिजाद सिंह, महँगू नाई, शिवधनी यादव, शिवकरण सिंह, देवन सिंह तथा बनारस जिला के सर्व श्री मारकण्डेय सिंह, किशोर सिंह, रामनिहोर सिंह, दुक्खी सिंह, एवं श्री सीताराम साहु (शाहाबाद) आदि व्यक्तियों की गिरफ्तारी ३ सितम्बर को व्यापक रूप से की गयी थी। सबको भारत रक्षा विधान के आधार पर दण्डित किया गया था।

१९ सितम्बर को भी चकिया जिला में व्यापक गिरफ्तारी की गयी थी, सर्व श्री सूर्यप्रसाद मिश्र, रामवदन त्रिपाठी, रामनन्दन यादव, रामकिशोर पाण्डेय, रामनरेश साहु, माधव सिंह आदि व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुयी और सभी को भारत रक्षा विधान के अनुसार दण्ड दिया गया। उपरोक्त व्यक्तियों

को छ, छ मास का कठोर कारावास हुआ था।

मासान्त तक सर्व श्री रामसुमेर सिंह, तथा वनारस जिला के वुधिराम सिंह व अक्षयवर सिंह गिरफ्तार करके वन्दोवस्त-विरोध के अपराध में राज्य द्वारा दण्डित किये गये। बरौझीं गांव के श्री शिवनाथ सिंह व कन्हैया साहु भी तथोक्त विधान के अनुसार दण्डित किये गये थे। अक्टूवर मास के प्रथम सप्ताह में सव श्री नन्दलाल सिंह, श्री व्रजनाथ सिंह, श्री शिवनाथ सिंह, श्री रूपचन्द सिंह गिरफ्तार कर लिये गये।

महात्मा गान्धी जी की सलाह

जिस समय चकिया में सत्याग्रह चल रहा था, उस समय भारत के अन्य प्रमुख देशी राज्यों में प्रजाजनों का दमन प्रारम्भ था। कितने ही प्रजा जन गोली के शिकार हो चुके थे। अतएव महात्मा गान्धी जी का ध्यान, देशी राज्य के प्रजाजनों की ओर हटात् आकर्षित हुआ। गान्धी जी ने (१ अक्टूवर को वम्वई नगर से) देशी राज्य प्रजाजनों को अत्याचार का विरोध करने के लिये हरेक सम्भव उपायों का प्रयोग करने की* सलाह दी थी।

---

* "रियासती प्रजाजनों को बड़ी धीरता और जिम्मेदारी के साथ रचनात्मक कार्य करना चाहिये। इसका यह मतलब नहीं कि लोग अत्याचारों और अपमानों को, जैसी कि मुझे खबरें मिल रही हैं, चुपचाप सह लें। ऐसी स्थिति में पीड़ितों को अत्याचारों का अपनी सारी शक्ति लगाकर मुकाबला करना चाहिये। मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका मेरी राय में अहिंसा ही है। मुझे कुछ वैयक्तिक अत्याचारों और अपमानों के भी समाचार मिले हैं। यदि वे सही हैं

पोलटिकल एजेन्ट की अदूरदर्शिता

काशी राज्य के पोलटिकल एजेन्ट महोदय बन्दोवस्त विरोधी सत्याग्रह के समाचार से आकर्षित होकर राज्य की स्थिति को देखने के लिये राज्य में आये थे, किन्तु प्रजाजनों की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उनसे भेंट न कर सका था। चकिया के पचास हजार से ऊपर किसानों का प्रार्थना पत्र बन्दोवस्त के विरोध में उनके पास भेजा गया किन्तु कुटिल पोलटिकल एजेन्ट महोदय राज्य के प्रजा की दयनीय दशा पर तथा अधिकारियों की दमन नीति पर कुछ भी विचार न कर सके थे। काशी के प्रमुख राष्ट्रीय पत्र 'आज' ने पोलटिकल एजेन्ट महोदय की कटु आलोचना किया था। उसी समय ज्ञानपुर जेल में राजनीतिक वन्दियों के ऊपर वर्बरतापूर्ण वर्ताव किया जा रहा था। श्री मुन्नानजी पाण्डेय मारकण्डेय त्रिपाठी, सात्विक सिंह, जगतनारायण शुक्ल सत्यनारायण शर्मा पर जेल नियम भंग करने के अभियोग में छ, छ माह का कठोर कारावास दण्ड दिया गया। वन्दियों के पानी मांगने पर पत्थर दिया गया था।

तो पीड़ित व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे अहिंसा में विश्वास न रहने पर हिंसा के मार्ग का आश्रय लेकर जुल्मों का सामना करने में अपने को मिटा दे। ऐसी हिंसा खूंख्वार बिल्ली के सम्मुख एक चूहे की रक्षात्मक हिंसा होगी। इसे अहिंसा ही कहा जायगा। मेरी आंखों में शस्त्रसज्ज दलों के बीच एक निहत्थे व्यक्ति का दृश्य उपस्थित है। जो जुल्मों का सामना करने और मर मिटने के लिये तैयार है, चाहे शारीरिक शक्ति में कितना ही कमजोर क्यों न हो, उसे कोई भी शक्ति नहीं मार सकती।"

फतहपुर में पुलिस का धावा

चकिया सत्याग्रह के संचालन के लिये बनारस जिला के ओर से फतहपुर गांव में संचालन केन्द्र स्थापित था। श्री राजकुमार ब्रह्मचारी, संचालक बनाये गये थे। २० नवम्बर को १२ बजे रात्रि में पुलिस का सशस्त्रदल (चकिया के संचालकों को गिरफ्तार करने के लिये) फतहपुर गांव पर धावा किया था। परन्तु कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के हाथ न लगा। १६ दिसम्बर को बन्दोवस्त के विरोध में द्वितीय बार सत्याग्रह करने पर श्री गया प्रसाद पाण्डेय और श्री गुप्तनाथ सिंह गिरफ्तार कर लिये गये। श्री गयाप्रसाद पाण्डेय को १ वर्ष की सजा और सौ रुपया जुर्माना तथा श्रीगुप्तनाथ सिंह को ९ माह की सजा और पचास रुपया जुर्माना किया गया था।

श्री पालीवाल जी का आश्वासन

चकिया में होनेवाले बन्दोवस्त विरोधी सत्याग्रह के पक्ष में संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने (उस समय एक लम्बा चौड़ा) वक्तव्य प्रकाशित कराया था। वक्तव्य में आपने चकिया बन्दोवस्त विरोधी सत्याग्रह के उद्भव, विकाश और व्यापकता पर पूर्ण प्रकाश डाला था। वक्तव्य में आपने स्पष्ट किया था "संयुक्त प्रान्त की जनता की ओर से मैं काशी राज्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बारबार बधाई देता हुआ, सच्चे हृदय से उनके सफलता की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ बनारस जिला कांग्रेस कमेटी इस संग्राम में राज्य कांग्रेस का समुचित पथ प्रदर्शन करेगी। और 'पीटर परिषद' अपने कृत्यों को परिवर्तित करके स्वर्गीय महाराज द्वारा स्थापित सद्भावना को पुनः स्थापित करेगी।"

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी के वक्तव्य से राज्य कांग्रेसजनों का उत्साह बढ़ गया राज्य कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता श्री रामसूरत सिंह उत्तरौत गांव में सत्याग्रह करने पर गिरफ्तार किये गये और उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास सौ रुपया आर्थिक दण्ड दिया गया। द्वितीय वार सत्याग्रह करने पर श्री सीतासाहु तथा श्री कुवेर विश्वकर्मा श्री रामनाथ प्रसाद राज्य द्वारा दण्डित किये गये। द्वितीयबार सत्याग्रह करने पर श्री नृसिंहप्रसाद सिंह, श्री रामराज पाठक तीन तीन माह कठोर कारावास और सौ सौ रुपया आर्थिक दण्ड पाये।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी

पण्डित नेहरू जी द्वारा सत्याग्रह स्थगित

देश की स्थिति बहुत ही भयानक हो गयी थी। जर्मनी और जापानीय-शक्तियों द्वारा सम्पूर्ण देश आक्रान्त हो गया था। और युद्धाग्नि भारत के पूर्वी सीमा पर प्रज्वलित हो गयी थी। ब्रह्मा, की राजधानी रंगून पर भयानक वम वर्षा होने लगी थी। कलकत्ता में भी वम प्रहार प्रारम्भ हो गया। तथोक्त घटनाओं से भारत निवासी त्रस्त हो गये थे। इस समय

जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष श्री जवाहर लाल नेहरू काशी आये और २३ जनवरी को श्री श्री प्रकाश जीके निवास स्थान पर राज्य कांग्रेस के प्रमुख जनों को आमंत्रित किये। श्री कमलापति शास्त्री भी उस समय उपस्थित रहे, राज्य की ओर से श्री ब्रज भूषण मिश्र, श्री सत्यनारायण पाण्डेय श्री बेचन राम गुप्त श्री गयाप्रसाद सिंह और "इतिहास लेखक" उपस्थित हुये। देश की वर्तमान परिस्थिति पर विचार करके पं० नेहरू जीने। काशीराज्य कांग्रेस के प्रमुख जनों को वन्दोवस्त विरोधी सत्याग्रह स्थगित कर देने की आज्ञा दिया। पंडित जी ने राज्य कांग्रेस जनों को सत्याग्रह स्थगित करने के लिये* एक पत्र भी लिखा था।

---

* 'काशी आने पर बनारस राज्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं मिला। उन्होंने मुझे राज्य की उन घटनाओं का हाल बताया जो पिछले वर्ष या उससे अधिक समय के बीच, जब मैं जेल में था हुईं। जेल जाने के पूर्व मैंने काशीराज्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययनकिया था और दुख के साथ यह अनुभव किया कि शासकों का रुख दिनः व दिन और प्रतिगामी होता जा रहा है। स्वर्गीय महाराज की मृत्यु के बाद में इसमें विशेष रूप से वृद्धि हुई है। मालूम होता है कि स्थिति और खराब होती गयी और राज्य के अधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की प्रतिष्ठा तक नहीं की गयी फलतः राज्य कांग्रेस ने व्यक्ति गत सत्याग्रह आरम्भ किया। सत्याग्रह ८ मास से अधिक समय तक चल रहा है और अब भी जारी है।

मैं इस वक्तव्य में उन बहुत से प्रश्नों की चर्चा नहीं करना चाहता जो आज दिन उठ खड़े हुए हैं।

पं० जवाहर लाल नेहरू की शुभ सलाह को मानकर राज्य कांग्रेस जनों ने २६ जनवरी सन् १९४२ ई० को (राज्य कांग्रेस की बैठक में) सत्याग्रह स्थगित का प्रस्ताव स्वीकृत किया। सत्याग्रह संचालन समिति की ओर श्री रामनन्दन सिंह ने बन्दोबस्त विरोधक सत्याग्रह को समाप्त कर दिया।

सन् १९४१ के मई महीने से लेकर १९४२ ई० के जनवरी तक अर्थात् ९ महीने तक बन्दोबस्त विरोधी सत्याग्रह चलता रहा। राज्य के डेढ़ सौ सत्याग्रही बन्दी बनाये गये और लग भग दश हजार रुपया राज्य की ओर से कांग्रेस जनों को आर्थिक दण्ड दिया गया। रामजियावन सिंह, श्री सत्यनारायण पाण्डेय, श्री सरयूप्रसाद साहु, श्री नारायण सिंह, श्री रामनन्दन सिंह आदि के घरों की तलाशी ली गयी और अधिकाधिक सम्पत्ति नष्ट, भ्रष्ट की गयी थी।

श्री नारायण सिंह

उनसे न केवल राज्य-शासन (राज्य तंत्र) के अपरिहार्य के दोषों का पता चलता है। वरन् भारत सरकार के राजनीतिक विभाग का जो अपने अफसरों द्वारा राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है दोष भी प्रकट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शीघ्र ही जो महान् और अनिवार्य परिवर्तन होने वाले हैं, उनके फल स्वरूप इन सब

श्री कन्तू सिंह,

सत्याग्रह संचालन में राज्य के कुछ लोगों ने अथक परिश्रम किया। नारायणसिंह श्रीझांगुर सिंह, श्री गौरीशंकर त्रिपाठी, श्री मेघनारायण पाण्डेय श्री सरयूप्रसाद साहु, श्रीकन्तू सिंह आदि सज्जनों ने विशेष उत्साह दिखाया और सत्याग्रह संचालन के लिये अधिक कष्ट भी उठाया था।

दोषों का अन्त हो जायगा। वर्तमान में हमें छोटे मोटे प्रश्नों की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये और अपेक्षाकृत महान् प्रश्नों को सामने रखकर सोचना और कार्य करना चाहिये। फलतः राज्य कांग्रेस से मेरा अनुरोध है कि वह व्यक्तिगत सत्याग्रह बन्द करदें।

चूंकि महात्मा गांधी ने फिलहाल भारत व्यापी सत्याग्रह बन्द कर दिया है। इसलिये ऐसा करना विशेष रूप से उचित है। सभी कार्य कर्त्ताओं को संघठनात्मक और रचनात्मक कार्य में लग जाना चाहिये। ऐसा करके राज्य के कार्यकर्ता गण सामने वाले महान् कर्तव्यों के लिये अपने को तैयार करेंगे और स्वयं और अपने देश वासियों का बल बढ़ायेंगे।

बनारस २३ जनवरी १९४२ ई०। जवाहर लाल नेहरू

श्री द्वारिका सिंह के उद्योग से उनके गांव के अधिक युवकों ने सत्याग्रह में पूर्ण सहयोग दिया था। अन्त में कांग्रेस के अधिनायक श्री रामनन्दन सिंह ने, राज्य की पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। और उन्हें चतुर्थ वार कारावास का कठोर दण्ड दिया गया।

श्री द्वारिका सिंह

बन्दोबस्त विरोधी सत्याग्रह में चकिया के नवयुवकों ने विशेष उत्साह और त्याग को प्रदर्शित किया चकिया के किसानों ने भी कांग्रेसजनों के कथनानुसार सक्रिय विरोध किया था। तथोक्त सत्याग्रह में कांग्रेस के कुछ सहयोगी जन "पथ भ्रष्ट" भी हो गये थे। किन्तु उनके अकमर्यण्यता से कांग्रेस के संगठन पर कुप्रभाव न पड़ सका था, क्योंकि सभी सैनिक युद्ध भूमि में सफल नहीं होते।

बन्दोबस्त विरोध सत्याग्रह में बनारस जिला और भदोही जिला और भदोही जिला के सहयोगियों ने सहयोग दे करके सत्याग्रह की व्यापकता को सार्थक किया था। चकिया के नव युवक गण वर्षों तक सत्याग्रह का संचालन करने का निश्चय कर चुके थे किन्तु पं० जवाहर लाल नेहरू जी की आज्ञा मान कर सत्याग्रह स्थगित करना उनका परम कर्तव्य हो गया।

नवम-अध्याय

सन् बयालिस का विद्रोह

युद्ध समाप्ति के पश्चात् जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसका रूप भयानक और कष्टदायक होता है। बन्दोबस्त विरोधी सत्याग्रह समाप्त हो जाने पर, राज्य के कर्मचारियों का मन सातवें आकाश पर चढ़ गया। जनता के सक्रिय विरोध और प्रार्थना करने पर भी चकिया के किसानों पर 'वन्दोवस्त' लाद दिया गया। बन्दोबस्त के विरोध में सैकड़ों सत्याग्रही बन्दी बनाये

वन्दोवस्त विरोधी सत्याग्रही

श्री शिवबदन पाण्डेय, श्री यदुनन्दनसिंह, श्री सालिकसिंह, श्री रामशकल विश्वकर्मा, श्री गुनराज सिंह, श्री मनमोहन चौहान।

गये। राज्य की ओर से हजारों रुपये का आर्थिक दण्ड दिया गया। परन्तु पीटरशाही का हृदय तनिक भी नहीं पिघल सका। वन्दोवस्त द्वारा किसानों को महान आर्थिक घाटा लगा। बन्दोवस्त करने वाले कर्मचारियों के अनभिज्ञता से किसानों के घर घर में भूमि सम्बन्धी कलह उपस्थित हो गया। एक ही 'खेत' के हिस्से में कई हिस्सेदारों को उल्लखित किया गया, जिसके कारण के घर, घर में गृह कलह स्थापित हुआ। आपसी कलह को हटाने से लिये किसानों को अधिकाधिक व्यय करना पड़ा। इस प्रकार सार्वजनिक भूभागों, जलाशयों और सभी गोचर भूमि के वन्दोबस्त से किसानों को महान कष्ट उठाना पड़ा।

काशी राज्य के कांग्रेस जनों की विद्रोहाग्नि भी शान्त होने लगी। वन्दोबस्त विरोधी सत्याग्रह समाप्त हो जाने पर, कांग्रेस जनों के सम्मुख रचनात्मक कार्य उपस्थित था, किन्तु प्रमुख लोग वन्दी थे। देश की राजनीतिक स्थिति भी डवां डोल थी। कांग्रेस के कुछ लोग उस समय गृह कलह में भी फंस गये थे। अतएव कुछ समय तक कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में व्यवधान पड़ गया।

भारत व्यापी-व्यक्तिगत सत्याग्रह, महात्मा गान्धी जी की आज्ञा से बन्दकर दिया गया था। बृटिश सरकार के ऊपर व्यक्तिगत सत्याग्रह का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। महात्मा गान्धी जी सत्याग्रह समाप्त करके रचनात्मक कार्य पर जोर देने लगे। प्रमुख नेतागण कारावास से मुक्त होने लगे थे। महात्मा गान्धी जी बृटिश सरकार की साम्राज्यवादि नीति का पूर्ण अध्ययन करके, आगे का कार्य क्रम निर्धारित कर चुके थे। बृटिश सरकार और भारतीय कांग्रेस से समझौता होने की समस्या पर विचार ही असम्भव हो गया था। अस्तु महात्मा गान्धी के हृदय

की विद्रोहाग्नि अन्य विद्रोही नेताओं के क्रिया कलापों द्वारा प्रज्ज्वलित हो उठी। महात्मा गान्धीजी ने वृटिश सरकार को अगस्त सन् ४ में युद्ध भूमि में उतरने के लिये चुनौती देदी। विदेशीपत्रों और यूरोपीय राजनीविज्ञों ने, महात्मागान्धी जीके सन् ४२ के अगस्त आन्दोलनके विषयमें विभिन्न प्रकार का मत व्यक्त किया था, किन्तु चतुर चर्चिल को यह पूण विश्वास हो गया था कि 'सन् ४२ का विद्रोह भयानक होगा'। चर्चिल के मनमें प्रथम ही विध्वंशात्मक कार्यों की कल्पना हो चुकी थी। भारतीय क्रान्तिकारी नेताओं की कामना के पूर्ति का शुभ अवसर उपस्थित होने वाला था। भारतीय नव युवक गण 'अगस्त क्रान्ति को प्रतीक्षा में कृत संकल्प हो चुके थे।

नव अगस्त सन ४२ का वह युग-रवर्तक दिन उपस्थित हुआ। महात्मा गान्धी जी के प्रेरणा से सन् ४२ के भयानक विद्रोह की आग धधक कर सम्पूर्ण भारत में व्याप्त होगयी। महात्मा जी के साथ सभी प्रमुख नेतागण बन्दी बना लिये गये, किन्तु विद्रोहाग्नि की ज्वाला भारत के कोने में पहुंच चुकी थी। महात्मा गान्धी जी ने, भारतीय देशी राज्य की प्रजा को भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये आवाहन किया था। अतएव काशी राज्य की प्रजा को सन् ४२ के क्रान्ति में सहयोग करना आवश्यक हो गया। काशी राज्य कांग्रेस का विचार प्रत्यक्ष रूप से राज्य में आन्दोलन करने को न हुआ। किन्तु उस समय रेल, तार उखाड़ने, तोड़ने की प्रगति अवाध्य रूप से भारत के कोने कोने में चल रही थी। अतएव राज्य की सीमा में वृटिश सरकार की तथोक्त सम्पतियों को नष्ट भ्रष्ट करना, राजकीय नव युवकों को उचित जान पड़ा।

काशी राज्य की पीटर शाही सरकार ने काशी राज्य को

भदोही जिले के प्रमुख कांग्रेस जनों में सर्व श्री वेचनराम गुप्त श्री गंगा प्रसाद खरे श्री जंगबहादुरसिंह वघेल को, ज्ञानपुर जेल में 'नजरवन्द' कर दिया।

भदोही जिले कतिपय कार्यकर्ता गण अगस्त क्रान्ति में पूर्ण सहयोग किये थे। भदोही, और महाराजगंज स्टेशन को क्षति पहुंचायी गयी, एवं कई 'केविन' और पोष्ट आफिस भी विध्वंशात्मक नीति से नष्ट कर डाले गये। राज्य की पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में भदोही जिले के कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। श्री गोवर्धनदास, पं० लक्ष्मीनारायण श्री गिल्लू अग्रहरी, श्री राधे श्याम श्री मिठाईलाल आदि को चार, चार वर्ष की कड़ी कैद की सजा हुई थी। श्री हरिहर प्रसाद उपाध्याय पं० नृसिंह प्रसाद भी गिरफ्तार किये गये थे। श्री जयश्री सिंह, श्रीमिश्रीलाल शिव नरेश सिंह, रामनरेश सिंह, द्वारिका सिंह, देवकी प्रसाद बलिकरण प्रसाद आदि ने भी विध्वंशक कार्य में सहयोग किया था।

हिन्दूविश्वविद्यालय अगस्त क्रान्ति का केन्द्र वन गया था। डाक्टर गैरोला वहाँ के प्रधान अधिनायक बनाये गये। डाक्टर गैरोला ने 'इतिहास लेखक' को विश्वविद्यालय के चालीस विद्यार्थियों का अधिनायक वनाया। इतिहास लेखक को चकिया और बनारस जिला के पूर्वी-दक्षिणी भाग में आन्दोलन संचालन के लिये जाना पड़ा। १३ अगस्त को वनारस जिला के प्रमुख कार्यकर्ता श्री उमाशंकर त्रिपाठी का सहयोग प्राप्त हो गया। १४ अगस्त को २० हजार किसानों के दल के साथ अलीनगर के थाने पर अधिकार किया गया था। १४ अगस्त की रात्रि में श्री महाबीर लाल द्वारा प्राप्त प्रान्तीय कांग्रेस की विज्ञप्ति के अनुसार विध्वंशात्मक कार्य

प्रारम्भ किया गया। श्रीउमाशंकर त्रिपाठी, श्रीलालजी लाल, के सहयोग से 'इतिहास लेखक' को, सर्वप्रथम, गंजख्वाजा मझवार, कचमन आदि स्टेशनों को विध्वंस करने में पूर्ण सहायता प्राप्त हुयी। अतिरिक्त इसके, अन्यान्य "केविनों" और पोष्ट आफिसों को भी जलाया गया।

अगस्त क्रान्ति में, चकिया और भदोही जिला, आन्दोलनकारियोंका केन्द्र बन गया था। आन्दोलन की गति शान्त होने पर कांग्रेसजनों के लिये काशीराज्य में 'गुप्तवास' करने की सुविधा मिलती रही। इस प्रकार यथा शक्ति राज्य कांग्रेसजनों ने सन् ४२ की क्रान्ति में सहयोग किया था।

प्रजामण्डल का निर्वाचन

महाराज श्री आदित्यनारायण जी द्वारा प्रदत्त उत्तरदायी शासन की रूपरेखा को छिन्न भिन्न करके सन् १९४२ ई० में काशी राज्य में 'सन् बयालिस का विधान' के नाम पर एक घोषणा करायी गयी थी। राज्य-शासन परिषद द्वारा जो 'ग्राम-पंचायत' विधान, स्वीकृत किया गया था, उसमें स्वायत्त शासन की कुछ रूपरेखा अवश्यमेव दृष्टि गोचर हुयी। काशीराज्य में "ग्राम पंचायत विधान" से लाभ की सम्भावना अवश्य हुयी, किन्तु निर्वाचन में धांधली होने से सफलता न हो सकी।

सन् १९४४ ई० में ग्राम पंचायतों का निर्वाचन काशी राज्य में कराया गया। किन्तु दुःख की बात यह हुयी कि कांग्रेसजनों को चुनाव में भाग लेने की व्यवस्था में अड़चन डाला गया, कांग्रेस के ऊपर अनेकों प्रतिबन्ध लगाये गये थे।

राज्य की ओर से कांग्रेस 'अनियमित' घोषित कर दी गयी थी। अतएव कांग्रेसजनों को, पंचायतों के चुनाव में महान् बाधा उपस्थित हो गयी। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत और प्रजा मण्डल के चुनाव की समस्या उपस्थित हुई। चकिया कांग्रेसजनों में दोनों निर्वाचनों में भाग लेने के लिये मतभेद हो गया था।

भदोही जिला पंचायत में श्री अक्षयवरजी वैद्य, श्रीराम नरेशमिश्र निर्वाचित हुये थे।

चकिया जिला पंचायत में श्री रामजियावन सिंह, श्री मुन्ननजी पाण्डेय, श्री सरयू प्रसाद साहु, श्री जगराम सिंह, श्री नरायनसिंह, और शेष मुहम्मद उमर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सके।

श्री जगराम सिंह जी

सन् १९४५ में प्रजा-मण्डल का भी चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के समर्थन से श्री बेचन राम गुप्त, वंशनारायण सिंह, श्री जंगवहादुर सिंह बघेल, श्रीमुन्नन जी पाण्डेय, मुहम्मदनूर खां निर्वाचित हुये थे। और बाद में तीन मृत व्यक्तियों के स्थान पर श्री गंगा प्रसाद खरे, श्री दयाशंकर दूबे और महम्मद हुसेन जी भी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित किये गये। देश सेवा की भावना से उत्साहित होकर, प्रजा परिषद् के तीन सदस्य

श्री श्यामधर मिश्र, श्री शिवप्रसाद दूबे, श्री विश्वम्भर अग्रवाल भी कांग्रेस-जनों को सहयोग देने के लिये कटिबद्ध हो गये। अन्ततोगत्वा प्रजामण्डल में कांग्रेस के ग्यारह सदस्य हो गये।

प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन ७ जुलाई सन् १९४५ ई० को हुआ था।

श्री श्यामधर मिश्र

सीमित-अधिकार

प्रजामण्डल में प्रजा के प्रतिनिधियों को जो अधिकार प्राप्त रहा वह बहुत ही सीमित था। उत्तरदायी शासन के विचार से वह अधिकार महान दोष युक्त रहा। महाराज आदित्य नारायण सिंह जी के विचारों की अवहेलना करके ऐसा किया गया था। स्वायत्तशासन का आंशिक अधिकार देकर प्रधान विभागों को हस्तगत कर लिया गया था। सदस्यों के अधिकार की सीमा संकुचित रखी गयी थी। किन्तु भाषण स्वातन्त्र्य अधिकार से कांग्रेस जनों का अधिकारियों के कुकृत्यों का भण्डाफोड़ करने का अवसर प्राप्त हो गया था। इस प्रकार एक

दिखावटी 'प्रजातन्त्र शासन' चलने लगा। जिला पंचायतों के चुनाव में प्रथम जिलाधीश ही अध्यक्ष का कार्य करते रहे किन्तु कांग्रेस की शक्ति और संगठन को देखकर वह नियम भंग कर दिया गया और कांग्रेस की ओर से चकिया जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद श्री रामजियावन सिंह को प्राप्त हुआ था।

श्री रामजियावन सिंह

चावल की समस्या

सन् ४२ की क्रान्ति-ज्वाला को शान्त लखकर काशीराज्य शासन परिषद् की ओर से भी अधिक धांधली मचायी गयी थी। राज्य के प्रजाजनों को बृटिश सरकार की सहायता के लिये, चकिया से चावल, और भदोही स गेहूँ लिया जाने लगा। चावल और गेहूँ वसूल करके राज्य सरकार बृटिश सरकार के हाथ में बेच कर दूना से भी अधिक लाभ उठाने लगी। चकिया के किसानों को चावल का मूल्य प्रतिमन नव रुपये (राज्य द्वारा) दिया जाता रहा। फलस्वरूप किसानों को दूना घाटा लगता था। दो वर्ष तक लगातार राज्य की यह नीति चलने के कारण किसानों में पुनः विद्रोह की भावना जागृत हो गयी। सैकड़ों व्यक्ति चावल सम्बन्धी मुकदमे में जेल भेजे गये, और उनसे हजारों रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

राज्य कांग्रेस जनों में चावल वसूली के विरोध की भावना जागृत हो चुकी थी। प्रजा के ऊपर बढ़ता अत्याचार देखकर कांग्रेस जनों को चावल वसूली का विरोध करना अनिवार्य हो गया। प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल संगठित होने की पूर्ण सम्भावना हो गयी थी। फरवरी सन् १९४६ में श्रीरामनन्दन सिंह चावल वसूली के विरोध गिरफ्तार कर लिये गये, एवं अन्यान्य कार्यकर्ताओं पर अभियोग लगाया जा चुका था।

पं० नेहरू जी द्वारा चावल वसूली का विरोध

सन् ४६ में फरवरी के दूसरे सप्ताह में पंडित जवाहर लालजी काशी आये और काशी राज्य कांग्रेस के सभी प्रमुख जनों से (विद्यापीठ में) भट किये। राज्यद्वारा चावल वसूली की बात सुनकर पंडित जवाहर लालजी को महान आश्चर्य और खेद हुआ। उन्होंने राज्य कांग्रेस जनों को चावल वसूली का विरोध करने के लिये उचित सलाह दिया।

भदोही में पं० नेहरू जी का स्वागत

दूसरे दिन भदोही कांग्रेस की ओर से भदोही में पंडित जवाहरलाल नेहरूजीका स्वागत किया गया। श्री वंश नारायण सिंह के सभा पतित्व में सभा की कार्यवाही हुयी थी।* पंडित नेहरू जीने काशी राज्य के विषय भाषण देते हुये, "स्वर्गीय महाराज की घोषणा को राज्य में शीघ्र कार्यान्वित कर देने की सलाह दिया था। चूंकिया के चावल वसूली के विरोध में पं०

---

* पंडित जवाहरलालजी समय समय पर काशीराज्य कांग्रेस को समुचित उपदेश और सहयोग देकर काशीराज्य कांग्रेस की शक्ति को बढ़ाते रहे, अतएव काशीराज्य कांग्रेस पंडित जी के कृपा के लिये आजीवन कृतज्ञ रहेगी।

नेहरू जीने अधिकारियों की कुत्सित नीति की कटु आलोचना किया। पंडित जीने यह भी कहा था कि राज्य कर्मचारियों के लिये कम दाम पर चावल वसूल करना, किसानों के साथ घोर अन्याय कहा जायेगा। अधिक मात्रा में चावल वसूली और उसको अत्यधिक कम मूल्य देने के विरोध में आन्दोलन करना चाहिये।"

पंडित नेहरू जीके उपदेश से काशी राज्य के कांग्रेस जन पूर्ण प्रभावित होकर चावल वसूली के विरोध के लिये तैयार हो गये थे किन्तु श्री कमला पति त्रिपाठी, श्री मुन्नन जी पाण्डेय श्री बेचनराम गुप्त, मुहम्मद नूर खां के प्रयत्न से आन्दोलन की भूमिका स्थगित हो गयी। राज्य की ओर से चावल का भाव तेरह रुपये प्रति मन कर दिया गया। प्रति एकड़ डेढ़ मन का प्रति बन्ध हटा दिया गया। और श्रीरामनन्दन सिंह कारावास से मुक्त कर दिये गये।

दूसरे वर्ष अर्थात् सन् १९४७ ई० की फ़रवरी में पुनः चावल वसूली की समस्या पर संघर्ष की स्थिति उपस्थित हो गयी थी। तेरह रुपये प्रतिमन चावलका मूल्य देनेपर किसानों को संयुक्त प्रान्त के बाजार भाव से दूना को घाटा लगने लगा था। किसानों के आर्थिक संकट को हटाने के लिये चकिया कांग्रेस की ओर से एक समिति बनायी गयी।

श्री छविनाथ द्विवेदी

जिसमें श्री देवनन्दन सिंह दीक्षित, श्री रामनन्दनसिंह, श्री छविनाथ दूबे, श्री बनवारी सिंह, श्री सरयू प्रसाद साहु सदस्य थे। संघर्ष की भावना बढ़ने लगी थी। किन्तु पुनः नेताओं के सहयोग और प्रयत्न से राज्य की ओर से चावल का भाव सोलह रुपये प्रति मन कर दिया गया और चावल सम्बन्धी अन्य मांगों की भी पूर्ति हो गयी। हम यह अवश्य कहेंगे कि राज्य सरकार के ऊपर राज्य कांग्रेस का पूरा प्रभाव पड़ चुका था, अतएव राज्य कांग्रेस की भावना के प्रतिकूल चलने की कुप्रवृति, अधिकारियों के हृदय से दूर हो गयी।

पीटरशाही से संतप्त काशी राज्य को प्रजाजनों की शुभ-कामना पूर्ण होकर रही। ११ जुलाई सन् १६४७ ई के दिन शुभ मुहूर्त में महाराज श्री विभूतिनारायण सिंह जीने पवित्र काशी राज्य के शासन-भार को ग्रहण किया। शासन-भार ग्रहण करने के पश्चात् प्रजाप्रिय महाराज ने महाराज श्री आदित्य नारायण सिंह द्वारा प्रदत्त उत्तरदायी शासन की घोषणा को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने का वचन दिया।

भारत में भी महान परिवर्तन हो गया। शताब्दियों से पराधीन भारत १५ अगस्त सन् १९४७ ई को स्वाधीन होगया। गौराङ्गों के कुशासन से भारत मुक्त होकर एक बार सोये सिंह की भांति जाग उठा और उसी समय भारत के कोने कोने में (पूर्वी बंगाल और पंजाब को छोड़कर) स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पताका फहरा उठी। महाराज विभूति नारायण सिंह जी ने भी राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान किया। भारत की स्वतंत्रता से प्रभावित होकर महाराज ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के पूर्व राज्य में २६ सितम्बर सन् ४७ को "मध्यकालीन सरकार" की स्थापना कर दी। फल स्वरूप कांग्रेस के प्रस्तावानुसार राज्य में कांग्रेस के दो मंत्री राज्यकार्य सम्भालने लगे।

उप-संहार

संसार में जब, अत्याचार, प्रजा शोषण और उत्पीड़न की मात्रा बढ़ जाती है, और मानवता के विनाश के लिये पैशाचिकता का ताण्डव होने लगता है, तथा दुर्बल दीन, प्रजा की वेदना से साम्राज्यवादी नीति का पापघट परिपूर्ण हो जाता है, उसी समय क्रान्ति देवी को अवतरित होना पड़ता है। 'रूस' की प्रजा 'जारशाही' के अनाचार एवं व्यभिचार से त्राहि त्राहि करने लगी थी किन्तु जब प्रजा में विद्रोहाग्नि प्रज्वलित हुयी तो 'जारशाही' उस ज्वाला में आमूल भस्म हो गयी। चीनऔर फ्रान्स का विद्रोह तथोक्त कारणों से ही हुआ था। सन् १८५७ ई० में भारतीयों ने भी क्रांन्ति का आवाह्न किया था, किन्तु गौराङ्गों की छत्र छाया में पलने वाले अभागे, भारतीय रजवाड़ों, और देश द्रोही भारतीय सैनिकों ने विद्रोहियों के शुभकार्य में वाधा डाल दिया, नहीं तो भारत उसी समय स्वतंत्र हो गया होता। किन्तु आज भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सन् ४२ का विद्रोह सर्वतोभाव से सहायक बना। महाक्रान्ति के उदय से डर कर गौराङ्गों ने भारतीयों को स्वतंत्र घोषित किया।

गौराङ्गों के छत्र छाया में रहकर भारतीय देशी नरेश भी किंकर्तव्य होकर आत्मसम्मान से वंचित हो गये थे। साम्राज्यशाही की माया से देशी नरेशों की प्रजा आक्रान्त हो गयी। स्वार्थी कर्मचारियों के कुशासन-कुचक्र से रियासती प्रजा की दशा पर सोचने और सुविधा प्रदान करने में उन्हें हिचक होने लगी। अतएव महात्मा गान्धी जीके 'अमोघ अस्त्र' 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' को देशी राज्यों की प्रजा ने भी अपनाया।

प्रमुख राज्यों में प्रजा का दमन किया गया। कितने प्रजाजन गोली के निशाने बनाये गये। जेल, सेल, लाठी संगीन, का प्रहार अवाध्य रूप से प्रजाजनों को सहना पड़ा।

काशी राज्य की प्रजा को भी उपरोक्त दुर्घटनाओं से छुटकारा नहीं मिला, सन् १९११ ई० में राज्य की प्रजा दोहरे शासन की चक्की में पिसने लगी। प्रजा की कल्याण कामना से प्रेरित होकर राज्य में 'किसान सभा' स्थापित हुयी किन्तु उसके शैशव काल में ही 'दमन' का चक्र चलाया गया और उसके संचालक बन्दी बनाये गये। 'किसान सभा' द्वारा प्रज्ज्वलित चिनगारी, 'कांग्रेस' की शक्ति और साधन से पुनः धधकने लगी। सर्व प्रथम २३ अक्टूबर सन् १९३७ ई० में काशी राज्य में कांग्रेस की स्थापना से प्रजाजनों में स्फूर्ति आगयी, नवयुवकों में विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। राज्य के कर्मचारी गणों के कुविचारों और कुमंत्रणा से 'राजा' प्रजा को पहचानने में असमर्थ किये गये थे। किन्तु प्रजा की विद्रोही भावना ने राजा प्रजा के बीच में स्थित परदे हटा दिया। २६ दिसम्बर सन् १९३८ ई को स्व० महाराज आदित्यनरायण सिंह ने प्रजा के लिये उत्तरदायी शासन प्रदान की घोषणा किया। कुकर्मचारियों के कुचाल से, २६ जनवरी सन् १९३९ ई को जंगल सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ, किन्तु श्री जवाहर लाल नेहरू जी के शुभ सप्ताह से जंगल सत्याग्रह बन्द किया गया। पं० नेहरू जीको एतदर्थ चकिया जाना पड़ा। महाराज ने पुनः १४ फरवरी को उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी थी।

४ अप्रैल सन् १९३९ ई० को महाराज श्री आदिनारायणजी के आसामयिक मृत्यु से प्रजा के उपर बज्रपात होगया। गौराङ्गों की कुटिल नीति से 'पीटरशाही' का कुशासन प्रारम्भ हुआ।

प्रजाजनों की नागरिकता पर प्रहार होने लगा। अतः कांग्रेसजनों को पुनः सत्याग्रह करना पड़ा जिसमें पचासों व्यक्ति जेल भेजे गये, और सैकड़ों पर घातक प्रहार किया गया। किन्तु 'पीटर

खखड़ा गांव में पुलिस के घातक प्रहार से घायल किसान
श्री लल्लन सिंह, श्री झूरी पाण्डेय, श्री छविनाथ सिंह, श्री सरयू हरिजन,
श्री निव्वूल सिंह, श्री कुम्भी साहु, श्री चन्द्रिका पाण्डेय।

शाही' को प्रजा के आगे झुकना पड़ा। 'दमन' की दावाग्नि बुझ गयी। श्री गोविन्द वल्लभ पन्त तथा श्री सम्पूर्णानन्दजी के प्रयत्न से राज्य में शान्ती, सुव्यवस्था स्थापित की गयी। किन्तु प्रान्तीय मंत्रिमण्डल के भंग हो जाने पर अवसरवादी, पीटर ने पुनः अत्याचार, और 'दमन' द्वारा काशी राज्य की प्रजा को विद्रोह करने के लिये वाध्य कर दिया। महाराज श्री विभूति नारायणसिंहजी बाल्यावस्था में थे, अतएव पीटरशाही

का ताण्डव नृत्य प्रारम्भ हुआ। पुनः प्रजा ने सक्रिय विद्रोह, किया, ९ मास तक विद्रोह की ज्वाला चकिया में जलती रही। अन्त में पं० जवाहरलाल जी के शुभ सलाह से वह आन्दोलन भी समाप्त हुआ। किन्तु प्रजा की विद्रोही भावना से, पीटर-शाही का शासन समाप्त होकर के ही रहा। अत्याचार और दमन के बल पर राज्य शासन नहीं टिक सकता है, अत्याचार और शोषण के बल पर चलने वाले शासन को मिटते देर नहीं लगती। काशी राज्य में पीटर शाही का शासन समाप्त होते देर न लगी।

प्रजा के प्रिय महाराज श्री विभूतिनारायण सिंह का शासन प्रारम्भ होते ही काशी राज्य में प्रजातंत्र की स्थापना हो गयी। प्रजाजनों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मात्र 'कांग्रेस' की त्याग और सेवा का फलोदय हुआ। प्रजा में सुख और शान्ती स्थापित हुयी। राज्य में सुव्यवस्था संचारित हुयी। काशी राज्य कांग्रेस का ध्येय पूरा हो करके रहा।

भगवान विश्वनाथ, काशी राज्य की प्रजा और काशीराज्य कांग्रेस का कल्याण करें।

मध्य कालीन सरकार में कांग्रेस के दो मंत्री नियुक्त होने के बाद, १६ दिसम्बर सन् १६४७ ई० को कांग्रेस द्वारा मनो-नीत श्री बेचनराम गुप्त जी प्रजा मण्डल के अध्यक्ष निर्वाचित हुये। मध्य कालीन सरकार में कांग्रेस का सर्वतोभाव से शासन स्थापित हुआ। मध्यकालीन सरकार उत्तरदायी शासन के पूर्व प्रजातंत्रात्मक शासन का मुख्यांश रूप ग्रहण करके अग्रसर हुयी। शासनभार ग्रहण करते ही मंत्रियों ने राज्य में फैली, अनव्य-वस्था, धांधली, चोर बाजारी, उत्कोच आदि पर पूर्ण ध्यान देकर शासन व्यस्था को संचारित किया। यह भी ध्रुव सत्य है कि

प्रजा मण्डल में कांग्रेसजनों के अतिरिक्त सदस्यों ने भी कांग्रेस की महत्ता और शक्ति को बढ़ाने में पूर्ण सहयोग किया। अतएव कांग्रेस का शासन अंशतः काशी राज्य में संचारित हुआ।

राज्य सत्ता या अधिकार प्राप्त कर लेना सुगम है किन्तु उसका संरक्षण महान दुस्तर है। अधिकार प्राप्ति के बाद अनेकानेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। किन्तु शासन भार ग्रहण करते ही जिस क्रम को, कांग्रेस के मंत्रियों ने संचालित किया उसे देखकर विपक्षी भी चकित हो गये। यह सब केवल सहयोग और सद्भावना का फल है। सहयोग और सद्भावना के ही बल पर प्रजातंत्र की स्थापना होती है। सहयोग और सद्भावना से ही प्रजातंत्र शासन चल सकता है।

शेष-स्मृतियां

काशीराज्य कांग्रेस की स्थापना से काशी राज्य कांग्रेस के इतिहास रचना-समय तक कांग्रेस के कितने नव युवक कार्यकर्ता, अपने सेवा और त्याग का परिचय देकर आज अपने पंच भौतिक शरीर से इस लोक में नहीं है, किन्तु उनकी अमर कहानी आज स्वर्णाक्षरो में देदीप्यमान है। श्री रामलगन मिश्र श्री परिगन सिंह, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री गौरीशंकर उपाध्याय, श्री मुराहू सिंह, श्री टीमल सिंह, श्री गया प्रसाद पाण्डेय, शेखमुहम्मद उमर, श्रीकुबेर दत्त दूबे, श्री कुम्भी साहु, श्री सरयू हरिजन आदि के दुखद मृत्यु से काशी राज्य की प्रजा को महान क्षति पहुँची। भगवान उन वीरात्माओं को शान्ति प्रदान करें।

सर्वेऽत्रसुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत् ॥१॥

काशी राज्य कांग्रेस के इतिहास की प्रशंसा

"काशी राज्य के प्रजाजनों के विजय का इतिहास, संघर्ष में रत नवयुग के संदेश-वाहकों के लिये, स्फूर्ति और प्रेरणा का कारण होगा।"

—कमलापति त्रिपाठ

"बनारस राज्य का यह इतिहास, स्फूर्तिदायक और पठनीय है।"

—श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल

"राज्य के नवनिहालों के लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।"

—वंशनारायण सिंह

"काशी राज्य की जनता के लिये यह पुस्तक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति है।"

—गंगाप्रसाद खरे

"प्रस्तुत पुस्तक की वर्णन शैली, अत्यन्त रोचक होते हुये, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय है।"

जगतनारायण दुबे (अध्यक्ष बनारस जिला कांग्रेस)

"यह इतिहास स्वतंत्रता प्रेमी प्रत्येक जन के लिये अमूल्य देन है।"

रामनन्दन सिंह (अध्यक्ष काशी राज्य क

केवल टायटिल पेज रायल प्रेस, गोदौलिया, बनारस में मुद्रि